सिविल सर्विसेस मासिक

CHAHAL ACADEMY
LEARN TODAY! LEAD TOMORROW!

मार्च 2021

सिविल सर्विसेस परीक्षाओं के सभी समाधान एक स्थान पर

OCI विशेषाधिकार
2001-F032 क्षुद्रग्रह
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस
दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी
ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020
हिमालयन सीरो असम में मिला
PSLV-C51 / Amazonia-1 मिशन
न्यायिक पितृसत्ता को लक्षित करें, न्यायाधीश को नहीं
सफलता का एक मार्ग – महिलाएँ एवं श्वेत क्रांति
भारत–बांग्लादेश संबंधों में हुए विवादों को दूर करें
QUAD के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन
सिविल सेवा में पार्श्व प्रवेश
सीमा पार बिजली नीति
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ एवं हानियाँ

विषय–सूची

प्रारंभिक परीक्षा

ओसीआई विशेषाधिकार	2
युएनएचआरसी में श्रीलंका पर वोट से भारत अनुपस्थित रहा	6
2001 एफओ32 क्षुद्रग्रह	6
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस	8
फिलीपींस ने चीन पर विवादित समुद्र में 'घुसपैठ' का आरोप लगाया	10
दिल्ली– दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी	12
ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020	17
हिमालयन सीरो असम में देखा गया	18
PSLV-C51 / Amazonia-1 मिशन	18

मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन – 1

भारतीय हेरिटेज और संस्कृति, इतिहास और भूगोल विश्व और समाज

न्यायिक पितृसत्ता को लक्षित करे, न्यायाधीश को नहीं	21
'सफलता का एक मार्ग' – महिला एवं श्वेत क्रांति	23
दांडी यात्रा – प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा की शुरूआत की	24

सामान्य अध्ययन – 2

शासन, संरक्षण, नीति, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध

बजट सत्र के निष्कर्ष	26
भारत–बांग्लादेश संबंध में विवादों को दुर करें	30
सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव कराने में ैम्ढ की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है	35
क्वाड समूह के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन	37
सिविल सेवा में लेटरल एंट्री (पार्श्व प्रवेश)	38

सामान्य अध्ययन – 3

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव–विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और प्रबंधन प्रबंधन

सीमा पार से बिजली नीति	39
भारत में प्रत्यक्ष विदेषी निवेश (एफडीआई) 60 बिलियन डॉलर से ऊपर	40
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ एवं हानियाँ	41
ऑपरेशन ग्रीन्स का विस्तार	43
चीन की साइबर आई एवं भारत	44

प्रारंभिक परीक्षा

अलाईड एंड हैल्थकेयर प्रोफेशनल्स विधेयक, 2021 के लिए राष्ट्रीय आयोग

संदर्भ – लोकसभा ने हाल ही में अलाईड एंड हैल्थकेयर प्रोफेशनल्स विधेयक, 2021 के लिए राष्ट्रीय आयोग को मंजुरी दी है।

अलाईड एंड हैल्थकेयर प्रोफेशनल्स विधेयक, 2021 के लिए राष्ट्रीय आयोग का विवरण –

प्रावधान –
1) इसके अंर्तगत पूरे देश में संबद्ध स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के प्रशिक्षण एवं योग्यता को विनियमित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है।
2) विधेयक संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं की 50 श्रेणियों के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करेगा एवं रोगियों के उपचार को डॉक्टर केंद्रित होने के बजाए टीम केंद्रित करने की कोशिश करेगा।

लक्ष्य– यह एक वैधानिक निकाय या आयोग की स्थापना करता है जो नीतियों एवं मानकों को फ्रेम, संस्थानों में सेवा मानकों को एकरूपता प्रदान करने के अलावा, संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए पेशेवर आचरण एवं योग्यता को विनियमित करेगा।

संरचना –
1) निकाय के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन दो वर्ष के लिए किया जाएगा एवं वे दो बार और इन पदों पर नामित होने के पात्र होंगे।

2) राज्य सरकारों को आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उनके लिए 12 सीटें अलग रखी गई हैं, एवं राज्य स्तर के आयोगों को भी विधेयक के तहत स्थापित किया जाना है।

विधेयक की आवश्कता –

1. पैरामेडिक्स एवं संबद्ध स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सा पेशे का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं एवं यदि अधिक नहीं तो उनका योगदान डॉक्टरों के समान है।

2. संबद्ध पेशेवरों का बड़ा समूह है और बिल उनकी भूमिकाओं को गरिमा प्रदान करके इस क्षेत्र को विनियमित करने का प्रयास कर रहा है। पैरामेडिक्स एवं संबद्ध स्वास्थ्य कर्मचारियों में शामिल हैं – लैब तकनीशियन, रेडियोग्राफर, आहार विशेषज्ञ आदि।

आईएलओ कोड – विनियमन, प्रशिक्षण, पात्रता एवं सेवा के मानकों को अंतर्राष्ट्रीय यार्डस्टिक्स द्वारा एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संहिता (आईएलओ) कोड के अनुसार कोडित किया गया है।

स्वास्थ्य पर स्थायी समिति द्वारा विधेयक को रोक दिया था एवं 110 संशोधनों का सुझाव दिया था, जिसमें से 102 को विधेयक में शामिल किया गया है।

यूनिक लैंड पार्सल आईडेंटिफिकेशन नंबर (युएलपीआईएन)

संदर्भ – युएलपीआईएन, भूमि डेटाबेस को राजस्व न्यायालय रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड एवं आधार के साथ एकीकृत किया जाना है।

विवरण–
1. केंद्र की योजना एक वर्ष के भीतर देश के प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों की पहचान संख्या जारी करने की है।
2. संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, यह भूमि रिकॉर्ड को राजस्व रिकॉर्ड एवं बैंक रिकॉर्ड के साथ के साथ–साथ आधार संख्या से स्वैच्छिक आधार पर एकीकृत करेगा।
3. भूमि संसाधन विभाग ने ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति को बताया कि योजना इस वर्ष दस राज्यों में योजना शुरू की गई है एवं मार्च 2022 तक इसे देश भर में लागू किया जाएगा।
4. **'भूमि के लिए आधार'** – एक विभाग के अधिकारी, ने इसे 'भूमि के लिए आधार' के रूप में वर्णित किया, एक संख्या जो भूमि के हर सर्वेक्षण किए गए पार्सल को विशिष्ट रूप से पहचानती है एवं भूमि धोखाधड़ी को रोकती है, विशेष रूप से दूरदराज के ग्रामीण भारतीय इलाकों में, जहाँ भूमि रिकॉर्ड पुराने एवं अक्सर विवादित रहे हैं।
5. **माप** – पहचान भूमि पार्सल के देशांतर एवं अक्षांश निर्देशांक पर आधारित होगी, एवं सितंबर 2020 में राज्यों को विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुति के अनुसार विस्तृत सर्वेक्षण एवं भू–संदर्भित कैडस्ट्राल मानचित्रों पर निर्भर है।
6. आधार संख्या का भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस के साथ एकीकरण स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा।

उद्देश्य–
1. प्रत्येक जिले में आधुनिक भूमि रिकॉर्ड रूम बनाने में प्रति जिला 50 लाख रुपये, जबकि राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के साथ भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण 70 करोड़ रुपये होगा।
2. इसमें यह भी कहा गया है कि डिजीटल इंडिया लैंड रिकॉर्डस मॉर्डनाईज़ेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के अगले चरण में 'बैंकों के साथ भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस का लिंक' शामिल होगा।

महत्व – ये घटक देश के नागरिक को त्वरित सेवा प्रदान करने के साथ एवं कृषि, वित्त आपदा प्रबंधन आदि से संबंधित योजना के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) 2008 –
- यह 2008 में शुरू हुआ था तथा दायरा बढ़ने के साथ इसे कई बार बढ़ाया गया। यह अगले सप्ताह समाप्त होने वाला है, लेकिन विभाग ने अपने मूल लक्ष्यों को पूरा करने के साथ–साथ नई योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ अपने दायरे में विस्तार करने के लिए 2023–24 तक और विस्तार का प्रस्ताव दिया है।
- युएलपीआईएन, डीआईएलआरएमपी का अगला चरण है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

ओसीआई विशेशाधिकार

संदर्भ – हाल ही में, कुछ यात्रियों को संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई एवं उन्हें हवाई अड्डों से वापस भेज दिया गया क्योंकि उनके पास पुराने विदेशी पासपोर्ट नहीं ले थे, जो कि सरकारी नियमों के अनुसार आवश्यक था।

विवरण – ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या ओसीआई कार्ड विश्व स्तर पर भारतीय मूल के लोगों को जारी किया जाते है जो उन्हें भारतीय राष्ट्रीय प्रावधान के लगभग सभी विशेषाधिकार प्रदान करता है –

1. ओसीआई कार्ड विदेश से भारत की वीजा मुक्त यात्रा देता है।
2. ओसीआई धारकों को वोट देने का अधिकार, सरकारी सेवा एवं कृषि भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है।
3. अन्य लाभों के अलावा, ओसीआई कार्ड, भारत में आने के लिए एक भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को बहु प्रविष्टि, बहुउद्देश्यीय आजीवन वीजा की अनुमति देता है।

iv ओसीआई कार्ड के प्रावधानों के तहत, जो कार्डधारक को भारत में आजीवन वीजा देता है, 20 साल से कम एवं 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रत्येक बार अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के साथ ओसीआई कार्ड को नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है।

नई नीति –

1. भारतीय मूल के लोग एवं ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड वाले भारतीय प्रवासी को अब पहले की आवश्यकता के अनुसार, भारत की यात्रा के लिए अपने पुराने, समाप्त हो चुके पासपोर्ट को ले जाने की आवश्यकता नहीं है।
2. हालांकि, नया पासपोर्ट ले जाना अनिवार्य है।

ई–व्यापार के लिए अनुचित व्यापार तरीकों को परिभाषित करना

विवरण –

एक संसदीय पैनल ने यह चेतावनी देते हुए कि ई व्यापार कंपनियों द्वारा निर्धारित आक्रामक मूल्यों के कारण प्रतिस्पर्धा समाप्त हो सकती है एवं लंबे समय में उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, सिफारिश की है कि सरकार को इस मुद्दे से निपटने के लिए एक व्यावहारिक कानूनी उपाय के रूप में 'अनुचित व्यापार अभ्यास' की स्पष्ट कानूनी परिभाषा पेश करनी चाहिa.

आक्रामक मूल्य –

1. पैनल ने ई–कॉमर्स फर्मों द्वारा लगाए गए डिलीवरी चार्ज पर सीमा लगाने के साथ–साथ गलत सूचना से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान प्रदान करने की भी सिफारिश की है।
2. समिति ने कहा कि ई–कॉमर्स उद्यम उपभोक्तओं को कई लाभ प्रदान करते हैं, खंड के विकास ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं के नए रूपों, गोपनीयता के उल्लंघन एवं अनुपलब्ध शिकायतों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बना दिया है।
3. अल्पकालिक रणनीति के रूप में आक्रामक मूल्य निर्धारण, बाजार के कुछ दिग्गजों द्वारा अपनाई गई छोटी अवधि के घाटे को बनाए रखने एवं औसत परिवर्तनीय लागत से नीचे अपने उत्पादों की कीमतों को कम करने के लिए बाजार से प्रतिस्पर्धा को मिटा सकते हैं एवं हो सकता है लंबे समय में उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक हो।
4. आक्रामक मूल्य निर्धारण एक रणनीति है, जो बड़े पैमाने पर अंडरकटिंग की विधि का उपयोग करती है, जहां एक उद्योग में एक प्रमुख फर्म जानबूझकर किसी उत्पाद या सेवा की कीमतों को अल्पकाल में हानि–बनाने के स्तर तक कम कर सकती है।

'प्रमाणित करना मुश्किल है' –

1. हालांकि, यह जोड़ा गया कि कानूनी दृष्टिकोण से, आक्रामक मूल्य निर्धारण के आरोपों को प्रमाणित करना बहुत कठिन है, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा पर इस तरह के अभ्यास का प्रभाव साबित करना बहुत मुश्किल है।
2. समिति, इसलिए सिफारिश करती है कि ई–कॉमर्स संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा छोटे किराना विक्रेताओं को घबरा देने वाली इस तरह की प्रथाओं से निपटने के लिए अनुचित व्यापार तरीकों एवं व्यावहारिक कानूनी उपाय की एक अधिक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिa.
3. पैनल ने यह भी सुझाव दिया कि उपभोक्ता मामले, खाद्यएवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को पीक आवर्स में होम डिलीवरी के शुल्क की उच्चतम सीमा पर सीमा के साथ–साथ बाजार संस्थाओं द्वारा लगाए गए वितरण शुल्क के निर्धारण के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करने चाहिa.
4. मंत्रालय को गलत जानकारी, कोई जानकारी नही एवं जानकारी जो अन्यथा सही होने गलत छवि निर्माण संबंधी नियमों में स्पष्ट रूप से अंतर करना चाहिए एवं प्रत्येक मामले के लिए दंडात्मक प्रावधान प्रदान करना चाहिa.
5. मंत्रालय को 'ड्रिप प्राईसिंग' को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए – जिसमें उत्पाद की अंतिम लागत अतिरिक्त शुल्क के कारण बढ़ जाती है, एवं इपके उल्लंघन के लिए दंड प्रावधानों को शामिल करके इसके खिलाफ उपभोक्ताओं की रक्षा करने का प्रावधान करना चाहिa.

सीसीआई ने जांच के आदेश दिए, नई व्हाट्सएप नीति को 'शोषक' बताया

विवरण –

1. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति की जांच शुरू की है, जो पहले से ही न्यायिक जांच के अधीन थी।
2. एंटीट्रस्ट निकाय ने एक ऐसा प्राथमिक विचार बनाया है कि फेसबुक के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप की नई नीति 'नीतिगत अपडेट की आड़ में ..... अपने शोषणकारी आचरण के कारण' भारत के प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उल्लंघन करती है।
3. इसने महानिदेशक से प्रतियोगिता अधिनियम की धारा 26 (1) के तहत एक एंटी–ट्रस्ट जांच शुरू करने एवं 60 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

नई नीति –

1. त्वरित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की नीतियों की जाँच न केवल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की अपडेटेड शर्तों की बढ़ती हुई जाँच, है। बल्कि बिग टेक कंपनियों के खिलाफ भारतीय अधिकारियों द्वारा विनियामक उपायों की एक श्रृंखला है।
2. हाल ही में जनवरी में, व्हाट्सएप की अपडेट नीति शर्तों को पहली बार उपयोगकर्ताओं के लिए एक इन–ऐप अधिसूचना के माध्यम से घोषित किया गया था, जिससे उन्हें 8 फरवरी तक नई शर्तों से सहमत होने या उनके खातों तक पहुंच खो देने के लिए कहा गया।
3. जैसे ही उपयोगकर्ताओं एवं निजता कार्यकर्ताओं दोनों ने अलार्म बजाया, व्हाट्सएप ने स्पष्ट किया कि व्हाट्सएप बिजनेस के माध्यम से व्यवसायों की मदद करने के लिए परिवर्तन आवश्यक थे। बाद में समय सीमा 15 मई तक बढ़ा दी गई थी।

स्वतः संज्ञान –

1. सीसीआई ने तब व्हाट्सएप के उपयोगकर्ताओं एवं बाजार के लिए नीति एवं शर्तों के संभावित प्रभाव विवरण संज्ञान लेने का फैसला किया।
2. व्हाट्सएप इंडिया, जिसके देश में 53 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, ने कहा कि यह 'एंड–टू–एंड एन्क्रिप्शन के साथ लोगों के व्यक्तिगत संचार की रक्षा करने' के लिए प्रतिबद्ध है।
3. उपयोगकर्ताओं को व्हाट्सएप का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए अन्य फेसबुक कंपनियों के साथ सभी सूचना श्रेणियों में अपने डेटा को साझा करने के संबंध में शर्तों सहित अनिवार्य रूप से नई शर्तों को स्वीकार करने की आवश्यकता होगी।
4. सीसीआई ने कहा कि आयोग प्रथम दृष्टया राय है कि व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति की 'टेक–इट–या–लीव–इट' प्रकृति एवं व्हाट्सएप की सेवा शर्तें एवं बाजार में व्हाट्सएप की मजबुत स्थिति के मद्देनजर एक विस्तृत जांच का विषय है।
5. सीसीआई के आदेशानुसार, व्हाट्सएप ने कहा कि नीति अपडेट में फेसबुक के साथ डेटा साझा करने की क्षमता का विस्तार नहीं किया है एवं व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को 'डेटा कैसे एकत्र करता है, उपयोग करता है एवं शेयर करता है, इस बारे में और अधिक पारदर्शिता प्रदान करना चाहता था'।
6. सीसीआई ने कहा कि जांच के दौरान ऐसे दावों की सत्यता की भी जांच की जाएगी।
7. सीसीआई ने नई गोपनीयता नीति के साथ कई अन्य चिंताओं को इंगित किया है, जिसमें 'पारदर्शिता का अभाव, अस्पष्टता, कई निष्कर्ष निकाल सकने की प्रवृत्ति एवं अधूरे खुलासे' जैसे पहलू शामिल हैं जो वास्तविक डेटा लागत को छुपाते हैं जो उपयोगकर्ता व्हाट्सएप सेवाओं का लाभ उठाता है।
8. यूजर्स को विशिष्ट डेटा साझा करने की शर्तों पर आपत्ति करने या ऑप्ट–आउट करने के विकल्प नही प्रदान किए गए हैं, जो कि व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं के लिए अनुचित प्रतीत होता है।

उच्चतम न्यायालय का अवलोकन –

1. इस वर्ष फरवरी में, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीश–पीठ ने व्हाट्सऐप द्वारा घोषित नवीनतम गोपनीयता नीति अपडेट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।
2. मामले की सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली बेंच ने पाया कि व्हाट्सएप '$ 2–3 ट्रिलियन' मूल्य की कंपनी हो सकती है, लेकिन लोगों की निजता को पैसे से अधिक मूल्यवान है एवं उसकी रक्षा करना अदालत का कर्तव्य।
3. अलग से, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई है, जो व्हाट्सएप को नई नीति अपडेट को लागू करने से रोकना चाहती है।
4. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2011 के आईटी नियमों के उल्लंघन के पांच मामलों का हवाला देते हुए अदालत में अपने हलफनामे में बताया था कि वह इस स्थिति से सहमत हैं एवं अदालत से व्हाट्सएप को निजता नीति में नवीनतम अपडेट के साथ बाजार में आने से रोकने को कहा है।
5. पिछले साल सीसीआई ने गुगल के भुगतान ऐप (गुगल पे) की जाँच के आदेश दिए जो कथित रूप से एप डेवलपर्स को इन–ऐप खरीदारी के लिए अपनी बिलिंग प्रणाली का उपयोग करने के लिए बाध्य करने एवं गुगल पे को भारत में बेचे जाने वाले एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ बंडल करके बाजार में अपनी प्रमुख स्थान का लाभ उठा रहा था।

कोरोनावायरस का डबल म्यूटेंट संस्करण

विवरण –

1. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक अनोखा 'डबल म्यूटेंट' कोरोनावायरस संस्करण – ऐसे म्यूटेशन संयोजनों के साथ जो विश्व भर में और कहीं भी नही देखे गए हैं, के साथ भारत में पाया गया है।
2. हालाँकि, इसे अभी भी स्थापित किया जाना है कि क्या इसमें किसी भी तरह की संक्रामकता को बढ़ाने या कोविड–19 को और अधिक गंभीर बनाने में कोई भूमिका हो।

दो म्यूटेशनों की उपस्थिती –

1. देश भर में 10 प्रयोगशालाओं के एक संघ द्वारा वायरस के नमूनों की एक जीनोम अनुक्रमण, जिसे जीनोमिक्स पर भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्टियम (इन्साकोग) कहा जाता है, ने महाराष्ट्र से कम से कम 200 वायरस के नमूने, साथ ही दिल्ली, पंजाब एवं गुजरात से कुछ नमुनों में दो म्युटेशन, E484Q एवं L452R की उपस्थिति का पता लगाया है।
2. वायरस में म्युटेशन आश्चर्यजनक नहीं हैं, लेकिन विशिष्ट म्युटेशन जो वायरस को टीके या प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करने में मदद करते हैं या मामलों में तेजी से जुड़े होते हैं, चिंता का कारण हैं।
3. जबकि दोनों म्युटेशनों को विश्व स्तर पर SARS-CoV-2 के अन्य वेरिएंट में व्यक्तिगत रूप से पहचाना गया है एवं टीके की प्रभावकारिता में कमी के साथ जुड़े रहे हैं, उनके संयुक्त प्रभाव एवं जैविक प्रभाव अभी तक समझ में नहीं आए हैं।
4. आने वाले दिनों में, इन्साकोग इस वैरिएंट का विवरण GISAID नामक एक वैश्विक रिपॉजिटरी को सौंपेगा एवं, यदि ऊचित पाया जाता है, तो इसे 'वेरिएंट ऑफ कन्सर्न' (VOC) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

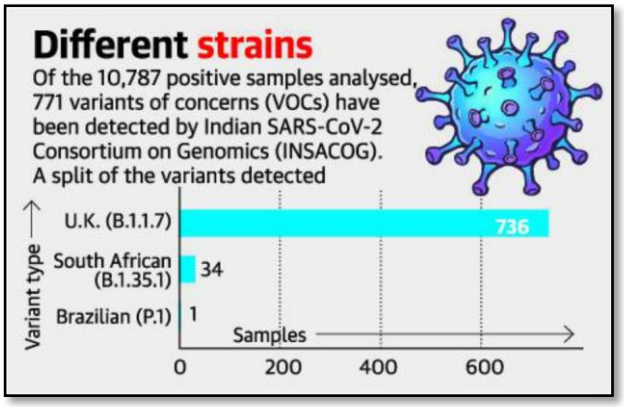

वैक्सीन प्रभाव –

1. भारत ने अभी तक सीमित प्रयोगशाला परीक्षणों को छोड़कर इस बात पर अध्ययन नहीं किया है कि वैक्सीन की प्रभावकारिता कैसे प्रभावित होती है।
2. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों ने टीकों की कम प्रभावकारिता को दिखाया है – विशेष रूप से फाइजर, मॉडर्ना एवं नोवावैक्स द्वारा – निश्चित रूप से। हालांकि, इसके बावजूद टीके काफी सुरक्षात्मक बने हुए हैं।
3. अब तक, केवल तीन वैश्विक वीओसी की पहचान की गई है – अमेरिकी संस्करण (B-1-1-7), दक्षिण अफ्रीकी (B-1-351) एवं ब्राजील (P-1) लाईनेज।
4. अब तक, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से 10,787 नमूनों में से, देश के 18 राज्यों में इन VOCs के 771 उदाहरणों की पहचान की गई है।
5. नए डबल वेरिएंट को GISAID के लिए प्रस्तुत किए जाने के बाद, इसे एक औपचारिक लाईनेज के तहत वर्गीकृत किया जाएगा, एवं इसका अपना नाम होगा।
6. नए संस्करण के लिए अभी तक नए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की आवश्यकता नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा।
7. इसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समान महामारी विज्ञान एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया में वृद्धि, परीक्षण की गहन ट्रैकिंग, सकारात्मक मामलों एवं संपर्कों के त्वरित अलगाव के साथ–साथ राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार की आवश्यकता होगी।
8. अलग–अलग, केरल से जीनोम भिन्नता अध्ययनों ने कोरोनोवायरस के एंटीबॉd. को बेअसर करने में मदद करने की क्षमता से जुड़े अन्य म्युटेशन की उपस्थिति का पता लगाया है।

नागरिक समाज (सिविल सोसायटी) समूहों को विनियमिन

विवरण –

1. प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बाद नागरिक समाज संगठनों को विनियमित करने के लिए एक नीति आयोग समूह एक राष्ट्रीय नीति पर काम कर रहा है।
2. पिछले वर्ष सितंबर में, नीतियोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए नई राष्ट्रीय नीति के गठन के लिए बनाए गए कार्य समूह ने सिफारिशें प्राप्त करना शुरू कर दिया है, जिसमें वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो भी शामिल है।
3. काम करने वाले समूह में आर्थिक मामलों के विभाग के वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स डिवीजन के संयुक्त सचिव एवं काउंटर टेररिज्म एवं काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन/गृह मंत्रालय में आतंकवादी सेल के फंडिंग के संयोजन शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्तर का फ्रेमवर्क –

1. नागरिक समाजों के कामकाज को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई नियामक तंत्र नहीं है।
2. यह नीति आयोग की पहल में से एक है क्योंकि कोई भी मंत्रालय इस पर ध्यान नहीं देता है।
3. नीति आयोग की योजना है कि वे राष्ट्रीय स्तर के ढांचे को स्व–विनियमित करने या नागरिक समाज संगठनों को विनियमित करने की योजना बनाएं जो सरकारी जनादेश का उल्लंघन करते हैं एवं उनके बीच कुछ मानक लाa.
4. विभिन्न अधिनियमों के तहत 32 लाख से अधिक नागरिक समाज संगठन पंजीकृत हैं लेकिन सामाजिक विकास में वास्तविक योगदानकर्ता बहुत कम हैं। हो सकता है कि कुछ 4,000 का जमीन पर कोई प्रभाव हो।
5. हालांकि पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा 2007 से एक नीति इस क्षेत्र लागू है, लेकिन अधिकारीयों के अनुसार नियामक परिवर्धन के कई उल्लंघनों, जिसमें विदेशी अंशदान विनियमन (FCRA) शामिल है, ने एक पुर्नगठित नीति की आवश्यकता को जन्म दिया है।

दर्पण –

1. नीति अयोग ने नागरिक समाज संगठनों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए पीएम की सिफारिश पर 2016 में एक पोर्टल – DARPAN – लॉन्च किया। कर छूट प्राप्त करने के लिए, संगठनों को इस पोर्टल पर एक विशिष्ट आईडी बनानी होगी।
2. 1 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ पोर्टल, सीएसआर, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों एवं FCRA, से धन विवरण डेटा एकत्र करता है।
3. नीति आयोग एनजीओ की परियोजनाओं के जीआईएस मैपिंग पर भी जोर देता है एवं DARPAN 2.0 पर काम कर रहा है।

समीक्षात्मक नीति –

1. पिछले वर्ष, संसद ने एफसीआरए के तहत नए प्रतिबंधों को पारित किया, अन्य उपायों के बीच विदेशी फंड कैप को 20 प्रतिशत तक कम किया।
2. पुरानी नीति को सुधारने की आवश्यकता बताते हुए, सरकारी अधिकारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि ढांचा यह सुनिश्चित करेगा कि भारत सरकार एफएटीएफ के दिशानिर्देशों का पालन करती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवादी वित्तपोषण रोकने के उद्देश्य से एक वैश्विक निकाय है।
3. 2007 की नीति के कई पहलुओं को कभी लागू नहीं किया गया। समूह का लक्ष्य 2007 की नीति के विभिन्न पहलुओं को देखना एवं सरकार एवं नागरिक समाज संगठनों के बीच एक स्वस्थ साझेदारी के लिए सक्षम नीति के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तावित करना है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

4. समूह में ग्रामीण विकास, कानून एवं न्याय गृह मंत्रालय,, गृह मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों के साथ–साथ रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी, टाटा ट्रस्ट, बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, प्रधान, सुलभ इंटरनेशनल, नेशनल एचआरडी नेटवर्क, चैरिटीज एड फाउंडेशन, गिव इंडिया फाउंडेशन, ग्लोबल गिविंग्स एवं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख भी शामिल हैं।
5. कम से कम 30 सदस्यों का एक अलग समूह – सिविल सोसायटी संगठनों की NITI CSO स्थायी समिति एवं अन्य विकास भागीदारों – को पिछले साल अगस्त में चार साल का जनादेश दिया गया था, ताकि 'मौजूदा कानूनों एवं नीतियों में सुधार का सुझाव दिया जा सके' एवं 'सीएसओ के साथ सहभागिता बढ़ सकें"।
6. इसके संदर्भों में – 'जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित ..... स्थायी समिति को सरकार का समर्थन करना चाहिए ।' शामिल हैं
7. इस समूह में बाल अधिकार, स्वास्थ्य एवं मानव तस्करी जैसे विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत 17 उप–समूह हैं।
8. हालाँकि, इस समूह एवं उप–समूहों के कई सदस्य अनजान थे नीति आयोग बनाने में समानांतर नीति बना रही है।

ट्रांसपैरेंसो –

1. प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, नागरिक समाज संगठनों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए नीती अयोग ने 2016 में DARPAN नामक एक पोर्टल लॉन्च किया था। कर छूट प्राप्त करने के लिए, संगठनों को इस पोर्टल पर एक विशिष्ट आईडी बनानी होगी।
2. सरकार को कुछ अध्ययनों से पता चला था कि कुछ गैर सरकारी संगठन अपने धन के डुप्लिकेशन से गबन में लगे हुए थे।
3. इसके कारण, पीएम ने जोर देकर कहा कि एक एकल मंच होना चाहिए जहां सभी गैर सरकारी संगठनों को पंजीकृत होना चाहिa.
4. 1 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ पोर्टल, सीएसआर, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों एवं एफसीआरए के माध्यम से वित्त पोषण विवरण डेटा एकत्र करता है।
5. नीती आयोग एनजीओ की परियोजनाओं की जीआईएस मैपिंग पर भी जोर दे रहा है एवं DARPAN 2-0 पर काम कर रहा है।
6. एक सूत्र ने कहा कि सीएसआर फंडिंग वर्तमान में ज्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु में वितरित की जाती है।
7. कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय अधिकारियों के अनुसार, कॉर्पोरेट्स एवं अन्य फंड प्रदाताओं को सीएसआर फंड चाहने वालों की मदद करने के लिए एक पोर्टल भी बना रहा है।
8. 2007 की नीति में 'स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति' कहा गया था, योजना आयोग ने कहा कि 'इच्छाशक्ति' प्रचलित कानूनों एवं नियमों की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करें एवं जहाँ तक संभव हो, उन्हें उदार एवं तर्कसंगत बनाएँ।
9. इसने स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए 'स्वतंत्र, राष्ट्रीय स्तर, स्व–नियामक एजेंसी' की सिफारिश की।
10. इसने 'सार्वजनिक स्वैच्छिक क्षेत्र में जनता के विश्वास को एवं अधिक सार्वजनिक जांच के लिए खोलकर' की आवश्यकता को भी व्यक्त किया।
11. 2010 में संशोधित होने के बाद, 2015 में गृह मंत्रालय द्वारा एफसीआरए के तहत नए नियमों में यह आदेश दिया गया कि गैर–सरकारी संगठन अन्य नए उपायों के साथ, भारत की अखंडता संप्रभुता को प्रभावित करने वाले विदेशी निधियों को स्वीकार नहीं करे।
12. 2017 में, MHA संशोधनों ने राजनीतिक दलों को एक विदेशी कंपनी की भारतीय सहायक या विदेशी कंपनियों से भारतीयों के स्वामित्व वाले आधे से अधिक शेयरों से धन प्राप्त करने की अनुमति दी।

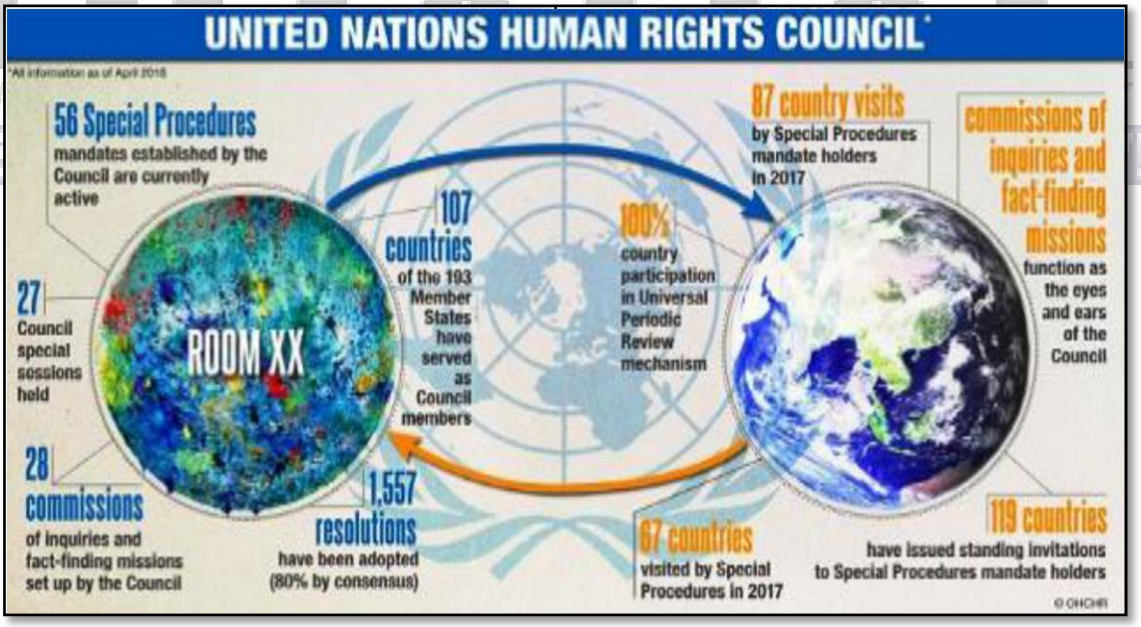

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

यूएनएचआरसी में श्रीलंका पर वोट से भारत अनुपस्थित रहा।

विवरण –

1. भारत हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के अधिकार रिकॉर्ड पर एक महत्वपूर्ण वोट में अनुपस्थित रहा।
2. श्रीलंका में 'समाधान, जवाबदेही एवं मानवाधिकारों को बढ़ावा देने' पर संकल्प को हालांकि, 47 सदस्यीय परिषद के 22 राज्यों द्वारा पक्ष में मतदान करने के बाद अपनाया लिया गया।

अनुपस्थिती –

1. श्रीलंका, जिसने पहले संकल्प को 'राजनीति से प्रेरित' बताया था, देश में, लिट्टे एवं सशस्त्र बलों द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के सबूत इकट्ठा करने एवं संरक्षित करने के संयुक्त राष्ट्र के कदम को खारिज किया था।
2. श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा कि संबंधित देश की सहमति एवं स्वीकृति के बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता है।
3. बयान ने अंतरराष्ट्रीय सबूत इकट्ठा करने एवं जांच तंत्र के माध्यम से युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के संकल्प में परिकल्पित प्रक्रिया के श्रीलंका के प्रतिरोध को स्पष्ट किया गया।
4. युद्ध प्रभावित लोगों के लिए आवंटित धन जो कि अनुमानित $2.8 मिलियन हैं से आवास प्रदान करना इस दिशा में एक बेहतर उपाय होगा, मंत्री ने कहा, जबकि आज भी तमिलों के समुह उनकी सरकार से उनकी जमीन एवं रोजगार की माँग जारी रखे हुए हैं।
5. वोट से पहले, श्रीलंका सरकार एवं तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) दोनों, जो प्रस्ताव पर सटीक विपरीत परिणाम की मांग करते हैं, ने भारत से समर्थन प्राप्त करने की उम्मीद जताई थी।
6. दोनों पक्ष भारत की अनुपस्थिती के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं जिससे प्रभावी रूप से किसी भी पार्टी का समर्थन नही होता है।
7. हालांकि, एक संकेत कि श्रीलंका ने अनुपस्थिती को समर्थन के रूप पाया उनके विदेश मंत्री के भारत, जापान एवं नेपाल सहित 14 देशों, जिन्होंने मतदान में भाग नही लिया, को धन्यवाद देने से झलकता है।

'ठोस समर्थन'–

1. श्रीलंका ने चीन, पाकिस्तान, रूस एवं बांग्लादेश सहित 11 देशों द्वारा दिखाए गए 'ठोस समर्थन' के लिए 'गर्मजोशी से धन्यवाद' दिया, जिसने संकल्प के खिलाफ एवं श्रीलंका सरकार के समर्थन में मतदान किया।
2. दूसरी ओर, परिषद के प्रस्ताव को अपनाने का स्वागत करते हुए, टीएनए ने कहा कि भारत ने विभिन्न कारकों के 'सावधानीपूर्वक विचार' के बाद इसे बंद करने का फैसला किया है।
3. भारत के 'दो मौलिक विचारों' का संदर्भ – समानता, न्याय, गरिमा एवं शांति के लिए तमिलों का समर्थन करना एवं श्रीलंका की एकता, स्थिरता एवं क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करना दोनों पक्षों को प्रोत्साहित करना है।
4. श्रीलंका पर प्रस्ताव में, यूएनएचआरसी के 46 वें सत्र जिसे वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया था के लिए स्थापित असाधारण ई–वोटिंग प्रक्रियाओं का उपयोग करके को पहली बार मतदान किया गया।

2001 एफओ32 क्षुद्रग्रह

संदर्भ –

1. 21 मार्च 2021 को, सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह, पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरा। यह पृथ्वी से 2 मिलियन किमी करीब आया, जिससे खगोलविदों के लिए हमारे सौर मंडल के शुरूआत में बनने वाले इस क्षुद्रग्रह को करीब से देखने का एक अवसर था।
2. इस क्षुद्रग्रह को 2001 FO32 नाम दिया गया है तथा इपके हमारे ग्रह के साथ टकराने का खतरा आने वाले कई सदियों तक नही है।

गति एवं दूरी –

1. तुलना के लिए, तो 2 मिलियन किमी की दूरी (जब यह पृथ्वी से अपनी सबसे करीब दूरी पर है) पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी के 5.25 गुना के बराबर है।
2. फिर भी, यह दूरी खगोलीय शब्दों में करीब मानी जाती है, यही वजह है कि 2001 एफओ 32 को 'संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह' नामित किया गया है।
3. इस बार, 2001 एफओ 32 लगभग 124,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति (पृथ्वी की ओर आने वाले अधिकांश क्षुद्रग्रहों की गति से अधिक) से पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा।
4. क्षुद्रग्रह के पृथ्वी के पास इस असामान्य रूप से तीव्र गति का कारण सूर्य के चारों ओर इसकी अत्यधिक विलक्षण कक्षा है, जो पृथ्वी के कक्षीय तल पर 39° झुकी हुई है।
5. यह कक्षा क्षुद्रग्रह को बुध की तुलना में सूर्य के करीब ले जाती है, एवं मंगल से सूर्य की तुलना में दोगुना दुर।
6. 2001 FO32 जब अपनी आंतरिक सौर प्रणाली की यात्रा करता है तब इसकी गति बढ़ जाती है।
7. बाद में, क्षुद्रग्रह गहरे अंतरिक्ष में वापिस पलटने पर धीमा हो जाता है एवं फिर पलटकर सूर्य की ओर आता है। यह प्रत्येक 810 दिनों (लगभग 2.25 वर्ष) में की सूर्य एक परिक्रमा पूरी करता है।
8. इस बार अपनी संक्षिप्त यात्रा के बाद, 2001 FO32 फिर 2052 तक पृथ्वी के करीब नहीं आएगा, जब यह लगभग सात चंद्र दूरी या 2.8 मिलियन किमी से गुजरेगा।
9. 2001 FO32, हमारे ग्रह के करीब से गुजरने वाला सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह होगा।
10. 29 अप्रैल, 2020 में इपके पहले जो सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह पृथ्वी के करीब से गुजरा था वह 1998 OR2 था। जबकि 2001 FO32 1998 OR2 की तुलना में कुछ छोटा है, यह पृथ्वी के करीब तीन गुना करीब से गुजरा है।

क्षुद्रग्रह का अध्ययन –

1. 21 मार्च की मुलाकात खगोलविदों को क्षुद्रग्रह के आकार एवं अल्बेडो विवरण (यानी इसकी सतह कितनी उज्ज्वल, या प्रतिबिंबित होती है), एवं इसकी संरचना के बारे में अधिक सटीक समझ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

2. जब सूरज की रोशनी किसी क्षुद्रग्रह की सतह से टकराती है, तो उसकी चट्टानों में उपस्थित खनिज कुछ तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करते हैं।
3. सतह से परावर्तित प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके, खगोलविद क्षुद्रग्रह की सतह पर खनिजों के रासायनिक 'फिंगरप्रिंट' को माप सकते हैं।
4. 2001 FO32 के बराबर आकार या उससे बड़े आकार के पृथ्वी के पास से गुजरने वाले करीब 95% क्षुद्रग्रहों को खोजा गया है, ट्रैक किया गया है, एवं कैटलॉग किया गया है।
5. कैटलॉग के बड़े क्षुद्रग्रहों में से किसी के भी अगली शताब्दी तक पृथ्वी को प्रभावित करने का कोई मौका नहीं है।
6. इस बात की संभावना भी नहीं है कि इस आकार के शेष अनदेखे क्षुद्रग्रहों में से कोई भी पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है। फिर भी, उन सभी क्षुद्रग्रहों की खोज जारी रखने का प्रयास जारी है, जो खतरा पैदा कर सकते हैं।

'कॉलेजियम द्वारा भेजी गई सूची पर कोई निर्णय क्यों नहीं' उच्चतम न्यायालय ने सरकार से पूछा

विवरण –

1. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरकार से उच्च न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों के लिए कोलेजियम द्वारा की गई 55 सिफारिशों (जो छह महीने पहले लगभग डेढ़ साल पहले की गई थी) की स्थिति पर स्पष्टीकरण देने को कहा है।
2. लंबित सिफारिशों में से, 44 को कलकत्ता, मध्य प्रदेश, गुवाहाटी, राजस्थान एवं पंजाब उच्च न्यायालय में रिक्तियों को भरने के लिए बनाया गया था।

आवेदन में देरी –

1. ये सिफारिशें सरकार के पास करीब सात महीने से लेकर एक साल से अधिक समय से लंबित हैं।
2. 10 नाम कॉलेजियम द्वारा उनके बार–बार दोहराए जाने के बावजूद सरकार के पास लंबित हैं।
3. इनमें कलकत्ता हाईकोर्ट के लिए शामिल पांच नाम एक साल एवं सात महीने से लंबित हैं। कॉलेजियम द्वारा चार नामों की सिफारिशें दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए हैं जो सात महीने से लंबित है।
4. यह गंभीर चिंता का विषय है। आप कब फैसला लेने का प्रस्ताव रखते हैं? " भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए. बोबडे के नेतृत्व में एक विशेष पीठ ने अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से पुछा।
5. 25 उच्च न्यायालयों में कुल स्वीकृत संख्या 1,080 है। हालांकि, वर्तमान कार्यबल 1 मार्च को 419 रिक्तियों के साथ 661 है।
6. अदालत ने श्री वेणुगोपाल को केंद्रीय न्याय एवं कानून मंत्रालय से पूछताछ करने एवं 8 अप्रैल को उनकी स्थिति विवरण पर बयान देने के लिए कहा है।
7. बेंच ने श्री वेणुगोपाल को एक चार्ट सौंपा, जिसमें 55 सिफारिशों का विवरण था।

समय सीमा तय करना –

1. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने 10 सिफारिशों पर कहा, जिनमें से कुछ एक–डेढ़ साल पहले की तारीख है, कि 'न तो उन्हें नियुक्त किया गया है एवं न ही आप (सरकार) ने हमें कोई जवाब दिया है'।
2. मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति सूर्यकांत के साथ उपस्थित न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि सरकार एवं कॉलेजियम दोनों की 'विचार प्रक्रिया' को सामंजस्य पूर्ण किया जाना चाहिa.

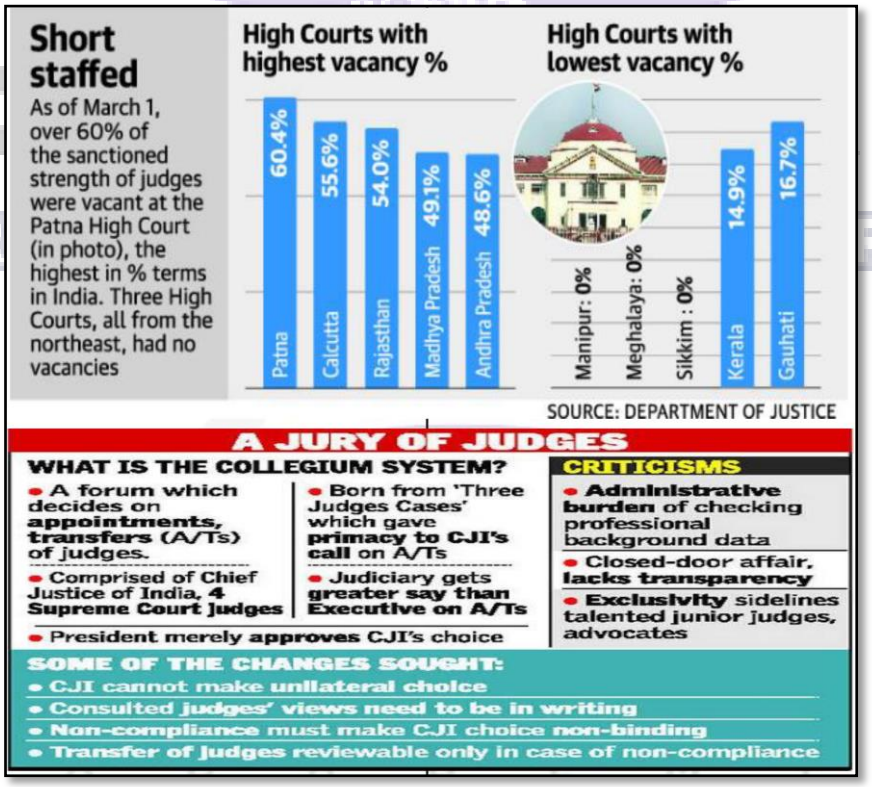

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

3. उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोलेजियम एवं मंत्रालय दोनों के लिए एक समय सीमा तय की जानी चाहिa.
4. वरिष्ठ वकील एवं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों को शीर्ष अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं पर विचार करने के लिए एक प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता है।
5. सर्वोच्च न्यायालय बार–बार उच्च न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियों के बढ़ते खतरे से सरकार को अवगत करा रहा है।

परामर्श का अधिकार

संदर्भ –

1. हाल ही में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मुंबई की एक विशेष अदालत को बताया कि गिरफ्तार सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाज़े, जो अब मुंबई पुलिस से निलंबित है, अपने खिलाफ जांच में सहयोग नहीं कर रहा था एवं पूछताछ के दौरान अपने वकील के मौजूद रहने पर जोर दे रहा था।
2. अलग से वाज़े ने एक आवेदन दायर किया जिसमें उसने चाहा कि वह अपने वकील से निजता में रह सके जबकि वह पुलिस हिरासत में है।

क्या किसी वकील के पास पहुंचना किसी आरोपी का अधिकार है?

1. दुनिया भर में, किसी आरोपी को यातना सहित अन्य साधनों के कारण आत्म–अपमानजनक बयान देने से रोकने के लिए किसी जांच एजेंसी की हिरासत में रहते हुए विभिन्न अधिकार उपलब्ध हैं।
2. दीवानी एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्वेंट किसी अभियुक्त के अधिकारों में, अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताना, उसके खिलाफ आरोप एवं कानूनी सहायता प्रदान करने के अधिकारों की पुष्टि करती है।
3. 'मिरांडा अधिकार' या 'मिरांडा चेतावनी', जैसा कि वे अमेरिका में संदर्भित हैं, एक पुलिस अधिकारी को किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने के लिए सूचित करने की आवश्यकता को बताते है कि उसे पूछताछ करने से पहले सलाह के लिए एक वकील से बात करने एवं पूछताछ के दौरान उसके साथ एक वकील रखने का अधिकार है।
4. भारत में, ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को उपलब्ध सुरक्षा उपाय संविधान में निहित हैं।

एक अभियुक्त के बचाव के अधिकार पर संविधान क्या कहता है?

1. अनुच्छेद 22 (1) प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद के कानूनी पेशेवर द्वारा बचाव के अधिकार से वंचित न रहे।
2. अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है।
3. अनुच्छेद 39A, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जिसमें कहा गया है कि न्याय को सुरक्षित करने के समान अवसर को किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, एवं मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है।
4. आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 d. में कहा गया है कि एक अभियुक्त 'पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार है, हालांकि संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं'।

हिरासत में एक आरोपी से पूछताछ के दौरान वकील की मौजुदगी–

1. कुछ देशों के विपरीत, भारत में वकीलों को अपनी जांच के दौरान एक अभियुक्त के साथ रहने की अनुमति नहीं है।
2. सीआरपीसी की धारा 41 d. के प्रावधानों के अलावा, अदालतें 1997 के d. के बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा करती हैं, गिरफ्तारी या हिरासत के मामलों में जांच एजेंसियों द्वारा निर्देशित सिद्धांतों पर विचार किया जाता है।
3. निर्णय में कहा गया है कि 'एक गिरफ्तार को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं'।
4. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के लिए सुरक्षा उपायों पर जोर दिया, लेकिन 'अपराधों का पता लगाने में कठिनाइयों' की भी बात की, विशेष रूप से 'कट्टर अपराधियों' के मामलों में, एवं फैसला सुनाया कि एक वकील को पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस

संदर्भ –

1. संयुक्त राष्ट्र ने 21 मार्च को 'अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस' के रूप में मनाया, दुनिया भर में हरित आवरण की प्रशंसा की एवं इसके महत्व को दोहराया।
2. 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम 'फॉरेस्ट रिस्टोरेशन – ए पाथ टु रिकवरी एवं वेल बिईंग' है।

अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस क्यों मनाया जाता है?

1. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस (आईडीएफ) घोषित किया।
2. यह दिवस सभी प्रकार के वनों के महत्व को रेखांकित कर जागरूकता बढ़ाता है। इस दिन, देशों को वनों एवं वृक्षों, जैसे वृक्षारोपण अभियानों से संबंधित गतिविधियों को आयोजित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. यह दिवस वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम एवं संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा सरकारों एवं इस क्षेत्र के अन्य संबंधित संगठनों द्वारा मनाया जाता है।

वार्षिक थीम –

1. जंगलों पर सहयोगात्मक साझेदारी द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए विषय चुना जाता है।
2. इस वर्ष का विषय इस बात पर जोर देना है कि वनों की बहाली एवं धारणीय प्रबंधन जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता संकट को दूर करने में कैसे मदद कर सकता है।
3. यह धारणीय विकास के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने में भी मदद कर सकता है, एक रोजगार उत्पन्न करने वाली आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देता है एवं जीवन को बेहतर बनाता है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

4. अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र बहाली (2021–2030) पर संयुक्त राष्ट्र के फैसले में फिट होना है, जो दुनिया भर के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए कार्य करता है।

वनों का महत्व –

1. वन पृथ्वी की भूमि के एक तिहाई हिस्से को कवर करते हैं, जो दुनिया भर में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। 2,000 से अधिक स्वदेशी संस्कृतियों सहित लगभग 1.6 बिलियन लोग अपनी आजीविका, दवाओं, ईंधन, भोजन एवं आश्रय के लिए जंगलों पर निर्भर हैं।
2. वन भूमि पर सबसे अधिक जैविक–विविध पारिस्थितिक तंत्र हैं, 80 प्रतिशत से अधिक जानवरों, पौधों एवं कीड़ों की स्थलीय प्रजातियों का घर है।
3. इन सभी पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य लाभों के बावजूद, प्रति वर्ष 13 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट होने के साथ वैश्विक वनों की कटाई खतरनाक दर पर जारी है।
4. जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाले वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 12 से 20 प्रतिशत तक वनों की कटाई के कारण होता है।

अनंगपाल II

संदर्भ –

1. सरकार ने हाल ही में 11 वीं शताब्दी के तोमर राजा, अनंगपाल II की विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिए एक महाराजा अनंगपाल II स्मारक समिति का गठन किया है।
2. दिल्ली को उसका वर्तमान नाम देने एवं उसे फिर से बसाने वाले महाराजा को उसका श्रेय देने के लिए, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण – जो संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है – इतिहासकारों, शिक्षाविदों एवं पुरातत्वविदों के कार्यों द्वारा लोगों के सामने 'सही इतिहास' पेश करने के लिए एक मिशन पर काम कर रहा है।

अनंगपाल द्वितीय/ अनंगपाल तोमर कौन थे?

1. वे तोमर वंश से संबंधित थे जिसने 8 वीं एवं 12 वीं शताब्दी के बीच वर्तमान दिल्ली एवं हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था।
2. अनंगपाल I (जिन्होंने 8 वीं शताब्दी में तोमर वंश की स्थापना की थी) की राजधानी के अनंगपुर (फरीदाबाद के पास) में शुरू होने के बाद यह कई बार बदली, अनंगपाल II के शासनकाल के दौरान ढिल्लिकापुरी (दिल्ली) में राजधानी स्थापित हुई।
3. इस क्षेत्र में पाए गए कई शिलालेखों एवं सिक्कों में तोमरन शासन के बारे में उल्लेख हैं एवं उनके वंश का पता पांडवों (महाभारत के) तक लगाया जा सकता है।
4. अनंगपाल तोमर II के पोते पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्हें तराइन (वर्तमान हरियाणा) के युद्ध में घुरिद बलों द्वारा पराजित किया गया था जिसके बाद 1192 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी।

उनका दिल्ली से क्या संबंध है –

1. ग्याहरवीं शताब्दी में अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली को स्थापित एवं आबाद करने का श्रेय अनंगपाल II को दिया जाता है।
2. वे इंद्रप्रस्थ को आबाद करने एवं इसे अपना वर्तमान नाम , दिल्ली देने में सहायक थे।
3. 11 वीं शताब्दी में सिंहासन पर चढ़ने के दौरान यह क्षेत्र खंडहर था, यह वह क्षेत्र है जहा लाल कोट किला एवं अनंगताल बावली का निर्माण किया गया है।
4. वह ढिल्लिकापुरी के संस्थापक थे, जो अंततः दिल्ली बन गया।
5. तोमर एवं उनके दिल्ली से संबंध का उल्लेख कुछ आधुनिक साहित्य में भी मिलता है।
6. केए निजामी की उर्दू पुस्तक, एहदे–ए–वुस्ता की दिल्ली, अंग्रेजी में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दिल्ली के रूप में अनुवादित, दिल्ली को छह शताब्दियों में (1300 से 1800 तक) देखता है।
7. दिल्ली के पूर्ववर्ती इलाकों का पता लगाते हुए, निजामी ने फारसी घोषणाओं को संदर्भित किया जो इसे 'इंद्रपत' के रूप में वर्णित करते हैं। एवं फिर भी, उनकी पुस्तक के अनुसार, दिल्ली औपचारिक रूप से केवल 11 वीं शताब्दी में एक शहर के रूप में उभरा, जब तोमर राजपूतों ने पहाड़ी अरावली क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।

प्रत्येक व्यक्ति को कम पानी पर रहना पड़ सकता है क्योंकि प्रति व्यक्ति जलाशय की क्षमता कम हो रहो है – संयुक्त राष्ट्र

संदर्भ –

1. प्रति व्यक्ति निर्मित जलाशय क्षमता विश्व स्तर पर कम हो रही है क्योंकि जलाशय का विस्तार जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख पाया है – संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट
2. 22 मार्च, 2021 को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया।

विवरण –

1. जबकि दुनिया की आबादी 2040 तक नौ बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, अनुमानित जलाशय की मात्रा 7,000 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास स्थिर है।
2. वर्ष 2000 के बाद से स्थिर प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जबकि जनसंख्या बढ़ रही थी।

जलाशयों की कमी के कारण –

1. तलछट के कारण मौजूदा जलाशयों की भंडारण क्षमता में कमी
2. अवसादन के कारण कृत्रिम जलाशय के भंडारण में हानि निवेश पूंजी पर मूल्यह्रास दर में वृद्धि करती एवं इसलिए, निवेश पर रिटर्न कम हो जाता है।
3. वे मुख्य रूप से बेहतर कैचमेंट प्रबंधन के लिए प्रकृति–आधारित समाधानों के माध्यम से कार्यान्वित किये जाने वाले तलछट उन्मूलन उपायों के मूल्य में भी वृद्धि करते हैं।

प्रभाव –

1. कृत्रिम झीलों एवं जलाशयों को मूल नदी से वाष्पीकरण की तुलना में वाष्पीकरण से भी काफी नुकसान होता है।
2. ऐसा गर्म शुष्क क्षेत्रों में औसत से अधिक होने की उम्मीद की जा सकती है, जहाँ कि पानी की कमी पहले से ही होती है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

आगे की राह –

1. भंडारण के तुलनात्मक मूल्य को पहचानना, या प्राकृतिक प्रणालियों का संयोगात्मक उपयोग करना, जिसमें न केवल वे स्थान जहां अधिकांश भंडारण वास्तव में होता है, बल्कि उन स्थानों पर भी जहाँ धारणीय तरीकों से भंडारण के मुख्य अवसर मिल सकते हो को शामिल करना।
2. मांग के कम होने के मूल्य को पहचानना
3. सुधार भूमि प्रबंधन या जल पुर्नपयोग जैसे उपायों के माध्यम से आपूर्ति में वृद्धि
4. विकेंद्रीकृत समाधानों का उपयोग करना

मुजीब एवं सुल्तान कबूस को गांधी शांति पुरस्कार, पुरस्कार उनके दूरदर्शी नेतृत्व को मान्यता देता है – संस्कृति मंत्रालय

संदर्भ –

1. संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर्रहमान एवं ओमान के पूर्व सुल्तान, दिवंगत काबू बिन सईद अल सैद को क्रमशः 2020 एवं 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2. रहमान को 'अहिंसक एवं अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता' के लिए चुना गया है।
3. सुल्तान कबूस – महामहिम सुल्तान कबूस एक दूरदर्शी नेता थे जिनकी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में संयम एवं मध्यस्थता की जुड़वां नीति ने उन्हें दुनिया भर में प्रशंसा एवं सम्मान दिलाया।
   1. एच. एम. सुल्तान कबूस भारत एवं ओमान के बीच विशेष संबंधों का सूत्रधार थे। उन्होंने भारत में अध्ययन किया था एवं हमेशा भारत के साथ एक विशेष संबंध बनाए रखा।
   2. इस पुरस्कार ने भारत एवं ओमान के बीच संबंधों को मजबूत करने एवं खाड़ी क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को उनके नेतृत्व को मान्यता दी।
4. मंत्रालय ने कहा कि इस पुरस्कार में, 1 करोड़ रूपये, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका एवं पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा की वस्तु शामिल है।

उप्र मप्र ने केन–बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए

संदर्भ –

1. **केन एवं बतवा लिंकिंग** – उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य की सरकारों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे केन एवं बेतवा नदियों को जोड़ने एवं पानी की कमी वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई एवं बिजली की व्यवस्था संबंधी एक लंबे समय से रुकी हुई बहु–करोड़, विवादास्पद परियोजना को के आगे बढ़ने की उम्मीद है।

रूकावटें –

1. **पन्ना रिज़र्व** – परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व का आंशिक हिस्सा पानी में डुब जाएगा जिससे वहाँ रहने वाले गिद्धों एवं सियारों के आवास को प्रभावित होंगे। वर्षों के विरोध के बाद, हालांकि, इसे 2016 में सर्वोच्च वन्यजीव नियामक, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ द्वारा मंजूरी दे दी गई थी।
2. मॉनसून ब्लूज – फिर, राज्यों में इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि पानी कैसे साझा किया जाएगा, विशेषकर गैर–मानसून महीनों में।
3. इस परियोजना में मध्य प्रदेश में केन नदी से अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश में बेतवा में स्थानांतरित करना एवं दोनों राज्यों के बुंदेलखंड क्षेत्र में 3.64 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना शामिल है।
4. धौधन बाँध – इस परियोजना में 77 मीटर लंबा एवं 2 किमी चौड़े, धौधन बांध एवं 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण शामिल है।
5. यह प्रभावित करता है कि पूरी योजना कैसे वित्त पोषित है। केंद्र को मूल रूप से लागत का 90% (2018 में 37,611 करोड रूपये) का वित्तपोषण करना था लेकिन अंतिम निर्णय अभी भी बकाया है।
6. हालाँकि, यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश पानी का एक बड़ा हिस्सा चाहता था लेकिन मध्यप्रदेश इसके लिए तैयार नहीं था। इस कारण पानी के बंटवारे पर एक समझौता जो 2018 से तैयार था पर हस्ताक्षर में देरी की।

फिलीपींस ने चीन पर विवादित समुद्र में 'घुसपैठ' का आरोप लगाया

संदर्भ –

1. 200 से अधिक सैनिक नौकाओं के दक्षिण चीन सागर में एक विवादित चट्टान के पास देखे जाने के बाद फिलीपींस ने अपने पड़ोसी महाशक्ति चीन पर घुसपैठ का आरोप लगाया है।
2. फिलीपींस के तट रक्षकों ने 7 मार्च को पलावन द्वीप के पश्चिम में 320 किमी (175 समुद्री मील) के आस–पास बुमरेंग आकार के व्हिट्सन रीफ में 'लाइन फॉर्मेशन' में नावों को पाया।
3. अमेरिका ने पहले चीन पर लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को लेकर 'अन्य देशों को डराने, धमकाने' के लिए समुद्री सेना के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

दक्षिण चीन सागर का विवरण –

1. यह चीन के दक्षिण में, वियतनाम के पूर्व एवं दक्षिण में, फिलीपींस के पश्चिम में एवं बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित है।
2. सीमावर्ती राज्य एवं क्षेत्र – द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चीन (ताइवान), फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर एवं वियतनाम।
3. यह ताइवान स्ट्रेट द्वारा पूर्वी चीन सागर एवं लूजॉन स्ट्रेट द्वारा फिलीपींस सागर के साथ जुड़ा हुआ है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

दक्षिण चीन सागर का महत्व–

1. यहाँ कई शोल्स, भित्तियाँ, प्रवाल द्वीप, एवं द्वीप पाए जाते हैं। पेरासेल द्वीप समूह, स्प्रैटली आइलैंड्स एवं स्कारबोरो शोल सबसे महत्वपूर्ण हैं।
2. हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के बीच कनेक्टिंग लिंक (स्ट्रेट ऑफ मलक्का) होने के कारण यह समुद्र जबरदस्त रणनीतिक महत्व रखता है।
3. वैश्विक शिपिंग का एक तिहाई इससे होकर गुजरता है। अरबों रूपयों का व्यापार होता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक जल निकाय बनाता है।
4. इस समुद्र में पूरे विश्व की समूद्री जैवविविधता का एक तिहाई हिस्सा है। यह समूद्र कई प्रकार की मछलियों का घर है जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को महत्वपूर्ण भोजन सुरक्षा प्रदान करती है।
5. इसके समूद्र तल के नीचे विशाल तेल एवं गैस भंडार है।

टीबी उन्मूलन पर चर्चा करने के लिए वेबिनार

संदर्भ –

1. टीबी उन्मूलन पर एक वेबिनार – ट्यूबरकॉलोसिस – द क्लॉक इज़ टिकिंग' द हिंदू द्वारा आयोजित एवं मैकलॉड्स द्वारा प्रस्तुत वेलनेस सीरीज के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया।

क्षय रोग का विवरण –

1. भारत में कुल विश्व के 27% मामले हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यह हवा के माध्यम से फैलता है। यह अन्य बीमारियों की नकल करता ह जिससे डॉक्टर भ्रमित हो जाते है एवं निदान में देरी होती है। खांसते वक्त कफ में रक्त टीबी में ही आता है। डॉक्टर टी.b.. के बारे में तब तक नही सोचते हैं जब तक कि अन्य उपचार विफल नही होते हैं।
2. भारत पहले से अनुमानित टीबी के मरीजों की अपेक्षा नए टीबी मरीजों की संख्या अधिक है – 2015 में, संपूण विश्व के 10 मिलियन की तुलना में लगभग 2.8 मिलियन।
3. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार –
   1. डीआर–टीबी – दवा प्रतिरोधी (ड्रग रेज़िजटेंट) टीबी – कुल के 28% मामलें में एक या दूसरी टीबी–विरोधी–दवा का प्रतिरोध था।
   2. एमडीआर–टीबी – 6.19% में बहु–दवा प्रतिरोध (मल्टी ड्रग रेज़िजटेंट) टीबी– लगभग 1.5 लाख मामले थे।
   3. एक्सडीआर टीबी– चरम दवा प्रतिरोध टीबी (एक्सट्रीम ड्रग रेज़िजटेंट टीबी) 2,666 मामले बड़े पैमाने पर दवा प्रतिरोधी हैं, सभी ज्ञात चिकित्सा के लिए प्रतिरोधी।
   4. पूर्णतः दवा प्रतिरोधी टीबी (टीडीआर–टीबी) – सभी 1 – एवं 2 – लाइन टीबी दवाओं के लिए प्रतिरोधी। 211 मामले प्रति लाख। (5 प्रति लाख पश्चिम यूरोप में) – उन्मूलन के लिए हमारा लक्ष्य 2025 तक 1 प्रति लाख मामले का है।
4. एसडीजी वैश्विक उन्मूलन लक्ष्य 2030 है।
5. सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल – प्रत्येक देश जिसने टीबी की घटनाओं को कम किया है, ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को अपनाया है। पहचान ही बचने की कुंजी है।

कार्यक्रम एवं योजनाएं –

1. टीबी उन्मूलन की राष्ट्रीय महत्वकांक्षी योजना या राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) – राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017–15 के अनुसार। इस कार्यक्रम का उद्धेश्य 'भारत को टीबी मुक्त' करना है।
2. निक्षय अभियान – कार्यक्रम के चार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं का प्रावधान – यह टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।
3. टीबी समाप्त करने के लिए मास्को घोषणा 2017, टीबी समाप्त करने के लिए पहली मंत्रीस्तरीय बैठक
4. डब्ल्यूएचओ टीबी समाप्ति रणनीति – लक्ष्य 2035। मृत्यु में 95% की कमी, टीबी की घटना दर में 90% की कमी, 0 कैटोस्ट्रॉफिक कॉस्ट।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

संयुक्त राज्य अमेरिका – भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव (USIAI) शुरू

IUSSTF की USIAI पहल –

1. यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI सहयोग पर केंद्रित है जो दोनों देशों की प्राथमिकताएं हैं।
2. USIAI द्विपक्षीय AI अनुसंधान एवं विकास सहयोग के अवसरों, चुनौतियों एवं बाधाओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा, AI नवाचार को सक्षम करेगा, AI कार्यबल विकसित करने के लिए विचारों को साझा करने में मदद करेगा, एवं साझेदारी को उत्प्रेरित करने के लिए मोड एवं तंत्र की सिफारिश करेगा।

IUSSTF का विवरण –

1. इंडो–यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम (IUSSTF) एक द्विपक्षीय संगठन है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत की सरकारों एवं यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स द्वारा वित्त पोषित है।
2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी को देश में 25 मिशन हब के नेटवर्क के माध्यम से बढ़ाया एवं कार्यान्वित किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर–फिजिकल सिस्टम्स (NM-ICPS) के तहत ट्रिपल हेलिक्स के रूप में काम कर रहा है।

भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विज्ञान एवं तकनीकी संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता –

1. यू.एस. इंडिया इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (USIAI), दोनों देशों की समस्याओं को हल करने एवं इंडो–यू. एस. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम को शुरू करने वाली समस्याओं को हल करने के लिए है।
2. विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भारत–अमेरिका संबंध' बहुत पुराने है, जिससे दोनों देशों को बहुत लाभ हुआ है। हमें इसे भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इसमें प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। हमने भारत में विकास के लिए बाधाओं की पहचान की है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं।

सरकार द्वारा एसेट मोनेटाईज़ेशन

संदर्भ –

1. परिसंपत्ति की बिक्री के माध्यम से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये जुटाने के आक्रामक लक्ष्य को पूरा करने के लिए, सरकार ने सड़कों, बिजली ट्रांसमिशन, तेल एवं गैस पाइपलाइनों, एवं टेलीकॉम टावरों, खेल स्टेडियमों सहित अन्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की योजना तैयार की है। शॉर्टलिस्ट की गई संपत्ति आठ मंत्रालयों के दायरे में आती है।
2. एसेट मोनेटाइजेशन – यह गैर–अधिकृत या अल्प सार्वजनिक संपत्तियों के आर्थिक मूल्य को अनलॉक करके सरकार के लिए राजस्व के नए स्रोत बनाने की प्रक्रिया है।
3. राष्ट्रीय विमुद्रीकरण पाइपलाइन – नीती आयोग वित्त वर्ष 2011–24 के लिए एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन तैयार करने की प्रक्रिया में है एवं उसने मंत्रालयों को पाइपलाइन में शामिल की जाने वाली परिसंपत्तियों की जानकारी की पहचान करने एवं साझा करने के लिए कहा है।
   a. एसेट मोनेटाइजेशन के लिए सचिवों के एक कोर ग्रुप ने पिछले महीने 2021–22 में विमुद्रीकरण के लिए पहचानी गई संपत्तियों की सूची पर चर्चा की।
   b. परिसंपत्तियों की बिक्री दो वर्षों में होगी।
   c. योजना में निजी खिलाड़ियों को 150 यात्री ट्रेनें प्रदान करना, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एवं हैदराबाद हवाई अड्डों को संचालित करने वाले संयुक्त उद्यमों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इक्विटी हिस्सेदारी का विभाजन एवं राष्ट्रीय राजधानी में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसे स्टेडियमों को पट्टे पर देना, शामिल है।

ASSET MONETISATION PLAN

Ministry	Target 2021-22	Assets
Railways	₹90,000 cr	50 stations, 150 private passenger trains
Telecom	₹40,000 cr	Telecom assets of BSNL, MTNL and Bharatnet
Road Transport and Highways	₹30,000 cr	Road length of over 7,000 km
Power	₹27,000cr	Transmission assets of Power Grid
Youth Affairs and Sports	₹20,000 cr	Sports stadia
Civil Aviation	₹20,000 cr	13 airports of AAI. AAI's stake in Delhi, Mumbai, Bangalore and Hyderabad airports
Petroleum & Natural Gas	₹17,000 cr	Pipelines of GAIL, IOCL and HPCL
Shipping, Ports and Waterways	₹4,000 cr	Over 30 berths

4. कारण –
   a. पीएम प्राइवेट सेक्टर पर जोर देते हैं।
   b. कर राजस्व में कमी।
   c. सरकार को कल्याण एवं विकास परियोजना में खर्च करने की आवश्यकता है।

दिल्ली– दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी

संदर्भ –

1. दिल्ली को एक नई रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में स्थान दिया गया है, रिपोर्ट में भारत को 2020 के लिए 106 देशों में से तीसरी सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले देश के रूप में रखा है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

2. अन्य शहर – दिल्ली के बाद ढाका एवं उलानबाटार (मंगोलिया) थे। दक्षिण एशिया में, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, भिवाड़ी एवं नोएडा को शीर्ष पांच प्रदूषित क्षेत्रीय शहरों के रूप में उद्धृत किया गया है, जो सभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं।
3. स्विस प्रौद्योगिकी कंपनी IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, में उल्लेख किया गया है कि विश्व के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 भारत में हैं।
4. भारत के वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में शामिल हैं – परिवहन, खाना पकाने के लिए बायोमास जलाना, बिजली उत्पादन, उद्योग, निर्माण, अपशिष्ट जल, एवं आवधिक कृषि अवशेषों का जलाना।
5. 2019–20 के दौरान व्यापक वायु गुणवत्ता में सुधार के बावजूद, भारत में वायु प्रदूषण अभी भी खतरनाक रूप से अधिक है। भारतीय शहर वार्षिक PM 2.5 रैंकिंग में हावी है।
6. यह अनुमान है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण का 20% से 40% हिस्सा पंजाब के खेत की आग से उत्पन्न होता है।

डीएफआई पर अधिक स्पष्टता – केंद्रीय बजट 2021–22 में घोषित की गई

विकास वित्तीय संस्थान (DFI) का विवरण –

1. यह अवसंरचना एवं बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए उत्प्रेरक एवं प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है। इसे 20,000 करोड़ रुपये का वित्त दिया गया है।
   a. 3 वर्ष में प्रस्तावित d.एफआई के तहत 5 लाख करोड़ रुपये का उधार पोर्टफोलियो बनाया जाएगा।
   b. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा ऋण वित्तपोषण को InvITs एवं REITs के विधेयकों में संशोधन करके सक्षम किया जाना चाहिa.

2. वित्त मंत्री द्वारा अधिक जानकारी–
   a. प्रबंधन – DFI को 10 साल के टैक्स–हॉलिडे के साथ कम से कम 50% गैर–आधिकारिक सदस्यों वाले एक पेशेवर बोर्ड द्वारा प्रबंधित करने का प्रस्ताव है।
   b. निवेश – d.एफआई 100% सरकारी हिस्सेदारी के साथ शुरू होगा, जिसे बाद में 26% तक लाया जाएगा। सरकार शुरू में 5,000 करोड़ रूपये लगाएगी एवं बाद में इसे 20,000 करोड़ रूपयों तक बढ़ाएगी।
   c. कर लाभ – इस संस्था के कुछ कर लाभ होंगे जो इसे दिए जा रहे हैं।
3. दिसंबर 2019 तक, 6,000 से अधिक ब्राउनफील्ड एवं ग्रीनफील्ड परियोजनाएं थीं जिनके लिए धन की आवश्यकता थी।

2011–15 एवं 2016–20 के बीच भारत के हथियारों का आयात 33% घटा – सिपरी

सिपरी रिपोट –

1. स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के बाद भारत दूसरा सबसे बड़े हथियार आयातक बना रहा। भारत के हथियारों के आयात में 2011–15 एवं 2016–20 के बीच 33% की कमी आई।
2. 2011–15 एवं 2016–20 के बीच हथियारों के आयात में समग्र गिरावट मुख्य रूप से इसकी जटिल एवं लंबी खरीद प्रक्रियाओं के कारण प्रतीत होती है, जो हथियारों के आपूर्तिकर्ताओं के अपने नेटवर्क में विविधता लाकर रूसी हथियारों पर निर्भरता को कम करने के प्रयासों के साथ संयुक्त है, – रिपोर्ट
3. रूस – रिपोर्ट ने कहा कि रूस दोनों अवधियों में हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। 'हालांकि, रूस की डिलीवरी दो अवधियों के बीच 53% घट गई एवं भारतीय हथियारों के आयात में इसकी हिस्सेदारी 70 से 49% तक गिर गई।'
4. यूएसए – यह 2011–15 में भारत को दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था, लेकिन 2016–20 में अमेरिका से भारत के हथियारों का आयात पिछले पांच साल की तुलना में 46% कम था, जो 2016–20 में अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था।
5. फ्रांस एवं इसरायल – 2016–20 में दूसरे एवं तीसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांस से भारत के हथियारों का आयात 709% बढ़ा है, जबकि इजराइल से 82% बढ़ा है। लड़ाकू विमान एवं उससे संबद्ध मिसाइलें कुल हथियारों के आयात का 50% से अधिक रहे हैं।

SIPRI या स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का विवरण –

1. यह थिंक टैंक संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण एवं निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है।
2. इसकी स्थापना 1966 में स्टॉकहोम (स्वीडन) में हुई थी।
3. यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया एवं इच्छुक जनता को खुले स्रोतों के आधार पर डेटा, विश्लेषण एवं सिफारिशें प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री ने 17 वीं सदी के अहोम जनरल लाचित बोरोफुकन को स्वतंत्रता सेनानी बताया

संदर्भ –

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने 12 मार्च को 'आजादी का अमृत महोत्सव' उद्घाटन समारोह में" देश की आजादी में योगदान करने वाले अन्य लोगों के साथ बोरफुकन का नाम लिया। इस कार्यक्रम को ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मनाया गया।

बोरोफुकन का विवरण –

1. लाचित बोरफुकन (24 नवंबर 1622 – 25 अप्रैल 1672) वर्तमान भारत के असम, भारत में स्थित अहोम साम्राज्य में एक कमांडर एवं बोरफुकन (फु–कोन–लूंग) थे, जिन्हें 1671 में सरायघाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता था, जिसने रामसिंह प्रथम की कमान में आहोम राज्य पर अधिकार करने आई मुगल सेना को थर्रा दिया था।
2. सरायघाट की लड़ाई – बोरफुकन ने 1671 में मुगलों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक नदी पर सबसे बड़ी नौसेना लड़ाई मानी जाने वाली सरायघाट की लड़ाई में अहोमों का नेतृत्व किया था।
3. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होने से लगभग दो शताब्दी पहले अप्रैल 1672 में उनका निधन हो गया।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

ऑनलाइन राष्ट्रीय प्लेसमेंट पंजीकरण (एनपीआर) फार्म –

a. केंद्र जनगणना अधिकारियों द्वारा डोर–टू–डोर एन्यूमरेशन शुरू करने से एक महीने पहले निवासियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से एनपीआर फॉर्म में कॉलम भरने की अनुमति देगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, निवासियों को एक संदर्भ कोड मिलेगा जिसे वे फील्ड एन्युमरेटर के उसके पास आने पर उसे दे सकते हैं।

b. कोई बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी – प्रतिवादी का विवरण जनगणना अभ्यास करने के लिए घर में विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन कोई 'बायोमेट्रिक्स जानकारी' एकत्र नहीं की जाएगी।

c. जनगणना का प्रथम चरण – NPR को अपडेट करने के साथ हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस को 1 अप्रैल, 2020 से आयोजित किया जाना था। इस महामारी के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था एवं इस साल आयोजित होने की संभावना नहीं है।

d. जनगणना का दूसरा चरण – जनसंख्या गणना – इस वर्ष 5 मार्च तक समाप्त होनी थी। निवासियों को केवल दूसरे चरण (जनसंख्या गणना) में आत्म गणना के लिए एक विकल्प दिया जाना था। एनपीआर इससे पहले वर्ष 2010 एवं 2015 में संग्रहित किया गया था एवं इसमें 119 करोड़ से अधिक निवासियों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है।

e. एनपीआर का अपडेट – वर्ष 2019–20 के लिए हाल ही में प्रकाशित गृह मंत्रालय (एमएचए) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, एनपीआर डेटाबेस को अपडेट करने के लिए तीन–आयामी दृष्टिकोण होगा।
   1. स्वयं को अपडेट करना, जिसमें निवासियों को एक वेब पोर्टल में कुछ प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद, अपने स्वयं के डेटा को अपडेट करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।
   2. पेपर फॉरमेट में एनपीआर डेटा का अपडेट एवं
   3. मोबाइल मोड।

नौकरशाह राज्य चुनाव आयुक्त नहीं हो सकते – उच्चतम न्यायालय

संदर्भ –

1. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्र व्यक्तियों, एवं सरकारी कर्मचारियों चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाना चाहिa.
2. न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन के नेतृत्व वाली एक पीठ ने एक निर्णय में कहा कि सरकारी कर्मचारियों को चुनाव आयुक्त के रूप में अतिरिक्त प्रभार देना संविधान का मखौल उड़ाना है।
3. खंडपीठ ने कहा कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं बनाया जा सकता है एवं उन्होंने राज्यों को चुनाव आयोगों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्यप्रणाली की संवैधानिक योजना का पालन करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि पैनलों की स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है।
4. 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम – भारत का संविधान राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त, अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए मतदाता सूची तैयार करना, एवं सभी पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव (अनुच्छेद 243के, 243ZA) करवाना शामिल है।

हिंद महासागर में एनआईआ (राष्ट्रीय आर्थिक संगठन) अनुसंधान

संदर्भ –

a. पणजी में NIO के वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं की एक 30–सदस्यीय टीम एवं इसके अनुसंधान पोत सिंधु साधना के एक अन्य 30 चालक दल के सदस्य, अगले तीन महीने हिंद महासागर में 10,000 से अधिक समुद्री मील की दूरी तय करते हुए सेलुलर स्तर पर महासागर के आंतरिक कामकाज को प्रकट करने की एक शोध परियोजना पर कार्य करेंगे।

b. उद्धेश्य – जैव रसायन विज्ञान एवं महासागर की जलवायु परिवर्तन, पोषण तनाव एवं बढ़ते प्रदूषण की प्रतिक्रिया को समझना।

c. NIO की अनुसंधान परियोजना –
   1. 30 वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं की टीम – जिसमें छह महिलाएं शामिल हैं – भारत के पूर्वी तट से हिंद महासागर से होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक, फिर वापिस आते वक्त मॉरीशस में पोर्ट लुई से होते हुए पाकिस्तान की सीमा तक, भारत के पश्चिमी तट की ओर, जीनोम मैपिंग के लिए सूक्ष्मजीवों की नमूने इकट्ठा करेगर।
   2. शोधकर्ता समुद्र के विभिन्न हिस्सों से लगभग 5 किमी की औसत गहराई पर नमूने एकत्र करेंगे।
   3. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए) एवं रिबोन्यूक्लिक एसिड (आरएनए) के मानचित्रण से उनमें मौजूद पोषक तत्व, एवं उन तत्वों की जिनकी उनमें कमी है का पता चलेगा।

d. वैज्ञानिक समुद्र में इस जीनोम मैपिंग से सीखते हैं –
   1. इससे वैज्ञानिकों को हिंद महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र के आंतरिक कामकाज को समझने में मदद मिलेगी।
   2. अनुसंधान वैज्ञानिकों को आरएनए में परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले कारकों, महासागरों में डीएनए एवं उन्हें प्रभावित करने वाले विभिन्न तनावों की पहचान करने में सक्षम करेगा।
   3. समुद्र में कई सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे नाइट्रेट, सल्फेट्स एवं सिलिकेट्स, लौह अयस्क एवं जस्ता जैसे खनिज एवं कैडमियम या तांबे जैसी धातुएं हैं।
   4. जीनोम मैपिंग वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की उनकी प्रतिक्रिया के अलावा, इन रोगाणुओं की उपस्थिति को दिखाएगा। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि समुद्र के किस हिस्से में किस खनिज या तत्व की अधिक सांद्रता है।

e. **महत्व –**
   1. भविष्य में मानव लाभ के लिए हिंद महासागर का उपयोग करने के लिए समुद्रों के डीएनए, आरएनए पुस्तकालय के बड़े पूल का उपयोग किया जाएगा।
   2. यह वाणिज्यिक जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की बढ़ती संख्या में वृद्धि कर सकता है, एंटीवायरल अणुओं के लिए कई एंटीकैंसर उपचारों से सौंदर्य प्रसाधन एवं औद्योगिक एंजाइमों तक फैला हुआ है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

3. यह वर्गीकरण एवं अनुकूली क्षमता में नई अंतर्दृष्टि पैदा करेगा जो संरक्षण प्रयासों को अनुकूलित करने में मदद कर सकता है।

f. उद्देश्य –
1. ट्रेस धातुओं एवं समुद्री पौधे एवं पशु जीवन के मध्य अंतःक्रियाओं अध्ययन करना।
2. कैडमियम या तांबे जैसी ट्रेस धातुओं को महाद्वीपीय रन–ऑफ, वायुमंडलीय डिपोसीशन, जलतापीय गतिविधियों एवं महाद्वीपीय शेल्फ बातचीत के माध्यम से महासागरों को आपूर्ति की जाती है। वे महासागर उत्पादकता के लिए आवश्यक हैं।
3. 'पोषक सायक्लिंग एवं महासागरों की उत्पादकता विवरण समग्र समझ रखने के लिए', समुद्री बायोटा के साथ ट्रेस मेटल्स की अंतःक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है ।
4. NIO की परियोजना से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े जल निकाय हिंद महासागर जो पृथ्वी के पानी की सतह का लगभग 20 प्रतिशत है, के अपरिवर्तित क्षेत्रों से ट्रेस धातुओं विवरण नई जानकारी उत्पन्न होने की उम्मीद है।

स्कूलों में नाश्ते की योजना में देरी

मध्य दिवस की योजना का विस्तार –
1. शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सभी सरकारी स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा परिकल्पित मिड–डे मील योजना के विस्तार के हिस्से के रूप में आगामी शैक्षणिक वर्ष में मुफ्त नाश्ता प्रदान करना शुरू करें।
2. विभाग ने अपने पैनल में प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसने 2021–22 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के दो नए घटकों का प्रस्ताव दिया था – वर्तमान कक्षा 1–8 के छात्रों के साथ–साथ प्राथमिक छात्रों को भी शामिल करने के लिए कवरेज का विस्तार, एवं नाश्ते का प्रावधान।

धन के कमी की समस्या –
1. शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि फंडिंग की गंभीर कमी के कारण पहल में देरी हो सकती है।
2. वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, मुफ्त नाश्ते में, 4,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट शामिल होगा, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष लगभग 5,000 करोड़ रूपये के बजट की कटौती की है।

मध्याह्न भोजन योजना का विवरण –
1. योजना – कक्षा एक से पांच में नामांकित सभी बच्चों को 300 कैलोरी + 12 ग्राम प्रोटीन के साथ मिड डे मील दिया जाता है।
2. इतिहास – भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा (एनपी–एनएसपीई) के लिए पोषण कार्यक्रम का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। 1997–98 तक यह योजना देश भर में लागू हो गई थी।
3. पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (खाद्य मामले का अधिकार) –
   1. खाने का अधिकार एक व्युत्पन्न मौलिक अधिकार – जब अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39 (a) (आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार) एवं अनुच्छेद 47 (पोषण एवं अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार एवं जनता का सुधार के बीच स्वास्थ्य इसके प्राथमिक कर्तव्य) के साथ पढ़ा जाता है तो खाने का अधिकार एक व्युत्पन्न मौलिक अधिकार है।
   2. एफसीआई के पास रखा अतिरिक्त खाद्य भंडार भूखे नागरिकों को खिलाया जाना चाहिए इसमें प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना शामिल था।

मध्याह्न भोजन में समस्याएँ –
1. खराब भोजन के मामले
2. धोखा–धड़ी की रिपोर्टें।
3. पक्षपात एवं भेदभाव
4. धन की कमी

डस्टलिक– II में सेना के आतंकवाद–रोधी कौशल

डस्टलिक–II अभ्यास –
a. यह 10–19 मार्च तक भारत एवं उज्बेकिस्तान के बीच हुआ, सेना ने अपने काउंटर इंसर्जेंसी (CI) एवं काउंटर टेररिज्म (CT) कौशल का प्रदर्शन किया।
   1. एक रक्षा सूत्र ने कहा कि इस साल फोकस जन–केंद्रित खुफिया आधारित सर्जिकल संचालन पर था, जिसमें संपार्श्विक क्षति को कम करने के लिए तकनीकी प्रगति शामिल थी।
   2. लक्ष्य – अभ्यास का उद्देश्य सीआई, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) जनादेश के तहत पहाड़ी, ग्रामीण एवं शहरी परिदृश्यों में सीटी ऑपरेशन एवं सेना कश्मीर में प्राप्त अनुभवों एवं सबक को साझा करेगी।
   3. बताया गया है कि सीआई में बहुत सी तकनीक को शामिल किया गया है, सीटी ऑपरेशन एवं दक्षता काफी हद तक बढ़ गई है, जो संपार्श्विक क्षति को कम करने में भी मदद करता है, जिसे शोकेस भी किया जाएगा।
b. भारत के पास अगले वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले संयुक्त अभ्यासों की एक श्रृंखला है जिसमें मध्य एशियाई गणराज्य – किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया एवं रूस शामिल हैं।
c. उज्बेकिस्तान का महत्व –
   1. मध्य एशियाई क्षेत्र एवं ईरान के लिए सुरक्षा एवं कनेक्टिविटी के लिए उज्बेकिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण है।
   2. यह भारत के लिए अफगानिस्तान का विकल्प है।
   3. सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट, जिसे चीन के साथ 1962 के युद्ध में अपनी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए रेजांग ला बटालियन भी कहा जाता है, को कंपनी स्तर सीआई, सीटी अभ्यास के लिए भारतीय पक्ष से नामित किया गया है, जो उत्तराखंड में रानीखेत के पास चौबटिया में आयोजित किया जा रहा है।

2019 में यूएपीए मामलों में 72% से अधिक वृद्धि

संदर्भ –
a. वर्ष 2015 की तुलना में 2019 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या में 72% से अधिक की वृद्धि हुई है – लोकसभा में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा प्रदान किए गए डेटा।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

b. मामलों की संख्या – 2019 में, सबसे अधिक ऐसे मामले मणिपुर (306) में दर्ज किए गए, उसके बाद तमिलनाडु (270), जम्मू एवं कश्मीर (255), झारखंड (105) एवं असम (87) मामले दर्ज किए गए।

c. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, "यूएपीए के तहत मामले राज्य पुलिस एवं राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जाँच किए जाते हैं। जहां तक एनआईए का सवाल है, अब तक देश भर में 48 विशेष अदालतों का गठन आतंकवाद से संबंधित मामलों के त्वरित परीक्षण के लिए किया गया है।"

d. **यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) विवरण** – यह उन आतंकवादियों को परिभाषित करता है जिससे एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) अपनी जांच में सक्षम हो पाता है –
   1. आतंकवादी संगठन – केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती है यदि वह –
      1. आतंकवाद के कार्यों के करता है या भाग लेता है,
      2. आतंकवाद के लिए तैयारी करता है,
      3. आतंकवाद को बढ़ावा देता है,
      4. या अन्यथा आतंकवाद में शामिल है।
   2. आतंकवादी व्यक्ति – यह सरकार को उसी आधार पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।
   3. एनआईए द्वारा जांच –
      1. डीएसपी या एसीपी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा आयोजित की सकती है।
      2. यह मामलों की जांच के लिए इंस्पेक्टर या एनआईए के ऊपर के अधिकारियों को अधिकार देता है।

पानी की आपूर्ति टैप करें

संदर्भ – केवल आधे सरकारी स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों में नल से पानी की आपूर्ति होती है।

a. जल संसाधन मंत्रालय – संसदीय स्थायी समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2020 में 100% कवरेज के लिए 100–दिवसीय अभियान के बावजूद, केवल आधे सरकारी स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों में नल से पानी की आपूर्ति होती है।

b. राज्य स्तर के आँकड़े –
   1. उत्तर प्रदेश में 8% से कम स्कूल एवं
   2. पश्चिम बंगाल में 11% एवं
   3. असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं बंगाल में 26% आंगनवाड़ियां।
   4. केवल सात राज्यों में 100% कवरेज – आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना एवं पंजाब।

c. आंगनवाड़ी एवं आश्रमशाला या आवासीय आदिवासी स्कूल कार्यक्रम गांधी जयंती 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। 100 दिनों की अवधि 10 जनवरी, 2021 को समाप्त हो जानी चाहिए थी। हालांकि, 15 फरवरी तक, केवल 48.5% आंगनवाड़ियों एवं 53.3% स्कूलों में नल की आपूर्ति थी।

भारत की कॉरिडोर पर चाबहार बंदरगाह चाहता है

संदर्भ –

a. भारत चाहता है कि चाबहार बंदरगाह को 13–अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) में शामिल किया जाए जो भारत से रूस तक फैला हो, एवं अफगानिस्तान एवं उज्बेकिस्तान सहित INSTC सदस्यता का विस्तार करे – विदेश मंत्री ने कहा।

b. INSTC जो ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह बंदर अब्बास से होकर गुजरती है, में चाबहार के होने का सर्मथन करते हुए, श्री जयशंकर ने प्रस्ताव दिया कि काबुल एवं ताशकंद के रास्ते भूमि INSTC के 'पूर्वी गलियारे' का निर्माण करेगी।

c. अफगानिस्तान से एक पूर्वी गलियारे की स्थापना इसकी क्षमता को अधिकतम करेगी। भारत ने चाबहार को INSTC मार्ग में शामिल करने का भी प्रस्ताव दिया है।

d. ईरान का दृष्टिकोण – यह कहते हुए कि चाबहार क्षेत्र की 'भू–अर्थव्यवस्था' को बदल देगा, ईरान के सड़क मंत्री एवं शहरी विकास मंत्री मोहम्मद असलम ने परियोजना को विकसित करने में भारत से सहायता की मांग की, दोनों के माध्यम से बंदरगाह पर क्रेन एवं अन्य उपकरणों के साथ–साथ चाबहार–जाहेदान रेलवे परियोजना के लिए रेल पटरियों, सिग्नल एवं स्विचिंग उपकरण का प्रावधान है। पिछले नवंबर में एक पत्र में, ईरान ने भारत को इस परियोजना के लिए 2018 में ईरानी राष्ट्रपति रूहानी की दिल्ली यात्रा के दौरान दी गई $ 150 मिलियन की क्रेडिट लाइन को सक्रिय करने के लिए कहा था।

INSTC विवरण –

1. यह मूल रूप से सेंट पीटर्सबर्ग में 2000 में भारत, ईरान एवं रूस के बीच तय किया गया था, एवं बाद में 10 अन्य मध्य एशियाई एवं पश्चिम एशियाई देशों में शामिल थे – अजरबैजान आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया एवं बुल्गारिया एक पर्यवेक्षक।
2. यह माल परिवहन के लिए जहाज, रेल एवं सड़क मार्ग के 7,200 किलोमीटर लंबे मल्टी–मोड नेटवर्क को लागू करता है, जिसका उद्देश्य भारत एवं रूस के बीच गाड़ी की लागत को लगभग 30% तक कम करना एवं 40 दिनों से पारगमन समय को आधे से अधिक कम करना है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ओटीटी प्लेटफार्मों को विनियमित करने के नए नियम कमजोर हैं

संदर्भ –

1. सोशल मीडिया के लिए नई दिशानिर्देश – सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021, जिसमें सरकार ने आयु उपयुक्तता के आधार पर सामग्री को पांच श्रेणियों में स्व–वर्गीकरण निर्धारित किया है। ओटीटी प्लेटफार्मों को लागू करने की आवश्यकता होगी –
   1. यू / ए 13 + या उच्चतर के रूप में वर्गीकृत सामग्री के लिए पैरेंटल लॉक, एवं
   2. 'ए' के रूप में वर्गीकृत सामग्री के लिए विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र।
2. वेब श्रृंखला 'तांडव' के निर्माताओं के खिलाफ विभिन्न एफआईआर।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

3. वर्तमान सुनवाई 'तांडव' के मामले में थी, जिसमें सरकार ने नए नियमों विवरण अदालत को सूचित किया था।

b. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि OTT (ओवर–द–टॉप) प्लेटफार्मों को विनियमित करने के लिए सरकार के नए नियमों में उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने के नियम कमजोर हैं।
   1. श्री तुषार मेहता (भारत के सॉलिसिटर जनरल) ने ओटीटी प्लेटफार्मों विवरण अदालत द्वारा उठाए गए चिंताओं को दूर करने के लिए नए नियमों या यहां तक कि कानून को तैयार करने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। 'हम यह बना सकते हैं ... हम एक मसौदा के साथ आ सकते हैं एवं इसे अदालत के समक्ष रख सकते हैं।'
   2. प्रभाव – ओटीटी के प्रावधानों विवरण इन नियमों में और संशोधन किया जा सकता है या नया कानून लाया जा सकता है।

ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020

संदर्भ – ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के तहत रैंकिंग की घोषणा एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों एवं एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए के लिए की गई थी। यह जीवन की गुणवत्ता एवं शहर में शहरी विकास के लिए विभिन्न पहलों के प्रभाव के आधार पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मूल्याकित किया जाता है।

a. 2020 में किए गए मूल्यांकन अभ्यास में 111 शहरों ने भाग लिया।
b. विश्लेषण उन्हें इसमें वर्गीकृत करता है –
   1. मिलियन + श्रेणी - एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर एवं
   2. स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम के तहत एक मिलियन से कम आबादी वाले शहर।

c. मिलियन + श्रेणी –
   1. शीर्ष प्रर्दशनकर्ता – बेंगलुरु शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा
   2. पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयंबटूर, वडोदरा, इंदौर एवं ग्रेटर मुंबई इसके पीछे रहे हैं।

d. मिलियन से कम श्रेणी–
   1. शीर्ष प्रर्दशनकर्ता – शिमला को सर्वोच्च स्थान दिया गया था
   2. इसके बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावणगेरे एवं तिरुचिरापल्ली हैं।

e. नगरपालिकाओं के लिए रैंकिंग – EoLI सूचकांक के समान, MPI 2020 के तहत मूल्यांकन ढांचे ने नगरपालिकाओं को उनकी जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया है – मिलियन + (एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिका) एवं मिलियन से कम जनसंख्या।
   1. मिलियन + श्रेणी में, इंदौर सबसे अधिक रैंक वाली नगरपालिका के रूप में उभरा है, इसके बाद सूरत एवं भोपाल हैं।
   2. कम से कम मिलियन की श्रेणी में, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) नेता के रूप में उभरी है, इसके बाद तिरुपति एवं गांधीनगर हैं।

IISc दुनिया के शीर्ष 100 प्राकृतिक विज्ञान विश्वविद्यालयों में

विवरण –

a. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण के अनुसार, भारत के शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान किए जा रहे, 25 कार्यक्रम – ज्यादातर इंजीनियरिंग में – अपनी विषयवार सबजेक्ट कैटेगरी में, दुनिया के शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त है। पिछले साल यह संख्या 26 थी।
b. प्राकृतिक विज्ञान श्रेणी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जैक्ट 2021 के शीर्ष 100 में स्थान बनाया।
c. व्यापक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी श्रेणी में, केवल तीन संस्थानों, IIT बॉम्बे, दिल्ली एवं मद्रास, ने पिछले साल पांच संस्थानों की तुलना में शीर्ष 100 में स्थान बनाया। आईआईटी खड़गपुर एवं कानपुर शीर्ष 100 से बाहर हो गए।
d. दिल्ली विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान था, जो 48 स्थान गिरकर शीर्ष 200 से बाहर हो गया।
e. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) जीवन विज्ञान एवं चिकित्सा में शीर्ष 300 में एकमात्र संस्थान रहा, लेकिन 10 से अधिक स्थान गिरा।

QS (Quacquarelli Symonds) विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग विवरण –

1. यह चार संकेतक का उपयोग करता है – शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, प्रति पेपर पर शोध उद्धरण, एवं एक वैज्ञानिक या विद्वान के प्रकाशित कार्य की उत्पादकता एवं प्रभाव को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला सूचकांक।
2. संस्थानों को पांच व्यापक श्रेणियों के अनुसार, साथ ही 51 विशिष्ट विषयों में स्थान दिये जाते हैं।

वन धन विकास योजना – जवाध के आदिवासियों को सशक्त बनाना

ट्राइफेड – ट्राईबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया – ग्रामीण कनेक्ट पहल के तहत, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जमीनी स्तर पर आदिवासी आबादी के उत्थान के लिए पहल की जा रही है –

1. इन कार्यक्रमों एवं पहलों को भारत को आत्मनिर्भर अभियान के तहत आत्मनिर्भर बनाने, आदर्श वाक्य, गो वोकल फॉर लोकल गो ट्राइबल – मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम, के साथ TRIFED द्वारा लागू किया जाता है।
2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एवं एमएफपी योजना के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र, स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

मलयाली जनजातियां –

1. तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में स्थित, जाधु पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का विस्तार है। वे इस ब्लॉक में कुल आबादी का 92.60% हैं एवं उनका मुख्य आधार गैर–लकड़ी वन उपज एवं विभिन्न प्रकार के पेड़ों के माध्यम से है।

वन धन विकास केंद्रों की पहल का विवरण –

1. उद्देश्य – आदिवासी सभा एवं कारीगरों के एमएफपी केंद्रित केंद्रित आजीविका विकास को बढ़ावा देना।
2. यह जमीनी स्तर पर एमएफपी के अलावा प्राथमिक स्तर मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देकर आदिवासी समुदाय को बढ़ावा देता है।
3. महत्व – इस पहल के माध्यम से, गैर–इमारती लकड़ी के उत्पादन की मूल्य श्रृंखला में आदिवासियों की हिस्सेदारी वर्तमान 20% से बढ़कर लगभग 60% होने की उम्मीद है।

हिमालयन सीरो असम में देखा गया

संदर्भ –

1. यह एक स्तनपायी है, कहीं एक बकरी एवं एक मृग के बीच का, इसे असम में देखा जाने वाला सबसे नया प्राणी होने की पुष्टि की गई है।
2. पक्षी देखने वालो पूर्वी असम के डिब्रुशिकोवा नेशनल पार्क के पास मागुरी मोटापुंग आर्द्रभूमि में रंगीन मंदारिन बतख को पाया है। इस बतख को 118 साल पहले असम में देखा गया था।

हिमालयन सीरो विवरण –

1. हिमालयन सीरो (मकरिस सुमत्रेनेसिस थार) मेनलैंड सीरो की एक उप प्रजाति है, जो हिमालय के मूल निवासी है।
2. पहले इसे अपनी प्रजाति माना जाता था, जैसे कि मकरिस थार।
3. हिमालयन सीरो ज्यादातर काले रंग का होता है, जिसमें फ्लेक्स, हेंडक्वार्टर एवं ऊपरी पैर होते हैं जो लाल रंग के होते हैं, इसके निचले पैर सफेद होते हैं।
4. यह CITES परिशिष्ट में सूचीबद्ध है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021

संदर्भ – शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का फील्ड मूल्यांकन लॉन्च किया।

2014 में लॉन्च होने के बाद से स्वच्छ भारत मिशन–शहरी (एसबीएम–यू) की उपलब्धियां –

1. स्वच्छता – 4360 शहरी ULB को ODF, 2158 शहरों को ODF + एवं 551 शहरों को ODF + + प्रमाणित घोषित किया गया है। इसके अलावा, 66 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय एवं 6 लाख से अधिक सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण/निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 2900 शहरों में लगभग 60,000 शौचालयों को गुगल मानचित्र पर लाइव किया गया है।
2. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट – 97% वार्डों में 100% डोर–टू–डोर कलेक्शन है जबकि कुल कचरे का 68% प्रोसेस किया जा रहा है।

ODF, ODF + एवं ODF + + श्रेणियों विवरण –

1. ओडीएफ – खुले में शौच मुक्त। वे शहर जिन्हें आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ओडीएफ के रूप में प्रमाणित किया गया है।
2. ओडीएफ + एवं ओडीएफ + + का उद्देश्य शौचालय सुविधाओं के समुचित रखरखाव एवं सुरक्षित संग्रह, उपचार, उपचार एवं सभी मल कीचड़ एवं मल का निपटान है।
3. ओडीएफ + - जब शौचालय बनाए रखे जाते हैं। यह पानी, रखरखाव एवं स्वच्छता के साथ शौचालय पर केंद्रित है।
4. ODF ++ - जब सीवेज सिस्टम संचालित होते हैं। यह कीचड़ एवं सेप्टेज प्रबंधन के साथ शौचालय पर केंद्रित है।

स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण –

1. केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी लंबित है।
2. यह उन सभी शहरों में सीवेज प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा जिनकी आबादी 1 लाख से कम है।
3. स्रोत पर कचरे का अलगाव एक प्रमुख फोकस होगा।
4. मिशन 'सफाइमित्रों' के लिए 'पुलिसकर्मियों की तरह' वर्दी बनाने की योजना बना रहा है, यह कहते हुए कि 'उन्होंने कोविड–19 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।'

प्रेरक दार सम्मान पुरस्कार –

1. राज्य रैंकिंग के अनुसार, ODF, ODF + एवं ODF ++ स्थिति के आधार पर दें।
2. इसमें दिव्या (प्लेटिनम), अनुपम (स्वर्ण), उज्जवल (रजत), ऊदित (कांस्य), एवं आरोही (तांबा/आकांक्षी) की श्रेणियां शामिल हैं।

PSLV-C51 / Amazonia-1 मिशन

संदर्भ –

- इसरो द्वारा ब्राजील के मुख्य पेलोड अमेज़ोनिया–1 उपग्रह (एक 600 किलोग्राम उपग्रह) को लॉंच करना, दोनों देशों के बीच लगभग दो दशक पहले शुरू हुए, अंतरिक्ष सहयोग में एक नया उच्च बिंदु अंकित करता है।
- इस प्रक्षेपण को श्रीहरिकोटा में ब्राजील के विज्ञान मंत्री, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, मार्कोस पोंट्स एवं ब्राजील स्पेस एजेंसी (AEB) के प्रमुख एवं अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (INPE) के प्रमुखों ने देखा।

PSLV का विवरण –

- PSLV को ISRO के कार्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। भारत में लगभग सभी व्यावसायिक लॉन्च PSLV द्वारा किए जाते हैं।

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का विवरण –

1. ISRO द्वारा एंट्रिक्स का एक प्रतियोगी लॉन्च किया गया है। भारत सरकार के पूर्णतः स्वामित्व में एवं डॉस के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत इसे 6 मार्च 2019 को स्थापित किया गया।
2. यह इसरो केंद्रों एवं डॉस की घटक इकाइयों के अनुसंधान एवं विकास कार्यों का व्यावसायिक उपयोग करेगा।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

3. इसे अपने उद्देश्यों के एक भाग के रूप में निम्नलिखित भूमिकाओं एवं कार्यों को करने के लिए शामिल किया गया है –
   1. लघु उपग्रह प्रौद्योगिकी उद्योग में स्थानांतरण, जिसमें NSIL DOS / ISRO से लाइसेंस प्राप्त करेगा एवं इसे उद्योगों को उप–लाइसेंस देगा,
   2. निजी क्षेत्र के सहयोग से लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (एसएसएलवी) का निर्माणय,
   3. भारतीय उद्योग के माध्यम से पीएसएलवी का उत्पादन,
4. प्रक्षेपण एवं अनुप्रयोग सहित अंतरिक्ष आधारित उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन एवं विपणन,
5. इसरो केंद्र एवं डॉस की घटक इकाइयों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण,
6. भारत एवं विदेश दोनों क्षेत्रों में स्पिन–ऑफ प्रौद्योगिकियों एवं उत्पादों/सेवाओं का विपणन

   स्पिन–ऑफ प्रौद्योगिकियां वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियां हैं जो किसी एजेंसी के अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा विकसित या सुधार की गई हैं एवं हर जगह लोगों को लाभान्वित करती हैं। उदाहरण के लिए ISROSIL, 1983 में ISRO द्वारा ट्रेडमार्क किए गए उच्च सिलिका कपड़े का एक प्रकार है, जिसका उपयोग अब विभिन्न उद्योगों में इन्सुलेशन एवं थर्मल संरक्षण के लिए किया जाता है।

इसरो की मार्केटिंग रणनीति में हालिया सुधार

संदर्भ –

a. भविष्य के बाजार के लिए तैयारी – भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) – एक नियामक एजेंसी – के गठन के साथ ही निजी अंतरिक्ष संस्थाओं के बीच विवादों को स्थगित करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की योजना है, भविष्य में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के बाज़ार में अवसरों के तेजी से बढ़ने की संभावना है।

b. एनएसआईएल की जिम्मेदारियां एंट्रिक्स (ISRO की वाणिज्यिक शाखा, जो ISRO की ओर से निजी उपग्रह निर्माताओं से संबंधित ऑर्डर लेती हैं) से बिल्कुल अलग कैसे हैं, इस पर अभी भी भ्रम है।

c. निजी क्षेत्र की भागीदारी –
   i. यह वर्तमान में इसरो के लिए प्रक्षेपण एवं उपग्रह बुनियादी ढांचे के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अब कई कंपनियां हैं जो असंख्य सेवाएं प्रदान करती हैं।
   ii. इनमें से कई कंपनियां अपने–अपने उपग्रहों को अलग–अलग आयामों में लॉन्च करना चाहती हैं, एवं इसरो के साथ अनुभव हमेशा सहज नहीं रहा है।

d. चुनौतियाँ –
   i. मुकदमेबाजी – सबसे अधिक संदिग्ध देवास मल्टीमीडिया से जुड़ा विवाद रहा है, जिसके कारण भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के ट्रिब्यूनल के एक आदेश के अनुसार लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का भुगतान किया है एवं एक संयुक्त राज्य संघीय अदालत ने पिछले साल इसे बरकरार रखा है।
   ii. समाधान –यह भी कहा जाता है, कि NSIL, भारत में अंतरिक्ष उद्योग द्वारा देवस–एंट्रिक्स विवाद के नतीजों से भारत में अंतरिक्ष उद्योग की संभावनाओं को स्थापित करने के लिए एक कदम है।

e. एनएसआईएल से इसरो की प्रौद्योगिकियों के केवल एक बाजार प्रतिनिधी होने से अधिक की उम्मीद की जाती है।

f. इसे खुद को एक भारतीय राजदूत के रूप में देखना चाहिए एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में विघटनकारी होना चाहिए।

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) का विवरण – निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए एक स्तर का खेल मैदान प्रदान करना। यह प्रोत्साहित करने वाली नीतियों एवं एक अनुकूल विनियामक वातावरण के माध्यम से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों को बढ़ावा देगा एवं मार्गदर्शन करेगा।

सिमलीपाल जंगल की आग, एवं यह चिंता का विषय क्यों है

संदर्भ – यह एक प्रतिवर्ष होने वालीघटना है, लेकिन वर्षा के शीघ्र आ जाने के कारण नियंत्रण में आ जाती हैं।

i. ग्रीष्मकाल की शुरुआत एवं शरद ऋतु के अंत की ओर वन क्षेत्र जंगल की आग की चपेट में रहता है।
ii. यह अवधि वन क्षेत्रों में पर्णपाती जंगलों के पत्ते गिराने की होती है। गिरी हुई पत्तियाँ आग पकड़ने के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं एवं पूरे वन क्षेत्र में इन जंगल की आग को फैलने की सुविधा प्रदान करती है।

सिमलीपाल का विवरण – जिसका नाम 'सिमुल' (रेशम कपास) के पेड़ से लिया गया है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व है जो ओडिशा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है।

i. यहाँ ऑर्किड की 94 प्रजातियां एवं पौधों की लगभग 3,000 प्रजातियों का निवास है। जीवों की पहचान की गई प्रजातियों में उभयचरों की 12 प्रजातियां, सरीसृपों की 29 प्रजातियां, पक्षियों की 264 प्रजातियां शामिल हैं।
ii. गांवों के करीब, जंगल की सीमा के किनारे के इलाकों में कुल 399 फायर पॉइंट की पहचान की गई है। उन सभी पर ध्यान दिया गया है एवं आग को अब नियंत्रण में लाया गया है।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा, भारत अगले दो वर्षों में रेशम उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा –

संदर्भ –

a. समझौता ज्ञापन – केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) ने कपड़ा मंत्रालय के तहत एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने रेशम क्षेत्र में कृषि वानिकी के कार्यान्वयन के लिए एक अभिसरण मॉडल (एसएमएएफ) के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए ।

b. लक्ष्य – किसानों को कृषि आधारित कृषि मॉडल लेने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे मेक इन इंडिया एवं मेक फॉर द वर्ल्ड का योगदान हो।

c. महत्व – यह लिंकेज उत्पादकों को तेजी से धन वापसी के लिए एग्रोफोरेस्ट्री में एक और आयाम जोड़ देगा एवं साथ ही भारत के प्रसिद्ध रेशम की रेंज के उत्पादन का समर्थन करेगा।
   i. मंत्री ने कहा कि भारत अगले दो वर्षों में रेशम उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा।
   ii. देश में कच्चे रेशम का उत्पादन पिछले छह वर्षों में 35% बढ़ा है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

iii. कच्चे रेशम उत्पादन में 90 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।

d. SMAF (एग्रोफोरेस्ट्री पर उप–मिशन)

i. उद्देश्य – किसानों को जलवायु लचीलेपन एवं आय के अतिरिक्त स्रोत के लिए कृषि फसलों के साथ–साथ बहुउद्देशीय पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ अन्य लकड़ी आधारित एवं हर्बल उद्योग के लिए फीडस्टॉक को बढ़ाना।

ii. सेरीकल्चर क्षेत्र में सहयोग को औपचारिक बनाने की पहल को विशेष रूप से सेरीकल्चर होस्ट प्लांट्स के संर्वधन के लिए लक्षित किया जाता है जैसे – शहतूत, आसन, अर्जुन, सोम, सल्लू, केसरू, बडेससेरु, फनाट, आदि को खेत की भूमि पर ब्लॉक बागान एवं सीमा या परिधीय वृक्षारोपण दोनों के रूप में खेती की जाती है।

दुर्लभ बीमारी

a. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को उपचार एवं चिकित्सा के विकल्प उपलब्ध कराने के तरीकों पर समयबद्ध समाधान खोजने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है, जो सरकार को निर्देश दे रही है कि वे उपचार की अत्यधिक लागत के मद्देनजर उन्हें निर्बाध मुफ्त उपचार प्रदान करें।

b. उच्च न्यायालय का निर्देश दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए आया –

1. डचेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) – एक ऐसी स्थिति है जो पीड़ित में मांसपेशियों की कमजोरी का कारण बनती है।
2. हंटर के सिंड्रोम – एक दुर्लभ बीमारी जो परिवारों में पारित हो जाती है। यह ज्यादातर लड़कों को प्रभावित करती है एवं उनका शरीर एक प्रकार की चीनी जो हड्डियों, त्वचा एवं अन्य ऊतकों को बनाती को नहीं बना पाता है।

c. दुर्लभ बीमारी का विवरण – एक दुर्लभ बीमारी वह बीमारी है जो आबादी के छोटे प्रतिशत को प्रभावित करती है।

1. अधिकांश दुर्लभ रोग आनुवांशिक होते हैं, एवं किसी व्यक्ति के पूरे जीवन में मौजूद होते हैं, भले ही लक्षण तुरंत प्रकट न हों।
2. ये लक्षणों एवं संकेतों की एक विस्तृत विविधता की विशेषता है जो न केवल रोग से बीमारी के लिए, बल्कि रोगी से उसी रोग से पीड़ित रोगी के लिए भिन्न होते हैं।

CHAHAL ACADEMY
LEARN TODAY! LEAD TOMORROW!

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

मुख्य परीक्षा – सामान्य अध्ययन

न्यायिक पितृसत्ता को लक्षित कर, न्यायाधीश को नहीं

संदर्भ –

1. थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन (2018) एवं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट (2019) के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश के रूप में वर्ष 2019 में कुल 32,032 बलात्कार के मामले दर्ज हुए जो औसतन प्रतिदिन 88 घटनाओं के बराबर थे।
2. भारत के लिए चुनौती एवं चिंता प्रत्येक घंटे है, जहाँ महिलाओं के खिलाफ प्रति घंटे 39 अपराध दर्ज होते हैं जिसमें से चार बलात्कार के होते हैं हैं। 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के चार लाख मामले सामने आए एवं बलात्कार के मामलों में एक दशक में 88% की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट (2019) –

1. 2019 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 2018 (3,78,236 मामले) की तुलना मे में 7.3% की वृद्धि हुई।
2. आईपीसी के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के अधिकांश मामलों को 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (30.9%) के तहत दर्ज किया गया, इसके बाद 'महिलाओं पर हमला करने उनके शील का अपमान' (21.8%), 'अपहरण एवं महिलाओं का अपहरण' '(17.9%) एवं' बलात्कार (7.9%) रहे।
3. 2018 के 58.8 की तुलना में 2019 में प्रति लाख महिला जनसंख्या में पंजीकृत अपराध दर 62.4 है।

लैंगिक असंवेदनशीलता भारत –

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश, एस ए बोबडे द्वारा हाल ही में एक सरकारी कर्मचारी जिस पर 16 साल के एक बच्चे के साथ बार–बार बलात्कार एवं यातना के आरोप थे को जमानत देने की व्यापक रूप से आलोचना की गई हालाँकि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अब बलात्कार के आरोपियों को शादी का सुझाव देने से इनकार कर दिया है।
2. चिंताजनक मुद्दा यह है कि कानूनी रूप से, बलात्कार एक कम्पाऊँडेउ अपराध भी नहीं है एवं पार्टियों को समझौता करने की अनुमति नहीं है।
3. वास्तविक समस्या यह है कि इस तरह के टालने योग्य बयान हमारे न्यायाधीशों एवं समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता को दर्शाते हैं। ये कथन हमारी लैंगिक असंवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हैं।
4. भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा है वह 2017 के मोदी सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दिए हलफनामे के समान था। आरएसएस ने भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने का विरोध किया था।
5. न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (2013), जिसे दिल्ली सामूहिक बलात्कार (2012) के बाद गठित किया गया था, ने कहा था कि बलात्कार को महिला की शुद्धता या कौमार्य के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि उसकी शारीरिक अखंडता एवं यौन स्वायत्तता का उल्लंघन माना जाना चाहिए।
6. यह स्वायत्तता स्थायी रूप से विवाह में प्रवेश करके नहीं खो सकती है। बलात्कार, बलात्कार होता है चाहे, संबंध कुछ भी हो।

न्यायपालिका में उच्च स्तर पर – (निर्णय)

1. न्यायाधीशों के पितृसत्तात्मक रवैये को समझने के लिए अन्य न्यायाधीशों द्वारा समान टिप्पणियों पर नजर डालें। कुछ साल पहले, शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से एक दोषी को पूछा, जिसने 10 साल पहले एक लड़की से छेड़छाड़ की थी, कि यदि वह लड़की के पैरों में गिरकर माफी मांगे एवं यदि लड़की उसे माफ कर दे तो अदालत भी उसे कारावास की जो सजा सुनाई है उसकी अवधि सीमित कर सकती है।
2. 22 जून, 2020 के आदेश में बलात्कार के आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने पूछा कि 'पीड़िता रात में अपने कार्यालय क्यों गई थी' या 'महिला ने उसके साथ ड्रिंक्स लेने पर आपत्ति क्यों नहीं जताई थी।'

S. No.	Crime Head under IPC	Total Cases for Investigation	Charge-sheeting Rate	Total Cases for Trial	Total Cases Convicted	Conviction Rate
1.	Murder	48,553	85.3	2,24,747	6,961	41.9
2.	Rape	45,536	81.5	1,62,741	4,640	27.8
3.	Kidnapping & Abduction	1,73,245	37.3	2,45,914	3,952	24.9
4.	Rioting	79,004	86.8	5,06,152	5,207	19.4
5.	Hurt (including acid attack)	7,02,640	87.7	26,66,893	61,243	30.6

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

3. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अजीब दलील देते हुए निर्णय दिया था कि यदि दोषी पीड़िता को 1 लाख रूपये देने को राजी हो जाता है तो बलात्कार का मामला समाप्त कर दिया जाएगा एवं गरीब पीड़िता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था।
4. बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अन्य मामलें में आदेश दिया था कि शादी के वादे को तोड़ना ना तो धोखाधड़ी हैं एवं नाही बलात्कार।
5. न्यायमूर्ति मृदुल भटकर ने आरोपी को यह कहते हुए जमानत दी कि यह कुंठित प्रेम प्रसंग का दुर्भाग्यपूर्ण मामला है।
6. मद्रास उच्च न्यायालय ने एक बलात्कार के आरोपी को जमानत दी थी ताकि वह पीड़ित के साथ मध्यस्थता कर सके। सुप्रीम कोर्ट को जमानत रद्द करने के लिए जल्दी हस्तक्षेप करना पड़ा।

भंवरी देवी का मामला एवं अन्य मामले –

1. भंवरी देवी मामलें (1995) में चौंकाने वाला फैसला – 1992 में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। राजस्थान की अदालत द्वारा बरी करने के आदेश ने बेतुके कारण दिए जैसे कि उच्च जाति का पुरुष किसी नीच जाति की महिला के साथ बलात्कार नहीं कर सकता।
2. गुवाहाटी उच्च न्यायालय का 2020 का एक मामला जिसमें न्यायालय ने सिंदूर एवं शंख चूड़ी (शका) ना पहनने को पति के तलाक देने के लिए पर्याप्त आधार माना।
3. कुछ साल पहले, मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्देश देकर एक बेतुका आदेश दिया कि 'तलाक देने वालों को भी गुजारा भत्ता का दावा करने के लिए यौन शुद्धता बनाए रखना चाहिए'
4. यहां तक कि एम. काटजू जैसे प्रगतिशील न्यायधीशों ने भी डी. वेलुसामी बनाम डी. पच्चीमाल (2010) मामलें में दूसरी हिंदू पत्नी को 'रखैल' करार दिया था, एवं इस तरह रखरखाव का हकदार नहीं माना था।
5. नरेंद्र बनाम के. मीणा (2016) में, शीर्ष अदालत ने माना कि हिंदू परंपराओं के तहत, विवाह पर एक पत्नी को अपने पति के परिवार के साथ खुद को पूरी तरह से एकीकृत करना है एवं अगर वह अपने ससुराल वालों के साथ रहने से इनकार करती है, तो यह क्रूरता होगी एवं पति हिंदू विवाह अधिनियम के तहत उसे तलाक देने का हकदार होगा। हाईकोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया था।
6. राजेश शर्मा बनाम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश (2017), जस्टिस आदर्श कुमार गोयल एवं उदय उमेश ललित की दो न्यायाधीश पीठ ने एक और विवादास्पद आदेश में कहा कि क्रूरता के आरोपों पर कोई स्वचालित गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इस मामले में, 3 लाख रूपये एवं एक कार के दहेज की मांग की गई थी, जो पत्नी के परिवार को नहीं दे पा रहा था।

एवं हदिया मामला –

1. कुख्यात हादिया मामले (2017) में भी, हादिया की स्वतंत्र एजेंसी एवं उसके ऊपर उसके पिता की शक्तियों के विवरण केरल उच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणियां समान रूप से चौंकाने वाली एवं पितृसत्तात्मक थीं।
2. 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी शादी की वैधता को बरकरार रखा एवं उच्च न्यायालय के अजीब फैसले को खारिज कर दिया, तथ्य यह है कि दो वयस्कों के विवाह के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा शीर्ष अदालत के आदेश की जांच बिल्कुल गलत थी।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

भारत का सबसे खराब प्रदर्शन –

1. सर्वेक्षण ने उत्तरदाताओं से पूछा कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से कौन से पांच राज्य महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक थे एवं कौन सा देश स्वास्थ्य, आर्थिक संसाधनों, सांस्कृतिक या पारंपरिक प्रथाओं, यौन हिंसा एवं उत्पीड़न, गैर–यौन हिंसा एवं मानव तस्करी के मामलों में सबसे खराब थे।
2. उत्तरदाताओं ने मानव तस्करी एवं महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश में भारत को स्थान दिया, जिसमें यौन–दासता एवं घरेलू–दासता शामिल है, एवं जबरन शादी, पथराव एवं कन्या भ्रुण हत्या जैसी प्रथाएँ शामिल हैं।
3. सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2007 एवं 2016 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब प्रतिघंटे बलात्कार के चार मामले दर्ज किए गए।

निष्कर्ष –

1. सामान्य परिस्थितियों में, एक पत्नी को शादी के बाद पति के परिवार के साथ रहने की उम्मीद होती है। वह पति के परिवार का अभिन्न अंग बन जाती है। दिलचस्प बात यह है कि, हालांकि पत्नी अपने पति के परिवार का अभिन्न अंग है, फिर भी वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत एक सहवारिस नहीं है।
2. एक उम्मीद है कि विवाद के बाद अब हमारे न्यायाधीश अधिक से अधिक लिंग संवेदनशीलता का नेतृत्व करेंगे, यदि अंतिम निर्णय नहीं तो कम से कम उनके मौखिक टिप्पणियों एवं प्रश्नों में। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बजाय पितृसत्ता को लक्षित करना बेहतर होगा। बेशक सवाल पूछने की शक्ति भी लिंग संवेदनशीलता को दर्शाती है।
3. महिला अपराध सर्वेक्षण में भारत के के शीर्ष पर आने से यह पता चलता है कि दिल्ली में एक बस में एक छात्रा के बलात्कार एवं हत्या के पांच साल से अधिक समय व्यतीत हो जोने के बाद भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये हैं, जिससे महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है।

'सफलता का एक माग' – महिला एवं श्वेत क्रांति

संदर्भ –

1. डेयरी फार्मिंग में भारतीय महिलाओं की उपलब्धियाँ एवं भारत की 'श्वेत क्रांति' में उनका योगदान, शायद भारतीय महिलाओं के इतिहास में सबसे बड़ा खुशी मनाने का कारण है।
2. अधिकांश डेयरी फार्मर्स के पास आमतौर पर दो से पांच गायों के परिवार होने के बावजुद, यह डेयरी सहकारी मॉडल सफल रहा है जो ऑपरेशन फ्लड के केंद्र में है।

ऑपरेशन फ्लड –

1. ऑपरेशन फ्लड वह कार्यक्रम है जिसके कारण 13 जनवरी 1970 को "श्वेत क्रांति" शुरू हुई, जो विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम एवं भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) का एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट था।
2. इसने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूग्ध उत्पादक में बदल दिया, जो 1998 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पार करके 2018 में वैश्विक उत्पादन का लगभग 22.29 प्रतिशत था।
3. 30 वर्षों के भीतर, इसने भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्ध दूध को दोगुना कर दिया एवं डेयरी फार्मिंग को भारत का सबसे बड़ा सेल्फसस्टेन्ड ग्रामीण रोजगार निर्माणकर्ता बना दिया।
4. यह किसानों को अपने स्वयं के विकास को निर्देशित करने एवं उनके द्वारा बनाए गए संसाधनों पर नियंत्रण देने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। यह सब न केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन द्वारा प्राप्त किया गया था, बल्कि जनता के छोटे–छोटे उत्पादन की इस प्रक्रिया को 'श्वेत क्रांति' की संज्ञा दी गई है।
5. अगर भारत के संगठित डेयरी उद्योग में क्रांति हुई, तो यह एक तकनीकी सफलता के कारण हैं जिसमें, भैंस के दूध से स्किम मिल्क पाउडर बनाया जाता है। जिस व्यक्ति ने इसे संभव बनाया वे हरिचंद मेघ दलया थे।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

दूध उत्पादन का तरीका –

1. डेयरी मूल्य श्रृंखला में पिछड़े एवं आगे के संपर्कों को बढ़ाना संभव बनाया गया, छोटे किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया एवं दूध के लिए न्यूनतम खरीद मूल्य की गारंटी दी।
2. इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर (IDRC) का एक अध्ययन बताता है कि वित्तीय सहायता के साथ प्रशिक्षण भी प्राप्त करने वाली 93% महिलाएँ अपने व्यापार में सफल होती बनिस्बत इपके केवल वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली 57% महिलाएँ ही अपने उपक्रमों में सफल होती हैं।
3. इस तरह के इनपुट को संस्थागत रूप देते हुए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) अब पूरे देश में किसान उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसके तहत महिला किसानों को पशु स्वास्थ्य, चारा गुणवत्ता, स्वच्छ दूध उत्पादन एवं लेखा प्रबंधन पर वैज्ञानिक सर्वोत्तम प्रथाओं में प्रशिक्षित किया जाता है।

उन्नत आय –

1. नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, लगभग 6 मिलियन महिला सदस्यों के साथ, देश भर में 1,90,000 से अधिक डेयरी सहकारी समितियां हैं।
2. राजस्थान भर में महिला डेयरी सहकारी समिति (डब्ल्यूडीसीएस) के सदस्यों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि डेयरी के माध्यम से उत्पन्न आय के साथ, 31% महिलाओं ने अपने मिट्टी के घरों को सीमेंट संरचनाओं में बदल दिया था, जबकि 39% ने अपने मवेशियों के लिए कंक्रीट शेड का निर्माण किया था।
3. महत्वपूर्ण रूप से, महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को नेतृत्व के पदों के लिए तैयार करने के लिए उर्वर आधार प्रदान करती हैं। कई मामलों में, पारंपरिक प्रथाओं से मुक्त होने में महिलाओं के लिए यह पहला कदम है।
4. आंकड़े बताते हैं कि छोटे एवं सीमांत किसानों के पास, बड़े एवं मध्यम किसानों की तुलना में केवल 50–70% संसाधन होते हैं।
5. सहकारी समितियों एवं दुग्ध संघों के रूप में सामूहिक उपस्थिति महिलाओं की ज्ञान एवं सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

महिलाओं के नेतृत्व वाली कंपनियां –

1. यह तर्क दिया जा सकता है कि छठी पंचवर्षीय योजना ने पहले ही इस चुप्पी को तोड़ दिया था। 'पंचवर्षीय योजना दस्तावेज' में पहली बार, 'वुमेन एंड डेवलपमेंट' नामक पहले अध्याय में कहा गया है – 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण गोदामों, ऑपरेशन फ्लड II, डेयरी विकास एवं सामाजिक वानिकी एवं सशस्त्र बलों में' उन्हें बड़ा रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा।
2. हाल के वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व वाली डेयरी यूनियनों एवं कंपनीयों का उदय हुआ है। तों इसके लिए, NDDB ने महिलाओं के नेतृत्व वाले निर्माता उद्यमों को स्थापित करने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है।
3. पिछले साल, अमूल डेयरी ने 10 महिला डेयरी किसानों की सूची जारी की, जो कंपनी को दूध बेचकर करोड़पति बन गए।
4. उदाहरण के लिए, वडगाम से नवलबेन दलसंगभाई चौधरी ने 2019–20 में 2,21,595 किलोग्राम दूध बेचकर लगभग 88 लाख रूपये कमाए, एवं धानेरा के मालवी कनुबेन ने 50 74,745 किलोग्राम दूध बेचकर लगभग 74 लाख रूपये की कमाई की।
5. संगठनात्मक संरचनाओं में नवाचार ने भी इस क्षेत्र में लगातार विकास को गति दी है।

निष्कर्ष –

1. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए ग्रामीण स्तर पर खरीद कोल्ड चेन एवं निष्पक्ष एवं पारदर्शी दूध खरीद प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता होगी।
2. अच्छी गुणवत्ता वाले चारे एवं चारा के बिना इस क्षेत्र में पशुधन की आबादी में वृद्धि टिकाऊ नहीं होगी एवं पशु स्वास्थ्य कवरेज में वृद्धि होगी।
3. भारत में डेयरी नीति ने अन्यथा दूध उत्पादन एवं प्रसंस्करण में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका के लिए खुद को संबोधित नहीं किया है। ऐसी नीति ने भारत की डेयरी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया हो सकता है।
4. व्यक्तिगत महिला डेयरी किसानों के ये प्रशंसापत्र इस तथ्य के लिए सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं कि उनमें से कई की औपचारिक शिक्षा नहीं हुई है, लेकिन डेयरी संघों एवं सहकारी समितियों के साथ काम करने की प्रक्रिया में उन्हें वित्त एवं विपणन की बारीकियों की महारत हासिल है।

दांडी यात्रा – प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा की शुरूआत की

संदर्भ –

1. प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से 'पदयात्रा' (स्वतंत्रता मार्च) को हरी झंडी दिखाई एवं 'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम की गतिविधियों का उद्घाटन किया। इपके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारत की आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 अगस्त 2022 से पहले 12 मार्च 2021 को शुरू की गई योजना में राष्ट्रीय कैडेट कोर ने मार्च 2021 से शुरू होने वाली हर महीने एक सामाजिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्य योजना शुरू की है।
2. 12 मार्च से 5 अप्रैल, 1930 तक 24 – दिवसीय यात्रा ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध अभियान था।
3. अहिंसा या सत्याग्रह के गांधी के सिद्धांत के आधार पर, मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्घाटन को चिह्नित किया।
4. 1920 के दशक के शुरुआती असहयोग आंदोलन के बाद ब्रिटिश राज के खिलाफ दांडी मार्च आसानी से सबसे महत्वपूर्ण संगठित आंदोलन था।
5. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एवं विश्व के नेताओं से ध्यान हटाने में, यह वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।

गांधी ने दांडी मार्च का आह्वान क्यों किया?

1. 1882 के नमक अधिनियम ने नमक के निर्माण एवं बिक्री में अंग्रेजों को एकाधिकार दिया। भले ही नमक भारत के तटों पर आसानी से उपलब्ध था। भारतीयों को उपनिवेशवादियों से इसे खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

2. गांधीजी ने फैसला किया कि अगर कोई एक उत्पाद है जिसके माध्यम से नागरिक अवज्ञा का उद्घाटन किया जा सकता है, तो वह नमक ही है।
3. 'हवा एवं पानी के बाद, नमक शायद जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है', उन्होंने अपनी पसंद बताते हुए कहा, भले ही कांग्रेस की कार्य समिति में कई लोग इस पर निश्चित नहीं थे।
4. वायसराय लॉर्ड इरविन सहित ब्रिटिश सरकार ने भी नमक कर के खिलाफ अभियान की संभावना को गंभीरता से नहीं लिया।
5. 8 मार्च को अहमदाबाद में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए, गांधीजी ने नमक कानूनों को तोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की पुस्तक – गांधी – द इयर्स देट चेंज्ड द वर्ल्ड (1914–1948) के उद्धरण के अनुसार, गाँधी जी ने कहा था 'यह मेरे लिए एक कदम है, पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम है।'
6. गुहा ने लिखा, 'गांधीजी चाहते थे कि यह एक लंबा मार्च हो, या तीर्थयात्रा शायद, जहाँ उनकी इत्मीनान से प्रगति रास्ते भर लोगों को उत्साहित करे एवं व्यापक प्रचार भी आकर्षित करे।' अंत में, उन्होंने दांडी स्थान का फैसला किया कि जिस बिंदु पर नमक कानून तोड़ा जाएगा।

पदयात्रा के दौरान क्या हुआ?

1. पदयात्रा की पूर्व संध्या पर अहमदाबाद में बहुत उत्साह था। साबरमती आश्रम के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई एवं रात भर रुकी रही।
2. गांधी ने उस रात नेहरू को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की अफवाहों विवरण दिया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ।
3. उन्होंने अपने चलने वाले साथियों को इकट्ठा किया, 78 पुरुषों का एक समूह, जो आश्रमवासी थे। इनमें दक्षिण अफ्रीका के मणिलाल गांधी एवं भारत भर के कई अन्य लोग शामिल थे।
4. 'गुजरात से इकत्तीस पदयात्राएं थी, महाराष्ट्र से तेरह, संयुक्त प्रांत, केरल, पंजाब एवं सिंध से कम संख्या मे थी, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से एक–एक आदमी भेजा गया।
5. विविधता सामाजिक होने के साथ–साथ भौगोलिक थी, पदयात्रा करने वाले लोगों में कई छात्र एवं खादी कार्यकर्ता थे, कई हरिजन, कुछ मुस्लिम एवं एक ईसाई भी था', गुहा ने लिखा है। हालाँकि महिलाएँ भी मार्च का हिस्सा बनना चाहती थीं, लेकिन गांधी ने इसे केवल पुरुषों तक ही सीमित रखना पसंद किया।
6. गांधी 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। अगले दिन, सुबह–सुबह वे अन्य मार्च करने वालों के साथ समुद्र की ओर रवाना हुए, जहाँ उन्होंने एक छोटे से गड्ढे में पड़े प्राकृतिक नमक के ढेर को उठाया। यह कार्य प्रतीकात्मक था, लेकिन प्रेस द्वारा बेहद कवर किया हुआ था, एवं भारत के अन्य हिस्सों में नागरिक अवज्ञा के कई अन्य कृत्यों की शुरुआत हुई।

दांडी मार्च का महत्व क्या था?

1. पदयात्रा की लोकप्रियता ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। इसने 31 मार्च तक 95,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके जवाब दिया। अगले महीने गांधी धरासना नमक कार्य के लिए रवाना हुए, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर यरवदा सेंट्रल जेल ले जाया गया।
2. जैसे ही गांधी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा, भारत के अन्य हिस्सों में भी सविनय अवज्ञा के ऐसे ही कार्य हए।
3. उदाहरण के लिए, बंगाल में, सतीश चंद्र दासगुप्ता के नेतृत्व में स्वयंसेवक नमक बनाने के लिए सोदेपुर आश्रम से महिसबथान गाँव तक चले। बॉम्बे में के. एफ. नरीमन ने हाजी अली पॉइंट तक पदयात्रा के एक और समूह का नेतृत्व किया जहाँ उन्होंने पास के एक पार्क में नमक तैयार किया।
4. विदेशी कपड़ों एवं शराब के बहिष्कार के साथ नमक का अवैध निर्माण एवं बिक्री भी होती थी। नमक सत्याग्रह के रूप में शुरू हुआ जो जल्द ही बड़े पैमाने पर सत्याग्रह में बदल गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य प्रांतों में वन कानूनों की धज्जियां उड़ाई गईं।
5. गुजरात एवं बंगाल में किसानों ने भूमि एवं चौकीदारी करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। कलकत्ता, कराची एवं गुजरात में भी हिंसा भड़की, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान जो हुआ, उसके विपरीत, गांधी ने इस बार सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने से इनकार कर दिया।
6. कांग्रेस कार्यसमिति ने 1934 में ही सत्याग्रह को समाप्त करने का फैसला किया। भले ही इससे तुरंत स्वशासन या प्रभुत्व का दर्जा नहीं मिला, लेकिन नमक सत्याग्रह के कुछ दीर्घकालिक प्रभाव थे।
9. माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ – एसेंशियल राईटिंग्स बाय एंड अबाऊट गाँधी के लेखक रिचर्ड एल जॉनसन ने इस पुस्तक में लिखा है, 'भारतीय स्वतंत्रता के लिए गांधी एवं कांग्रेस के वैध दावों को भारतीय, ब्रिटिश एवं विश्व जनमत ने तेजी से पहचाना'। इसके अलावा, अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि भारत पर नियंत्रण अब पूरी तरह से भारत की सहमति पर निर्भर करता है।

एआईसीटीई ने इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के लिए प्रवेश–स्तर की योग्यता में परिवर्तन की घोषणा को – भौतिकी एवं गणित अब बीटेक या बीइ लेने के लिए आवश्यक नही

a. स्पष्टीकरण – प्रतिवर्ष, एक 'अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक' (या एपीएच) प्रकाशित किया जा है जो नए तकनीकी शिक्षा संस्थानों, कार्यक्रमों, एवं डिग्री तथा डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश–स्तर की योग्यता, अन्य बातों के अलावा बुनियादी मानदंडों की जानकारी देता है। इस वर्ष की हैंडबुक में चार वर्षीय बी टेक एव बी ई कार्यक्रमों के लिए आवश्यक योग्यताओं में एक बदलाव है।
b. पहले भौतिकी एवं गणित अनिवार्य थे एवं छात्र 11 विषयों की सूची में से तीन विषय चुन सकते थे – रसायन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जीवविज्ञान, कंप्यूटरविज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना विज्ञान प्रथाओं, कृषि, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, व्यावसायिक अध्ययन, एवं तकनीकी व्यावसायिक विषय।
c. अब किसी उम्मीदवार को नई हैंडबुक में प्रदान की गई 14 विषयों की सूची में से किसी भी तीन विषयों में कम से कम 45% स्कोर करने की उम्मीद है, जो भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान, सूचना विज्ञान प्रथाओं, जैव प्रौद्योगिकी, तकनीकी व्यावसायिक विषय, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, व्यावसायिक अध्ययन एवं उद्यमिता हैं। इनमें से कोई भी विषय अनिवार्य नहीं है, सभी वैकल्पिक हैं।
d. कारण – अंर्तविषय इंजीनियरिंग शिक्षा की बढ़ती भावना ऐसे विभिन्न सेटों की आवश्यकता है। नए नियम में अब कहा गया है कि संस्थान एवं विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों को विषयों (इस उदाहरण, गणित) में मदद करने के लिए 'पुल पाठ्यक्रम' की पेशकश कर सकते हैं जो उनके पास कक्षा 11 एवं 12 में नहीं थे।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

सामान्य अध्ययन ॥

बजट सत्र के निष्कर्ष

संदर्भ –

- संसद का बजट सत्र मूल योजना से दो सप्ताह पहले समाप्त हो गया, क्योंकि कई राजनीतिक नेता आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के प्रचार में व्यस्त थे।

a. पिछले कुछ सत्रों की प्रवृत्ति –

1. 2020 के बजट सत्र को कोविड–19 महामारी, के बाद लगाए गए लॉकडाउन के कारण आगे बढ़ा दिया गया था।
2. संसद के कई सदस्यों एवं संसद कर्मचारियों के कोविड–19 से प्रभावित होने के कारण 18 दिनों का मानसून सत्र 10 दिनों के बाद समाप्त हो गया, एवं शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया गया।
3. परिणामस्व, वित्त वर्ष 2020–21 में लोकसभा 34 दिनों के लिए एवं राज्य सभा 33 दिनों के बैठक के साथ अब तक सबसे कम रही।
4. सत्र के दौरान, 13 विधेयकों को पेश किया गया था, एवं उनमें से एक को भी जांच के लिए संसदीय समिति को नहीं भेजा गया था।
5. प्रस्तावित कानून के साथ–साथ सरकारी कामकाज एवं वित्त की कोई उचित विधायी जांच नहीं की गई।

b. कोई विधेयक जांच नहीं – कई उच्च प्रभाव वाले बिल कुछ दिनों के भीतर पेश किए गए एवं पारित किए गए

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021, जो दिल्ली के शासन तंत्र को बदलने वाला विधेयक है – विधायिका एवं मुख्यमंत्री से लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए शासन को स्थानांतरित करना – 15 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था, 22 मार्च को उस लोकसभा द्वारा एवं 24 मार्च को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
2. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021, खानों पर अंर्तउपयोग प्रतिबंधों को हटाने एवं बंदी खानों के लिए शर्तों को कम करने के लिए खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 में संशोधन करता है, यह विधेयक 15 मार्च को पेश किया गया था एवं एक सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया।
3. नेशनल बैंक फॉर फाईनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) विधेयक, 2021 – एक नया सरकारी बुनियादी ढांचा वित्त संस्थान बनाने के लिए एवं इस क्षेत्र में निजी लोगों को अनुमति देने के लिए परिचय के तीन दिनों के भीतर पारित कर दिया गया।
4. बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021, बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का विधेयक भी दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत करने एवं पारित करने के बीच एक सप्ताह का समय लगा।
5. इस सत्र में कुल मिलाकर 13 विधेयकों को पेश किया गया एवं उनमें से आठ को सत्र के भीतर पारित कर दिया गया। इस त्वरित कार्य को दक्षता के संकेत के बजाय बिल की जांच करने के अपने कर्तव्य के संसद अभाव के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

c. **कंसल्टिंग हाउस पैनल –**

1. 14 वीं लोकसभा (2004–09) एवं 15 वीं लोकसभा में *समितियों के लिए संदर्भित विधेयकों का प्रतिशत* क्रमशः 60% एवं 16 वीं लोकसभा में 27% एवं वर्तमान में केवल 11% से कम हो गया।
2. अतीत में, संसदीय समितियों ने अक्सर काम किया है। उदाहरण के लिए, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की जांच करने वाली समिति ने कोड को बेहतर बनाने के लिए कई बदलावों का सुझाव दिये, एवं जिन्हें अंतिम कानून में शामिल किया गया था। इसी तरह, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन समिति की सिफारिशों पर आधारित थे।

d. धन विधेयकों (मनी बिल) वर्गीकरण –

1. पिछले कुछ वर्षों में बिलों को 'मनी बिल्स' के रूप में चिह्नित करने एवं राज्यसभा से बाहर रखने की संदिग्ध प्रथा देखी गई है। इस प्रक्रिया के कारण आधार अधिनियम के कुछ हिस्सों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक असहमतिपूर्ण राय के साथ पढ़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि पूरे अधिनियम को अमान्य कर दिया जाना चाहिए।
2. पिछले कुछ वर्षों में, वित्त विधेयकों में कई असंबद्ध वस्तुएं शामिल हैं जैसे कि अधिकरणों का पुनर्गठन, चुनावी बांडों का परिचय, एवं विदेशी योगदान अधिनियम में संशोधन।
3. इस वर्ष, वित्त विधेयक ने जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में प्रमुख संशोधन किए हैं। जैसा कि यह एक धन विधेयक है, राज्य सभा कोई संशोधन नहीं कर सकती है, एवं इसमें केवल सिफारिशी शक्तियाँ हैं। पहले के कुछ अधिनियम, जिनमें आधार अधिनियम एवं वित्त अधिनियम शामिल हैं, को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पास भेजा गया है।
4. इस सत्र के दौरान, केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया, चर्चा की गई एवं पारित किया गया। संविधान को प्रत्येक विभाग एवं मंत्रालय के व्यय बजट (अनुदान की मांग के रूप में) को अनुमोदित करने के लिए लोकसभा की आवश्यकता होती है। लोकसभा ने विस्तृत चर्चा के लिए सिर्फ पाँच मंत्रालयों के बजट को सूचीबद्ध किया था एवं इनमें से केवल तीन पर चर्चा की थी, कुल बजट का 76% बिना किसी चर्चा के स्वीकृत हो गया। यह व्यवहार पिछले 15 वर्षों के रुझान के अनुरूप था, इस अवधि के दौरान बजट के 70% से 100% अधिकांश वर्षों में चर्चा के बिना पारित किए गए हैं।

e. अनुपस्थित उपसभापति (डिप्टी स्पीकर) –

1. वर्तमान लोकसभा की एक महत्वपूर्ण विशेषता डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति है। संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि '... लोकसभा को जल्द से जल्द दो सदस्यों क्रमशः अध्यक्ष एवं उपसभापति चुने ...'
2. आमतौर पर, डिप्टी स्पीकर (1998–99 की अवधि में अपवाद के साथ जब ऐसा करने में 269 दिन लगे थे।), किसी नई लोकसभा के गठन के कुछ महीनों के भीतर चुना जाता है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

3. इस सरकार में, संसद के अगले सत्र के समय तक, दो वर्ष उपसभापति के चुनाव के बिना समाप्त हो गए। मुद्दा सर्वाधिक तब निकलकर सामने आया जब अध्यक्ष को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अध्यक्ष के कुछ कार्यों जैसे कि वेलिडेटरी भाषण देना किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा किए गए।

f. अतीत में संसद का दुरुपयोग – 2008 के मॉनसून सत्र ने कुछ दिलचस्प रिकॉर्ड बनाए थे क्योंकि लोकसभा में 17 मिनट के भीतर आठ विधेयकों को पारित किया गया था। कोई शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया गया था मानसून सत्र को विराम के साथ बढ़ाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकार एक संसदीय नियम का उपयोग करना चाहती थी कि एक सत्र में दो बार अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था।

आगे की राह –

संसदीय जांच महत्वपूर्ण है –

1. हमारे लोकतंत्र में, सरकार के काम की जाँच करने वाले प्रतिनिधि निकाय के रूप में, संसद की केंद्रीय भूमिका होती है।
2. सभी विधायी प्रस्तावों की विस्तार से जांच करने, उनकी बारीकियों एवं प्रावधानों के निहितार्थ को समझने एवं उचित तरीके से आगे का फैसला करने की भी उम्मीद है।
3. अपने संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए, यह आवश्यक है कि संसद प्रभावी ढंग से कार्य करे। इसके लिए मेकिंग एवं फॉलो की जरूरत होगी संसद सदस्यों के लिए अनुसंधान सहायता की एक प्रणाली बनाने, सांसदों को मुद्दों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने एवं सभी विधेयकों एवं बजट की जांच समितियों एवं सार्वजनिक फीडबैक द्वारा की जानी चाहिए।

इसीलिए चुनावी बॉन्ड योजना को जरूर जाना चाहिए

संदर्भ –

1. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम एवं पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले नए चुनावी बांड की बिक्री पर रोक लगाने की मांग करने वाले एक गैर–सरकारी संगठन की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा।
2. डिजाइन एवं संचालन में चुनावी बांड, राजनीतिक दलों को असीम एवं गुमनाम कॉर्पोरेट दान लेने की अनुमति देते हैं। इस कारण से, वे लोकतंत्र के लिए विनाशकारी हैं, एवं भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

चुनावी बांड –

1. 2017 में, चुनावी बॉन्ड योजना को लागू करने के लिए वित्त अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा एसबीआई से 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये एवं 1 करोड़ रुपये के गुणकों में किसी भी मूल्य के बांड खरीदे जा सकते हैं।
2. डोनर का नाम बांड पर नहीं होगा जबकि बांड की वैधता 15 दिनों के लिए होगी। पात्र राजनीतिक दल – एक प्रतिशत से अधिक मतदान हिस्से वाले, इसे स्वैच्छिक योगदान से आय के रूप में दिखा कर आयकर में लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
3. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल, जिन्होंने पिछले विधानसभा या संसद आम चुनाव में 1% से कम मत हासिल किए हैं, चुनावी बांड जारी करने के लिए चालू खाते खोलने के लिए पात्र हैं।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

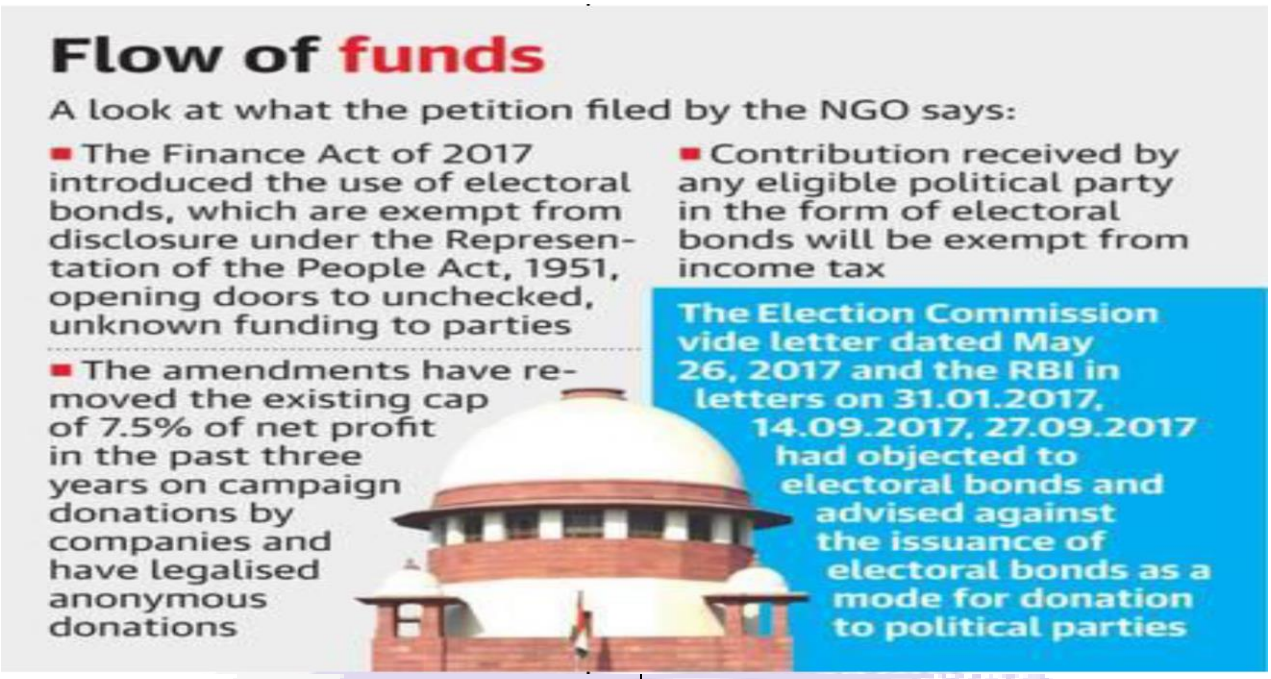

लोकतंत्र का यह अर्थ होना चाहिए –

1. जब नागरिक संसद में उन लोगों के लिए अपना वोट डालेंगे जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो उन्हें पूर्ण जानकारी के आधार पर ऐसा करने का अधिकार है।
2. राजनीतिक दलों को धन देने वाले लोगों के ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण कोई जानकारी नहीं है।
3. लोकतांत्रिक समाजों के बीच, एवं समय के साथ, यह निसंदेह साबित हो गया है कि धन नीति को खरीदने, नियामक चक्करों में उलझाने का, एवं खेल को किसी के पक्ष में करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
4. जब नागरिक अंधेरे में होते हैं तो यह कहीं अधिक बड़ी डिग्री तक सक्षम होता है। पैसे के स्रोत का विवरण – यह कभी भी जानना असंभव है – क्या कोई सरकारी नीति पार्टी को फंड करने वालों को लाभ पहुंचाने के लिए एक क्विड प्रो क्वो से ज्यादा कुछ नहीं है।
5. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय तक और सही तरीके से कहा है कि 'जानने का अधिकार', विशेष रूप से चुनाव के संदर्भ में, भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।
6. नागरिकों एवं मतदाताओं से यह ज्ञान गुप्त रखने से, चुनावी बांड योजना हमारे लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
7. यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अगर एक लोकतंत्र को पनपाना है, तो राजनीति को प्रभावित करने में पैसे की भूमिका सीमित होनी चाहिए।
8. कई उन्नत देशों में, उदाहरण के लिए, चुनावों को सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित किया जाता है, एवं समता के सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच बहुत अधिक संसाधन अंतराल नहीं है।
9. इसका उद्देश्य कुछ हद तक खेल के मैदान की गारंटी देना है, ताकि चुनाव विचारों की लड़ाई हो, न कि काफी हद तक असमान प्रतियोगिता जहां एक पक्ष के बेहतर संसाधन इसे दूसरे को पछाड़ने में सक्षम बनाते हैं।
10. इस कारण से, अधिकांश देशों में जहां चुनावों को सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित नहीं किया जाता है, वहां राजनीतिक दलों के वित्तीय योगदान पर कैप या सीमाएं होती हैं।

लोकतंत्र के खिलाफ एक झटका –

1. चुनावी बांड योजना, हालांकि, राजनीतिक दान पर सभी पूर्व–मौजूदा सीमाओं को हटा देती है, एवं प्रभावी ढंग से पुनर्वितरित निगमों को भारी रकम देकर राजनेताओं को खरीदने की अनुमति देती है।
2. यह लोकतंत्र के पूरे उद्देश्य को पराजित करता है, जो कि बी. आर. अम्बेडकर ने याद दिलाया, केवल एक व्यक्ति, एक वोट की गारंटी नहीं है लेकिन एक वोट का एक मूल्य है।
3. हालांकि, न केवल चुनावी बांड राजनीतिक दलों को असीम एवं गुमनाम दान की अनुमति देकर बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, वे ऐसा विषम रूप से करते हैं।
4. चूंकि दान भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से किया जाता है, इसलिए सरकार के लिए यह पता लगाना संभव है कि कौन किस पार्टी को दान कर रहा है, लेकिन राजनीतिक विपक्ष के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है।
5. इसका अर्थ है कि प्रत्येक दाता को पता है कि केंद्र सरकार उनके दान का पता लगा सकती है।
6. भारत के इतिहास में सत्तारूढ़ दलों द्वारा भारत की जांच एजेंसियों के लंबे समय से दुरुपयोग को देखते हुए। यह प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के दान को निचोड़ने एवं सत्तारूढ़ दलों द्वारा अपनी तिजोरियाँ भरने का यह अच्छा तरीका बन जाती है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

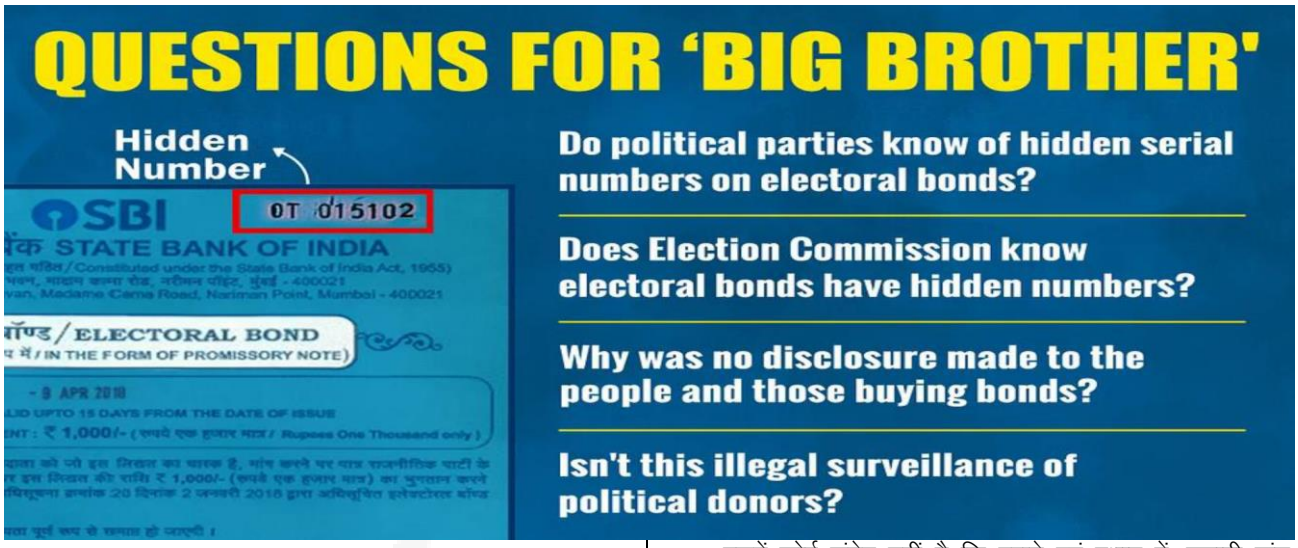

7. सांख्यिकी इसे सहन करती है – जबकि हम नहीं जानते कि किसने किसको दान दिया है, हम जानते हैं कि पिछले तीन वर्षों में, बहुसंख्यक विशाल रकम कई इलेक्टॉरल बॉंड के माध्यम से सत्तारूढ़ दल को दी गई होगी।

सरकार के बचाव में कमियाँ –

1. सरकार ने यह तर्क देकर चुनावी बांड योजना को सही ठहराने का प्रयास किया है कि इसका उद्देश्य चुनावों में काले धन के प्रवाह को रोकना है।
2. यह औचित्य सबसे बुनियादी जांच के तहत अलग हो जाता है, यह पूरी तरह से अस्पष्ट है कि काले धन को रोकने के लिए दाता गुमनामी के साथ क्या करना है, दान को असीम बनाना, एवं नागरिकों को अंधेरे में छोड़ना है।
3. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम राजनीतिक दलों को विदेशी चंदे की भी अनुमति भी देती है, जो अक्सर शेल कंपनियों के माध्यम से किए जा सकते हैं, जो संस्थागत भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने के बजाय विदेशी स्रोतों को इलेक्एंवल बॉन्ड स्कीम के साथ बढ़ाते हैं।

न्यायपालिका को कार्य करने की आवश्यकता है –

1. एक कामकाजी लोकतंत्र में एक स्वतंत्र न्यायपालिका के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांत के रेफरी के रूप में कार्य करना।
2. सरकारें चुनाव से अपनी वैधता प्राप्त करती हैं, एवं यह चुनाव हैं जो सरकारों को अदालतों के अनुचित हस्तक्षेप के बिना, अपने नीतिगत लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए जनादेश देते हैं।
3. सरकार स्वयं इस विश्वास को अच्छी तरह से लागू नहीं कर सकती है कि यह प्रक्रिया हर पांच साल में लागू होती है, अदालतें केवल स्वतंत्र निकाय हैं जो लोकतंत्र के जमीनी नियमों को पर्याप्त रूप से अंपायर एवं लागू कर सकती हैं।
4. यह इस कारण से है कि अदालतों को विशेष रूप से उन कानूनों एवं नियमों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं स्तर के खेल मैदान को तिरछा करना चाहते हैं, एवं यह कि बहुदलीय लोकतंत्र पर एकदलीय शासन को लुभाना चाहते हैं।
5. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इरादे एवं प्रभाव में, चुनावी बांड योजना दोनों के लिए दोषी है। इसलिए इसे अदालतों द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए।
6. सुप्रीम कोर्ट का अब तक का आचरण निराशाजनक रहा है। चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका 2018 में दायर की गई थी।
7. यह मामला, जो भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, को तीन साल के लिए अनसुना कर दिया गया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की निष्क्रियता तटस्थ नहीं है।
8. यह कुछ आशावाद का विषय है कि अंत में एक शुरुआत की गई जब अदालत ने चुनावों के इस दौर से पहले स्टे के आवेदन पर सुनवाई की।

निष्कर्ष –

1. संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के एक हिस्से के रूप में लंबे समय से जानने का अधिकार निहित है, इसके अलावा, राजनीतिक दान को अनप्लग करना एवं दान के रूप में एक संरचनात्मक पूर्वाग्रह को पेश करना कानून के समक्ष समानता की गारंटी के साथ–साथ प्रकट रूप से मनमाना होने का सबुत है।
2. यह दलील दी गई कि इसने चुनावी भ्रष्टाचार को एक बड़े पैमाने पर वैध कर दिया, जबकि एक ही समय में राजनीतिक फंडिंग में पूरी तरह से गैर–पारदर्शिता सुनिश्चित की। वित्त अधिनियम के माध्यम से उन संशोधनों को चुनौती अभी भी लंबित है।
3. कोई केवल यह आशा कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस योजना को बनाए रखेगा ताकि यह चुनाव के आने वाले दौर को और विकृत न करे, एवं फिर पूरे मामले को सुनने एवं तय करने के लिए आगे बढ़ें।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

भारत–बांग्लादेश संबंध मं विवादा का दूर करं

संदर्भ –

1. पिछले 50 वर्षों में भारत एवं बांग्लादेश के बीच मित्रता ऐतिहासिक है। राजनीतिक स्थिरता एवं नीतिगत निरंतरता ने दिल्ली एवं ढाका को पिछले दशक में द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने में मदद की है। इसके विपरीत, दिल्ली एवं इस्लामाबाद में राजनीतिक चक्र शायद ही कभी ठीक रहे हैं।
2. बांग्लादेश की 50 साल पहले पाकिस्तान से आजादी की घोषणा एवं पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में सकारात्मक बदलाव भ्रामक है, जिसमें भारत के पूर्वी एवं उत्तर–पश्चिमी सीमा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

अब यह सहयोग के बारे में हैं –

1. 15 अगस्त 1945 में बांग्लादेश के संस्थापक अध्यक्ष शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद तक संबंध सौहार्दपूर्ण रहें, उसके बाद सैन्य शासन का दौर शुरू हुआ एवं उसके बाद जनरल जियाउर्रहमान आए एवं राष्ट्रपति बन गए तथा 1981 में मारे गए।
2. भारत–बांग्लादेश के संबंध (1982२–1991) के बीच जनरल एच. एम. इरशाद के देश पर शासन के दौरना फिर ठीक हुए। 1991 में संसदीय लोकतंत्र में बांग्लादेश की वापसी के बाद से, संबंध उपर एवं नीचे चढ़ते उतरते से रहे हैं।
3. हालांकि, पिछले दशक में, भारत–बांग्लादेश संबंधों में गर्मजोशी आई है, सहयोग के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, एवं व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा एवं रक्षा के क्षेत्रों में अधिक आत्मसात होने के लिए ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों से आगे बढ़ रहे है।

बांग्लादेश एवं भारत की उपलब्धि –

1. बांग्लादेश एवं भारत ने 2015 में ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते की पुष्टि करके अपनी सीमा के मुद्दों को शांति से हल करने में दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है, जहां निवासियों को अपने निवास स्थान का चयन करने एवं भारत या बांग्लादेश के नागरिक बनने की अनुमति दी गई थी।
2. बांग्लादेश आज भारत का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका वित्त वर्ष 2018–19 में निर्यात $ 9.21 बिलियन है एवं आयात 1.03 बिलियन डॉलर है।
3. भारत ने कई बांग्लादेशी उत्पादों को शुल्क मुक्त करने की पेशकश की है। यदि भारतीय पक्ष से गैर–टैरिफ बाधाओं को हटाया जा सकता है तो व्यापार अधिक संतुलित हो सकता है।
4. विकास के मोर्चे पर, सहयोग गहरा हुआ है, भारत ने हाल के वर्षों में सड़कों, रेलवे, पुलों एवं बंदरगाहों के निर्माण के लिए बांग्लादेश को 8 बिलियन डॉलर की राशि दी है।
5. हालाँकि, 2019 तक आठ वर्षों में, पहली $800 मिलियन लाइन के केवल 51% का उपयोग किया गया है, जबकि 6.5 बिलियन डॉलर मूल्य की क्रेडिट की अगली दो लाइनों से बमुश्किल किसी भी राशि को जुटाया गया है।
4. बांग्लादेश भारत के 35% से अधिक अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा रोगियों के लिए जिम्मेदार है एवं चिकित्सा पर्यटन से भारत के राजस्व का 50% से अधिक योगदान देता है।
5. भारत एवं बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किमी है। जो भारत की किसी भी देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा है।
6. बांग्लादेश में अगरतला से अखौरा के बीच बहुप्रतीक्षित रेलवे लाइन सितंबर 2021 तक पूरी होने की संभावना है एवं इपके लिए भूमि अधिग्रहण इत्यादि पूर्ण हो गया है।
7. 15.6 किलोमीटर लंबा अगरतला–अखौरा रेलवे लिंक भारत में बांग्लादेश के गंगासागर से निश्चिन्तपुर तक एवं निश्चिन्तपुर से अगरतला रेलवे स्टेशन को जोड़ता है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

8. भारत एवं बांग्लादेश 54 आम नदियाँ साझा करते हैं। एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग (JRC) जून 1972 से काम कर रहा है, ताकि दोनों देशों के बीच संपर्क को बनाए रखा जा सके, ताकि आम लोगों को लाभ हो सके।
9. इस बात पर प्रकाश डाला कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) एवं बंगाल की खाड़ी के लिए बहु–क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (BIMSTEC) जैसे क्षेत्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

कनेक्टिविटी को बढ़ावा –

1. हाल ही में, 1.9 किलोमीटर लंबे पुल, मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, जो भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता था।
2. भारत के तीन भूस्खलन वाले राज्य – असम, मेघालय एवं त्रिपुरा को चटगाँव एवं मोंगला बंदरगाहों से भारतीय बंदरगाहों तक समुद्री व्यापार मार्ग खोलने की सुविधा मिलेगी।
3. त्रिपुरा को दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम में फेनी नदी एवं बांग्लादेश के रामगढ़ में मैत्री सेतु के माध्यम से चटगाँव पोर्ट से जोड़ा जाएगा। जबकि अगरतला सबरूम से 135 किलोमीटर दूर है, सबटूम से शैटोग्राम बंदरगाह 75 किलोमीटर दूर है।
4. कोलकाता/हल्दिया से नॉर्थ ईस्ट के लिए आईबीपी जलमार्ग के माध्यम से कार्गो परिवहन 2000 टन जहाजों तक सीमित है। अब, नॉर्थ ईस्ट के लिए कार्गो ले जाने वाले बड़े जहाज चटगाँव एवं मोंगला बंदरगाहों पर कॉल कर सकते हैं, जिससे व्यापार की मात्रा बढ़ रही है एवं लॉजिस्टिक लागत कम हो रही है।
5. बांग्लादेश अपने मोंगला एवं चटगाँव बंदरगाह से माल की शिपमेंट की अनुमति देता है, जो अखुरा के माध्यम से अगरतला (त्रिपुरा), तमबिल के माध्यम से डावकी (मेघालय), सुतारकंडी (असम) के माध्यम से शीला, एवं श्रीमंतपुर (त्रिपुरा) बाईबिरबाजार के माध्यम से सड़क, रेल, एवं पानी के रास्ते से ले जाए जाते है। यह असम, मेघालय एवं त्रिपुरा में छत्रोग्राम एवं मोंगला बंदरगाहों के माध्यम से खुले जल मार्गों तक पहुंचने की अनुमति देता है।

विवाद के कारण –

1. उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, अनसुलझे तीस्ता जल बंटवारे का मुद्दा बड़ा है। सीमा की हत्याएं बंद होनी बाकी हैं। भारत न केवल सीमा पर होने वाली हत्याओं को रोकने में विफल रहा है, बल्कि कई बार उन्हें सही भी ठहराया है।
2. वर्ष 2020 में सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर गोलीबारी की सबसे अधिक संख्या देखी गई। आम नागरिकों, जो आमतौर पर निहत्थे हैं, आम तौर पर सीमा पार करने की कोशिश कर रहे पशु व्यापारियों पर गोलियां चलाई जाती हैं।
3. पूरे भारत में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को लागू करने का सरकार का प्रस्ताव भारत–बांग्लादेश संबंधों को खराब करता है।
4. यह देखा जाना चाहिए कि भारत अवैध मुस्लिम आप्रवासियों के निर्वासन को कैसे संबोधित करता है, जिनमें से कुछ बांग्लादेश से आने का दावा करते हैं।

गति को जारी रखते हुए –

1. श्रीलंका, नेपाल एवं मालदीव, जो कभी पारंपरिक भारतीय सहयोगी माने जाते थे, इन देशों में एशियाई दिग्गजों के बड़े पैमाने पर व्यापार, अवसंरचनात्मक एवं रक्षा निवेश के कारण चीन की ओर झुकाव बढ़ा रहे हैं।
2. भारत–बांग्लादेश संबंध पिछले एक दशक में सकारात्मक गति प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को अपनी आजादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया, भारत उसके सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसियों एवं रणनीतिक साझेदारों में से एक था।
3. बड़े देश के रूप में, भारत में पानी के प्रवाह के लिए पर्याप्त उदारता है एवं यह सुनिश्चित करना है कि न्याय के लिए उपयुक्त साधन होने पर भी लोग मवेशियों के लिए सीमा पर नहीं मारे जाएंगे।

निष्कर्ष –

1. भारत 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' से इस क्षेत्र में चीन से अपना प्रभाव खोता जा रहा है। बीबीएन (भूटान–बांग्लादेश–भारत–नेपाल) मोटर वाहनों के समझौते से हटने के कारण भूटान भी भारतीय प्रभाव का पालन नहीं करता है।
2. चीन, अपनी चेक–बुक कूटनीति के बदले, बांग्लादेश सहित दक्षिण एशिया में अच्छी तरह से घुसा हुआ है, जिसके साथ उसे महत्वपूर्ण आर्थिक एवं रक्षा संबंध प्राप्त हैं।
3. छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम एक रिश्ते में लंबे समय से चली आ रही झपकी को दूर कर सकते हैं जो अन्यथा धीरे–धीरे 50 साल चली आ रही है। हाल के लाभों को अपरिवर्तनीय बनाने के लिए, दोनों देशों को तीन सी – कोऑपरेशन, कॉलेबोरेशन एवं कन्सोलिडेशन पर काम जारी रखने की आवश्यकता है।

निष्क्रिय संसद, लुप्त होती व्यापार

संदर्भ –

- संसद का बजट सत्र मूल योजना से दो सप्ताह पहले समाप्त हो गया। इसके बावजूद, लोकसभा ने सत्र के दौरान 114 प्रतिशत उत्पादकता दर्ज की।
- पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के कारण सरकार ने सत्र की अवधि में कटौती करने का फैसला किया, जिसका समापन 8 अप्रैल को होना था।

संसद पर संविधान का प्रावधान –

1. राष्ट्रपति समय–समय पर संसद के प्रत्येक सदन को मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल छह महीने से अधिक नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, संसद को चाहिए कि वर्ष में कम से कम दो बार मिले हैं। आमतौर पर एक वर्ष में तीन सत्र होते हैं –
   1. बजट सत्र (फरवरी से मई),
   2. मानसून सत्र (जुलाई से सितंबर) तथा
   3. शीतकालीन सत्र (नवंबर से दिसंबर)।
2. संसद के एक सत्र से अर्थ किसी सदन की पहली बैठक एवं लोकसभा के मामले में इसके विघटन के बीच की अवधि है।
3. एक सत्र के दौरान, सदन प्रतिदिन कार्य को पूरा करने के लिए बैठक करता है। दो सत्रों के बीच की अवधि को 'अवकाश' कहा जाता है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

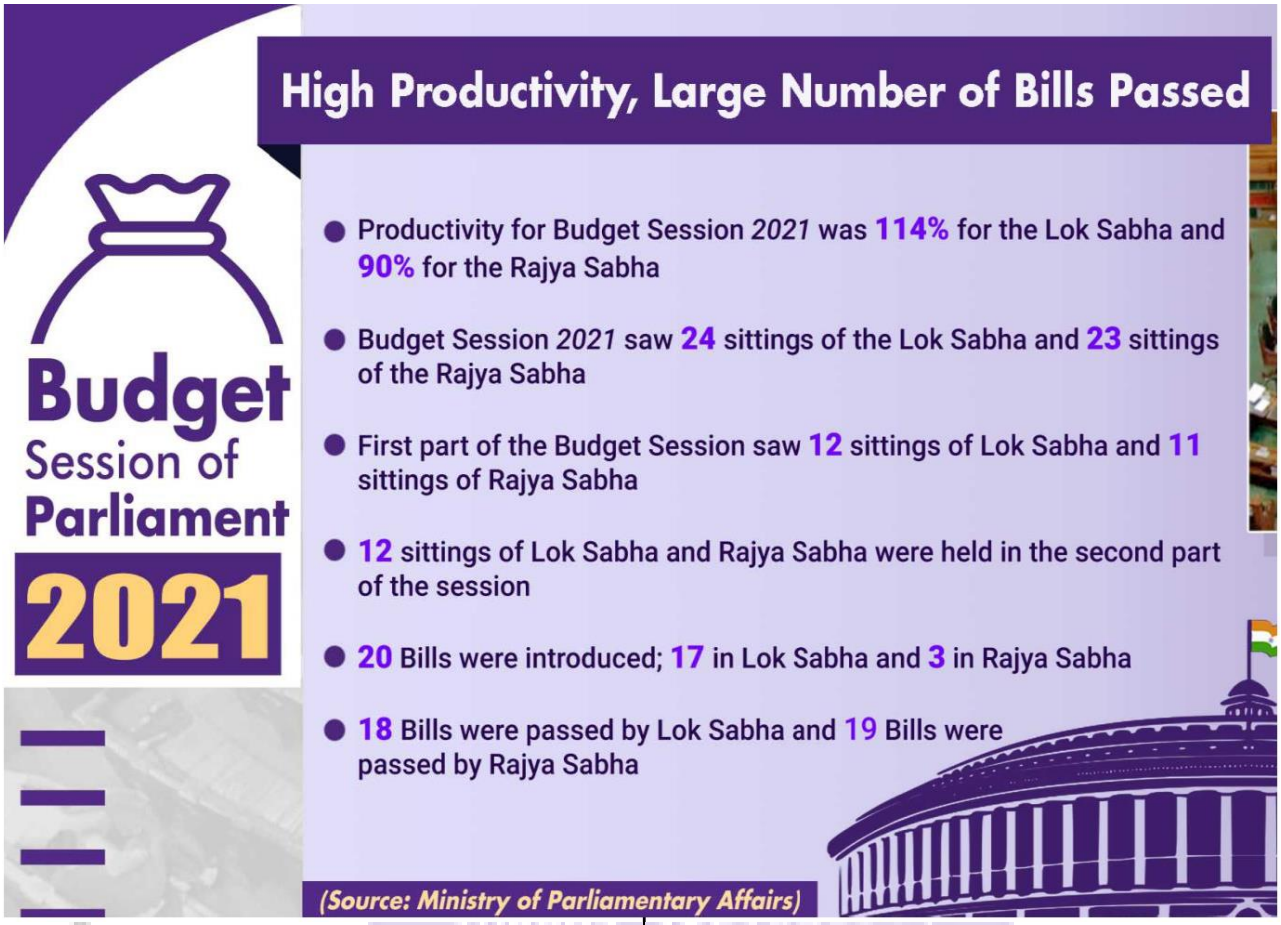

a. पिछले कुछ सत्रों की प्रवृत्ति –

1. 2020 के बजट सत्र को कोविड–19 महामारी, के बाद लगाए गए लॉकडाउन के कारण आगे बढ़ा दिया गया था।
2. संसद के कई सदस्यों एवं संसद कर्मचारियों के कोविड–19 से प्रभावित होने के कारण 18 दिनों का मानसून सत्र 10 दिनों के बाद समाप्त हो गया, एवं शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया गया।
3. परिणामस्व, वित्त वर्ष 2020–21 में लोकसभा 34 दिनों के लिए एवं राज्य सभा 33 दिनों के बैठक के साथ अब तक सबसे कम रही।
4. सत्र के दौरान, 13 विधेयकों को पेश किया गया था, एवं उनमें से एक को भी जांच के लिए संसदीय समिति को नहीं भेजा गया था।
5. प्रस्तावित कानून के साथ–साथ सरकारी कामकाज एवं वित्त की कोई उचित विधायी जांच नहीं की गई।

b. कोई विधेयक संवीक्षा नहीं – कई उच्च प्रभाव वाले बिल कुछ दिनों के भीतर पेश किए गए एवं पारित किए गए

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021, जो दिल्ली के शासन तंत्र को बदलने वाला विधेयक है – विधायिका एवं मुख्यमंत्री से लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए शासन को स्थानांतरित करना – 15 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था, 22 मार्च को उस लोकसभा द्वारा एवं 24 मार्च को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
2. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021, खानों पर अंर्तउपयोग प्रतिबंधों को हटाने एवं बंदी खानों के लिए शर्तों को कम करने के लिए खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 में संशोधन करता है, यह विधेयक 15 मार्च को पेश किया गया था एवं एक सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया।
3. नेशनल बैंक फॉर फाईनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) विधेयक, 2021 – एक नया सरकारी बुनियादी ढांचा वित्त संस्थान बनाने के लिए एवं इस क्षेत्र में निजी लोगों को अनुमति देने के लिए परिचय के तीन दिनों के भीतर पारित कर दिया गया।
4. बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021, बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का विधेयक भी दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत करने एवं पारित करने के बीच एक सप्ताह का समय लगा।
5. इस सत्र में कुल मिलाकर 13 विधेयकों को पेश किया गया एवं उनमें से आठ को सत्र के भीतर पारित कर दिया गया। इस त्वरित कार्य को दक्षता के संकेत के बजाय बिल की जांच करने के अपने कर्तव्य के संसद अभाव के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

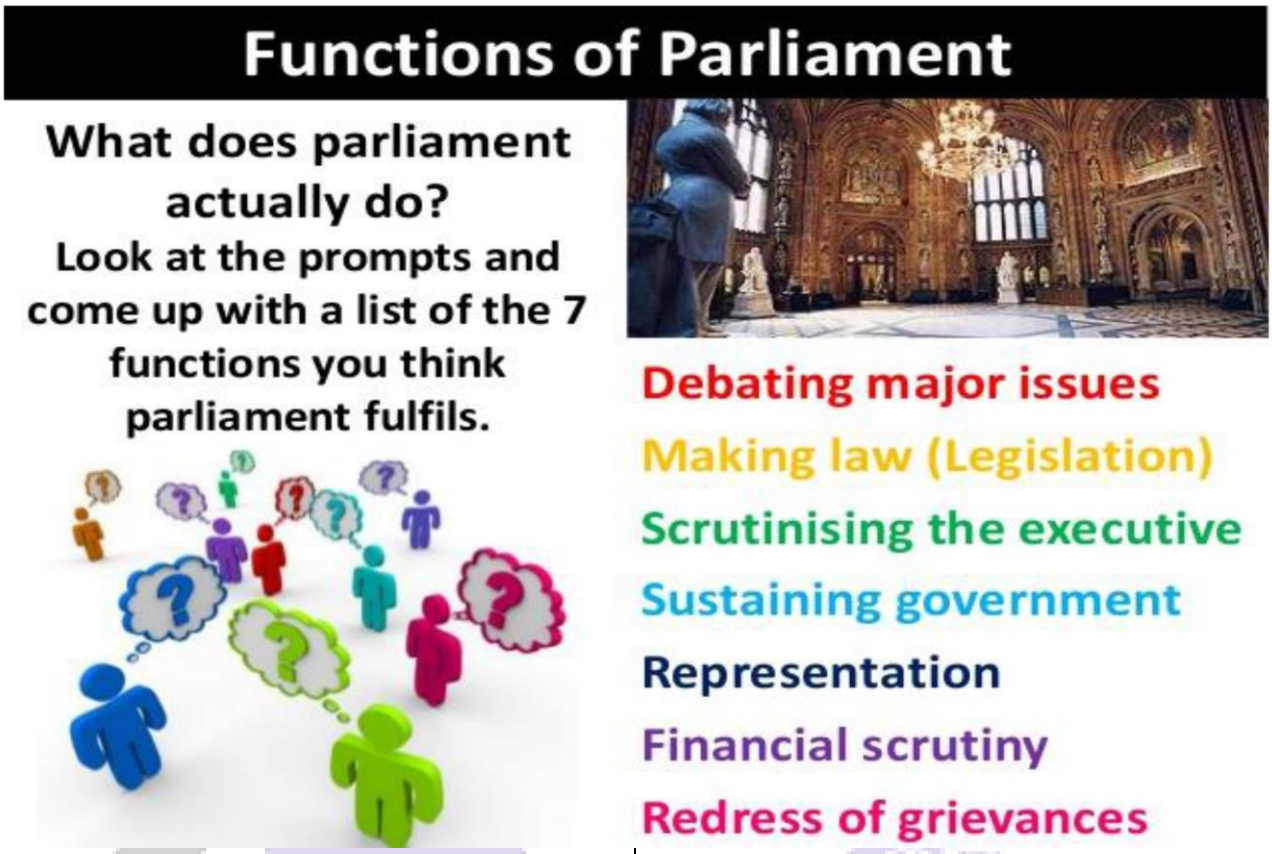

c. **परामर्श हाउस पैनल** –
   1. 14 वीं लोकसभा (2004–09) एवं 15 वीं लोकसभा में *समितियों के लिए संदर्भित विधेयकों का प्रतिशत* क्रमशः 60% एवं 16 वीं लोकसभा में 27% एवं वर्तमान में केवल 11% से कम हो गया।
   2. अतीत में, संसदीय समितियों ने अक्सर काम किया है। उदाहरण के लिए, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की जांच करने वाली समिति ने कोड को बेहतर बनाने के लिए कई बदलावों का सुझाव दिये, एवं जिन्हें अंतिम कानून में शामिल किया गया था। इसी तरह, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन समिति की सिफारिशों पर आधारित थे।

d. धन विधेयकों (मनी बिल) वर्गीकरण –
   1. पिछले कुछ वर्षों में बिलों को 'मनी बिल्स' के रूप में चिह्नित करने एवं राज्यसभा से बाहर रखने की संदिग्ध प्रथा देखी गई है। इस प्रक्रिया के कारण आधार अधिनियम के कुछ हिस्सों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक असहमतिपूर्ण राय के साथ पढ़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि पूरे अधिनियम को अमान्य कर दिया जाना चाहिए।
   2. पिछले कुछ वर्षों में, वित्त विधेयकों में कई असंबद्ध वस्तुएं शामिल हैं जैसे कि अधिकरणों का पुनर्गठन, चुनावी बांडों का परिचय, एवं विदेशी योगदान अधिनियम में संशोधन।
   3. इस वर्ष, वित्त विधेयक ने जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में प्रमुख संशोधन किए हैं। जैसा कि यह एक धन विधेयक है, राज्य सभा कोई संशोधन नहीं कर सकती है, एवं इसमें केवल सिफारिशी शक्तियाँ हैं। पहले के कुछ अधिनियम, जिनमें आधार अधिनियम एवं वित्त अधिनियम शामिल हैं, को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पास भेजा गया है।
   4. इस सत्र के दौरान, केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया, चर्चा की गई एवं पारित किया गया। संविधान को प्रत्येक विभाग एवं मंत्रालय के व्यय बजट (अनुदान की मांग के रूप में) को अनुमोदित करने के लिए लोकसभा की आवश्यकता होती है। लोकसभा ने विस्तृत चर्चा के लिए सिर्फ पाँच मंत्रालयों के बजट को सूचीबद्ध किया था एवं इनमें से केवल तीन पर चर्चा की थी, कुल बजट का 76% बिना किसी चर्चा के स्वीकृत हो गया। यह व्यवहार पिछले 15 वर्षों के रुझान के अनुरूप था, इस अवधि के दौरान बजट के 70% से 100% अधिकांश वर्षों में चर्चा के बिना पारित किए गए हैं।

e. अनुपस्थित उपसभापति (डिप्टी स्पीकर) –
   1. वर्तमान लोकसभा की एक महत्वपूर्ण विशेषता डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति है। संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि '... लोकसभा को जल्द से जल्द दो सदस्यों क्रमशः अध्यक्ष एवं उपसभापति चुने ...'

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

2. आमतौर पर, डिप्टी स्पीकर (1998–99 की अवधि में अपवाद के साथ जब ऐसा करने में 269 दिन लगे थे।), किसी नई लोकसभा के गठन के कुछ महीनों के भीतर चुना जाता है।

3. इस सरकार में, संसद के अगले सत्र के समय तक, दो वर्ष उपसभापति के चुनाव के बिना समाप्त हो गए। मुद्दा सर्वाधिक तब निकलकर सामने आया जब अध्यक्ष को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अध्यक्ष के कुछ कार्यों जैसे कि वेलिडेटरी भाषण देना किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा किए गए।

f. अतीत में संसद का दुरुपयोग – 2008 के मॉनसून सत्र ने कुछ दिलचस्प रिकॉर्ड बनाए थे क्योंकि लोकसभा में 17 मिनट के भीतर आठ विधेयकों को पारित किया गया था। कोई शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया गया था मानसून सत्र को विराम के साथ बढ़ाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकार एक संसदीय नियम का उपयोग करना चाहती थी कि एक सत्र में दो बार अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था।

आगे की राह –

संसदीय जांच महत्वपूर्ण है –

1. हमारे लोकतंत्र में, सरकार के काम की जाँच करने वाले प्रतिनिधि निकाय के रूप में, संसद की केंद्रीय भूमिका होती है।
2. सभी विधायी प्रस्तावों की विस्तार से जांच करने, उनकी बारीकियों एवं प्रावधानों के निहितार्थ को समझने एवं उचित तरीके से आगे का फैसला करने की भी उम्मीद है।
3. अपने संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए, यह आवश्यक है कि संसद प्रभावी ढंग से कार्य करे। इसके लिए मेकिंग एवं फॉलो की जरूरत होगी संसद सदस्यों के लिए अनुसंधान सहायता की एक प्रणाली बनाने, सांसदों को मुद्दों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने एवं सभी विधेयकों एवं बजट की जांच समितियों एवं सार्वजनिक फीडबैक द्वारा की जानी चाहिए।

जन्ता (म्यांमारी की सेना) द्वारा अत्याचार का आरोप लगाते हुए, कुछ 500 लोगों ने मिजोरम में शरण ली

भूगोल –

a. भारत एवं म्यांमार 1,600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं एवं अकेले मिजोरम की म्यांमार के चिन राज्य के साथ 500 किमी लंबी संपर्क रेखा है।
   1. मानव भूगोल – चिन हिल्स, या इंडो–चिन पर्वत श्रृंखला, उत्तर–पश्चिमी म्यांमार में एक पहाड़ी क्षेत्र है। 2100–3000 मीटर की ऊँचाई पर, यह भारी वनाच्छादित पर्वतीय क्षेत्र कई जनजातियों का घर है, जो जॉम्ब्रेला के अंतर्गत आते हैं।
   2. यह उल्लेख किया जा सकता है कि मिजोरम की सीमा से लगे म्यांमार में चिन समुदायों का निवास है, जो नैतिक रूप से मिजो भाई हैं जिनके साथ मिजोस भारत के स्वतंत्र होने से पहले से निकट संपर्क में रहे है।
   3. भाषा – माना जाता है कि चीन में उत्पन्न हुआ, जनजातियों के समुह तिब्बत के माध्यम से म्यांमार में बस गए, एवं तिबेटो–बर्मन भाषाएँ बोलते हैं।

जनजातीय इतिहास –

1. जो लोग म्यांमार, भारत एवं बांग्लादेश में फैले हैं उनमें चिन–कूकी–मिजो जातीय समूह के तहत आने वाली सभी जनजातियाँ शामिल हैं, जिनमें चिन, कूकी, मिजो, जोमी, पैतेई, हमार, लुशी, राल्ते, पवई, लाई, मारा, गंगटे, थाडौ आदि जैसे कबीलों, उप–जनजातियों एवं कुलों का एक समूह शामिल है।
2. **प्रवासन का इतिहास** – लेकिन विभिन्न जनजातियों एवं उनके राजाओं (सरदारों) के कुलों के बीच लगातार झगड़ों ने 17 वीं शताब्दी में, मिजोरम एवं मणिपुर के कुछ हिस्सों की एवं, पश्चिम में कई कुलों को हटा दिया।
   यहाँ जनजातियाँ नए गाँवों एवं उपनिवेशों की स्थापना करती हैं, लेकिन यहाँ तक कि अपनी नई पहचानों के साथ, वे म्यांमार की चिन जनजातियों के साथ सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से बंधे रहते हैं।
3. **विद्रोह की आयु** – 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में, चंपई जिले के मिजोस एवं अन्य जगहों से म्यांमार चले गए, जिन्होंने कालय–कबा घाटी में गाँवों की स्थापना की। माना जाता है कि आकर्षक रोजगार के लिए कई म्यांमार की सेना में शामिल हुए हैं। 1966 एवं 1986 में कई मिजो परिवार भी म्यांमार चले गए, जब मिजो नेशनल फ्रंट ने भारत से अलगाववाद से बचने के लिए भारत से अलगाव की मांग की।

सामाजिक–सांस्कृतिक संबंध –

1. धर्म – म्यांमार एवं मिजो जनजातियों के दोनों चिन लोग मुख्यतः ईसाई हैं।
2. शादियां अक्सर सीमा पार की जाती हैं।
3. सीमा व्यापार में, गोमांस, सूअर का मांस, अच्छी गुणवत्ता वाले चावल, फल, एवं घरेलू बर्तनों सहित कई आवश्यक वस्तुओं के लिए मिजोरम म्यांमार पर काफी हद तक निर्भर करता है।

भारत की शरण नीति की सीमाएं –

1. भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एवं 1967 के प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है जो शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित है, एवं वर्तमान में शरणार्थियों पर इसका राष्ट्रीय कानून नहीं है। 2011 में, केंद्र ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शरणार्थियों के होने का दावा करने वाले विदेशी नागरिकों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की।
2. यद्यपि भारत दक्षिण एशिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र रहा है एवं श्रीलंका एवं ईरान देशों से उत्पीड़न से भाग रहे लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया है।
3. असमान उपचार – भारत की अपनी स्वयं की शरण नीति नहीं है, एवं शरण पाने वाले लोगों के अपने उपचार में असमान है। इन वर्षों में, तमिलों, तिब्बतियों एवं अफगानों का स्वागत किया गया है।
4. धार्मिक भेदभाव– लेकिन आर्थिक प्रवासियों से राजनीतिक या मानवीय शरणार्थियों को अलग करने के लिए कोई टूल–किट नहीं होने के कारण, सरकार ने धार्मिक पंक्तियों के साथ शरणार्थियों के बीच भेदभाव करना शुरू कर दिया है, जैसे कि रोहिंग्या।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

5. नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत, केवल पड़ोसी देशों में इस्लामिक देशों से भाग जाने वाले हिंदुओं का स्वागत किया जाएगा।
6. भ्रामक रूप से, भारत ने 'वापिस ना भेजने की' भी बात की है, शरणार्थियों को अपने घर देशों में वापस नहीं भेजने का सिद्धांत यदि यह संभावना है कि वे उत्पीड़न का सामना करेंगे।

आगे की राह –

1 एक ऐसे देश के लिए जो खुद को लोकतांत्रिक चतुर्भुज के सदस्य के रूप में गर्व करता है एवं उसकी सीमा कई राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों को छुती है, भारत को शरणार्थियों के लिए बेहतर एवं अधिक सुव्यवस्थित ढांचे की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव कराने में SECs की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है

संदर्भ –

a. स्थानीय शासन की एक समस्या यह है कि स्थानीय चुनावों में अक्सर हिंसा होती है, और वार्डों के मनमाने परिसीमन और आरक्षण के आरोप लगते हैं।
b. मुद्दा – किसी भी स्थानीय निकाय चुनाव में एक महत्वपूर्ण कारक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया जाना है, जो राज्य चुनाव आयुक्त, चुनावों की निगरानी करने वाले प्राधिकरण जो स्वतंत्र और स्वायत्त है का कार्य है।
c. समस्या – दुर्भाग्य से, राज्यों में अधिकांश सरकारों ने अपने पसंदीदा वरिष्ठ नौकरशाहों को इस कार्यालय में नियुक्त किया है। व्यवहार में, एसईसी पर अक्सर पक्षपातपूर्ण होने के आरोप लगते हैं। वार्डों को परिसीमित करने, महिलाओं और एससी / एसटी के लिए आरक्षित वार्डों को घुमाने और चुनावों की तारीख तय करने जैसे नियमित अभ्यास परिणामस्वरूप विवादों में घिर जाते हैं।
d. उच्चतम न्यायाल का फैसला – गोवा सरकार ने गोवा में बॉम्बे के उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने 20 मार्च को चुनाव होने के लिए निर्धारित 11 नगरपालिका परिषदों में से पांच के वार्डों में सीटों के आरक्षण का निर्धारण करते हुए गोवा सरकार के एक आदेश को रद्द कर दिया था।
   i. सुप्रीम कोर्ट ने एचसी के उस फैसले को सही ठहराया जो इस राय का था कि राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई विधि सभी स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करती है।
   ii. इसके अलावा, यह देखते हुए कि गोवा में SEC राज्य के कानून सचिव थे, सुप्रीम कोर्ट ने इसे 'मामले की सबसे परेशान करने वाली विशेषता' के रूप में वर्णित किया। 'एसईसी को एक व्यक्ति होना चाहिए जो राज्य सरकार से स्वतंत्र हो क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारी है जो राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं में पूरी चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करता है'।
   iii. इसने गोवा सरकार की कार्रवाई का वर्णन करते हुए अपने कानून सचिव को SEC को अतिरिक्त प्रभार देने के कृत्य को 'संवैधानिक जनादेश का मखौल' के रूप में कहा।
   iv. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का आह्वान करते हुए, न्यायालय ने सभी एसईसी को कहा है, जो संबंधित राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में हैं ताकि वे अपने पदों से हट जाएं। व्यवहार में, अधिकांश राज्य सेवानिवृत्त नौकरशाहों को SECs नियुक्त करते हैं।

महत्व –

i. यह स्पष्ट है कि सरकारों को अब केवल उन लोगों को कार्यालय में नियुक्त करने का एक तरीका खोजना होगा जो वास्तव में स्वतंत्र हैं।
ii. फैसला भविष्य में एसईसी की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में मदद करेगा।
iii. अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने चुनाव निकाय चुनाव की शक्ति को यह कहते हुए बढ़ाया है कि स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून के किसी भी उल्लंघन का प्रतिकार करने के लिए यह एसईसी खुला है।
iv. राज्यों में शासन को इस वास्तविकता के प्रति जागना होगा कि वे हमेशा की तरह स्थानीय निकाय चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 का लोकसभा में पेश किया गया

संदर्भ –

a. विधेयक में 1991 अधिनियम की धारा 21, 24, 33 एवं 44 में संशोधन का प्रस्ताव है।
b. इसने प्रस्तावित किया कि दिल्ली की 'सरकार' का अर्थ है दिल्ली के उपराज्यपाल।
   i. यह विधेयक दिल्ली के उपराज्यपाल को उन मामलों में भी विवेकाधीन अधिकार देता है, जहां कानून बनाने के लिए दिल्ली की विधान सभा को अधिकार दिया जाता है।
   ii. प्रस्तावित कानून यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी करता है कि मंत्रिपरिषद (या दिल्ली मंत्रिमंडल) द्वारा लिए गए किसी निर्णय से पहले उपराज्यपाल उसे 'उसकी राय देने के लिए आवश्यक रूप से एक अवसर प्रदान किया जाए'।

c. संशोधन लाने के कारण –
   i. संरचनात्मक स्पष्टता के लिए – 1991 अधिनियम की धारा 44 व्यवसाय के संचालन से संबंधित है एवं उक्त अनुभाग के प्रभावी समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए कोई संरचनात्मक तंत्र नहीं है। 1991 के अधिनियम की धारा 44 में कहा गया है कि उपराज्यपाल की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ, चाहे वह अपने मंत्रियों की सलाह पर की गई हों या अन्यथा उपराज्यपाल के नाम से ली गई हों।
   ii. सामंजस्यपूर्ण संबंध के लिए – विधेयक विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देगा, एवं आगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या की गई दिल्ली की शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप निर्वाचित सरकार एवं उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को परिभाषित करेगा।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

iii. उपराज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करना – 'इसके अलावा, वहाँ कोई स्पष्टता नहीं है कि आदेश जारी करने से पहले उपराज्यपाल को किस प्रस्ताव या मामलों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।' विधेयक में कहा गया है कि कैबिनेट या किसी भी व्यक्तिगत मंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर सरकार द्वारा कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले उपराज्यपाल की राय प्राप्त की जाएगी।

iv. सरकार को परिभाषित करें – विधेयक अधिनियम की धारा 21 में संशोधन करना चाहता है एवं 'सरकार' की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करता है, जो 'दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित किए जाने वाले विधानों के संदर्भ में' का अर्थ दिल्ली के एनसीटी के उपराज्यपाल के अनुरूप होगा।

d. DELHI – दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां एक विधायिका है एवं यह संविधान (69 वें संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा सम्मिलित संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत 1991 में अस्तित्व में आई।

1. संविधान का अनुच्छेद 239AA कहता है कि मंत्रिपरिषद उन मामलों में उपराज्यपाल की सहायता एवं सलाह देगी जहाँ विधान सभा के पास कानून बनाने की शक्ति है, जहाँ उपराज्यपाल विवेक का प्रयोग कर सकते हैं।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के पूरक के लिए पारित किया गया था।
3. सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, जीएनसीटीडी अधिनियम विधानसभा की शक्तियों, उपराज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियों, एवं उपराज्यपाल को जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की रूपरेखा देता है।
4. मौजूदा अधिनियम के अनुसार, दिल्ली की विधान सभा में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि को छोड़कर सभी मामलों में कानून बनाने की शक्ति है।

e. अब अधिनियम में निम्नलिखित खंड सम्मिलित करने का प्रस्ताव है –

"बशर्ते कि मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के निर्णय के अनुसरण में कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले, सरकार, राज्य सरकार, उपयुक्त सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रशासक या मुख्य आयुक्त की शक्तियां, जैसा भी मामला हो, राजधानी में किसी भी कानून के तहत, अनुच्छेद 239AA के खंड (4) के लिए उपराज्यपाल की राय ऐसे सभी मामलों पर प्राप्त की जाएगी, जो एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।"

1. "यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239AA के खंड (4) के तहत उन्हें सौंपी गई शक्ति का प्रयोग करने का अवसर दिया जाए।
2. विधान सभा के नियम – विधेयक में अधिनियम की धारा 33 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है, जो दिल्ली विधानसभा को यह अधिकार देता है कि वह अपना व्यवसाय इस नियम से कर सके कि वह वह लोगों के घर में व्यापार की प्रक्रिया एवं आचरण के नियमों के साथ असंगत न हो।

f. **फरवरी 2019 उच्चतम न्यायालय निर्णय** –

1. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इसे चुनी हुई सरकार के नीतिगत फैसलों के मामले में स्वतंत्रता दी है।
2. सरकारी अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि यह इस फैसले के कारण था कि सरकार नीतिगत फैसलों को स्पष्ट करने में सक्षम थी जैसे कि 200 इकाइयों के तहत मुफ्त बिजली देने वाली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सवार एवं राशन की डोरस्टेप डिलीवरी इत्यादि।

क्वाड (QUAD) को समझना

a. **संदर्भ** – हाल ही में चार क्वाड नेताओं के बीच हुई आभासी शिखर वार्ता महज एक 'टॉक–शॉ' नहीं थी, बल्कि उसके व्यापक अर्थ थे।

b. **वार्ता का महत्व** –

1. वैक्सीन की पहल एक महत्वाकांक्षी समय सीमा के साथ आती है – 2022 के अंत तक एक अरब टीके, अमेरिकी तकनीक, जापानी फंडिंग एवं ऑस्ट्रेलियाई वितरण नेटवर्क से भारत में बनाकर जहाँ तक संभव हो कई इंडो–पैसिफिक देशों तक पहुंचाने है।
2. उभरती हुई प्रौद्योगिकियों एवं जलवायु परिवर्तन पर साझेदारी – चार क्वाड देश पेरिस समझौते के आधार पर उत्सर्जन में कमी के साथ–साथ प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं, 5 जी नेटवर्क एवं जैव प्रौद्योगिकी पर सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

c. शक्तिशाली वक्तव्य – अमेरिका ने एक संयुक्त वक्तव्य – जिसे 'द स्पिरिट ऑफ द क्वाड' कहा, एवं चार नेताओं द्वारा एक संयुक्त लेख, जो एक खुले 'जबरदस्ती से मुक्त' इंडो–पैसिफिक के लिए प्रतिबद्ध हैं।

d. निहितार्थ – क्वाड मित्रता की शुरुआत अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व के संदर्भ में वापिस आ जाने से हुई हैं, चीन की ओर से बढ़ती चुनौती से क्षेत्रीय गठबंधनों की फिर से पुष्टि हुई है।

e. भारत के लिए – LAC पर तनावपूर्ण वर्ष के बाद क्वाड की नई शर्तों का अर्थ अधिक रणनीतिक समर्थन होगा, साथ ही इसके फार्मास्युटिकल ताकत, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के लिए अवसरों एवं विकास परियोजनाओं एवं वित्त पोषण के बुनियादी ढांचे पर क्षेत्रीय सहयोग के लिए और अधिक सहायता के रूप में होगा विशेष रूप से दक्षिण एशिया में, जहां चीन ने बढ़त बना ली है।

f. चुनौतियां – सभी देश मुख्य रूप से चीन पर लाभ उठाने पर केंद्रित हैं।

1. नई अमेरिकी सरकार अभी भी चीन के साथ अपने संबंधों की खोज कर रही हैय
2. जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के लिए, चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, एक ऐसा संबंध जो केवल तभी बढ़ेगा जब 15–राष्ट्र RCEP आ जाएगा।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

3. भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों को देखते हुए, LAC के विघटन वार्ता, एवं ब्रिक्स एवं शंघाई सहयोग संगठन में अन्य बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाई हैं एव इसे भी क्वाड में सावधानी से प्रदर्शित किया हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मोदी ने क्या कहा क्वाड को एक सैन्य गठबंधन के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने के बजाय 'वैश्विक अच्छे बल' के रूप में कार्य करना चाहिए।
4. इस लिहाज से, क्वाड के नए 'समिट अवतार' ने भारत को अपने धनुष के लिए एक और प्रत्यंचा प्रदान की है, जिसने भारत के हितों को अपने भू–राजनीतिक क्षितिज पर और भी व्यापक बना दिया है।

क्वाड पर चीन का दृष्टिकोण –

a. ग्लोबल टाइम्स परिप्रेक्ष्य –
   1. QUAD के साथ भारत का गठबंधन – ग्लोबल टाइम्स के रूप में ब्रिक्स के लिए एक 'नकारात्मक संपत्ति' को उजागर करता है क्योंकि यह दोनों मंचों में भारत की भागीदारी को विरोधाभास के रूप में देखता है।
   2. 'हाल के वर्षों में अमेरिका एवं अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड के करीब जाने में', दिल्ली ने 'भारत–चीन एवं भारत–रूस संबंधों' को खराब कर दिया है एवं ब्रिक्स एवं एससीओ के विकास में प्रगति को रोक दिया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन यूरेशियन फोरम है जिसकी स्थापना बीजिंग एवं मॉस्को ने मिलकर एक सदी पहले की थी।
   3. कई लोगों ने इन वर्षों में ब्रिक्स एवं क्वाड के बीच भारत के दोलन को पूर्व एवं पश्चिम के बीच दिल्ली के रणनीतिक भ्रम एवं यूरेशिया एवं इंडो–पैसिफिक के बीच के रणनीतिक भ्रम के रूप में देखा है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स दिल्ली के व्यवहार में एक रणनीतिक पैटर्न देखता है।
   4. बीजिंग के दृष्टिकोण से, भारत ने आतंकवाद जैसे मुद्दों पर ब्रिक्स का लाभ उठाया है एवं आंतरिक एशिया में क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त किया है। इसी समय, बीजिंग ने दिल्ली को क्वाड को संतुलित करने या चीन को 'ब्लैकमेल करने' के रूप में देखा है। दिल्ली के यथार्थवादियों के छोटे बैंड को देख सकते हैं कि बीजिंग के हाइपर–रियलिस्टों से आने वाली प्रशंसा के रूप में।

b. वास्तविकता – चीन वास्तविक खतरे के रूप में – एक बढ़ता हुआ चीन, इसके विपरीत, भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है एवं अमेरिका उत्तर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
   1. चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति के साथ, PLA सीमा पर अधिक मुखर हो गया है। सीमा पर शांति एवं अमन के टूटने के बीच, अमेरिका एवं उसके एशियाई सहयोगियों का समर्थन मूल्यवान रहा है।
   2. कश्मीर के सवाल पर, यह चीन है जो UNSC में इस मुद्दे को उठाता है जबकि अमेरिका भारत को चीन की चालों को रोकने में मदद कर रहा है।
   3. सीमा पार आतंकवाद पर, अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डालता है एवं चीन रावलपिंडी की रक्षा करता है।
   4. अमेरिका ने वैश्विक परमाणु क्रम के साथ भारत के एकीकरण की सुविधा प्रदान की है जबकि बीजिंग ने दिल्ली को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता को अवरुद्ध किया है।
   5. यूएस ने भारत को UNSC की स्थायी सदस्यता को सर्मथन देता है, चीन नहीं देता है।
   6. दिल्ली अब चीन के साथ व्यापार को भारत की विनिर्माण क्षमता को खोखला करती है। चीन से दूर अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का इसका उद्देश्य अमेरिका एवं क्वाड भागीदारों द्वारा साझा किया गया है।
   7. भारत, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध करता है, जो एक ऐसी परियोजना है जो भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता एवं क्षेत्रीय प्रधानता को कम करती है। बीआरआई के विकल्प की पेशकश करने के लिए दिल्ली क्वाड भागीदारों के साथ काम कर रहा है।
   8. दिल्ली उपमहाद्वीप एवं हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य प्रोफाइल को एक समस्या के रूप में देखती है एवं वाशिंगटन के साथ मिलकर भारत के पड़ोस में मौजूद असंतुलन के निवारण के लिए काम कर रही है।

क्वाड समूह के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन

संदर्भ –

a. एक क्वाड वैक्सीन पहल की घोषणा की गई जिसमें भारत इंडो–पैसिफिक क्षेत्र के देशों के लिए जापानी फंडिंग एवं ऑस्ट्रेलियाई लॉजिस्टिक समर्थन के साथ अमेरिकी टीके का निर्माण करेगा।

b. तीन वर्किंग ग्रुप भी लॉन्च किए गए – क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट्स ग्रुप, क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप एवं क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप।
   1. 'द क्वॉड वैक्सीन पार्टनरशिप – शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक फैक्टशीट –' यह सुनिश्चित करते हुए कि टीके हमारे लोगों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, 'क्वाड' पार्टनर्स कोविड –19 महामारी के अंत में एवं तेजी लाने के लिए एक लैंडमार्क साझेदारी शुरू करेंगे। साथ में, क्वाड नेता 2021 में सुरक्षित एवं प्रभावी कोविड–19 वैक्सीन निर्माण का विस्तार करने के लिए आवश्यक साझा कार्रवाई कर रहे हैं, एवं डब्ल्यूएचओ सहित मौजूदा प्रासंगिक बहुउद्देश्यीय तंत्र के साथ निकट समन्वय में भारत–प्रशांत में टीकाकरण के साथ देशों को मजबूत बनाने एवं सहायता करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
   2. क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप – "हमने क्वाड एवं इंडो–पैसिफिक क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के रूप में जलवायु चुनौती की पहचान की है। हम एक नए क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप की स्थापना करेंगे, जो पेरिस समझौते के लागू–उल्लेख को मजबूत करने के लिए, स्वयं के साथ एवं अन्य देशों में, दोनों के बीच सहयोग पर केंद्रित है, जिसमें पेरिस–संरेखित तापमान सीमा को पहुंच के भीतर रखना शामिल है।"
   3. क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप– 'यह प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास एवं उपयोग पर भागीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ काम करने सहित प्रौद्योगिकी मानकों के विकास पर समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

c. चीनी प्रतिक्रिया – 'एक्सक्लुसीव ब्लॉक्स' को तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करना चाहिए।
   1. इसमें कहा गया है कि राष्ट्रों के बीच सहयोग 'किसी तीसरे पक्ष के लक्ष्य या हितों के नुकसान' के लिए नहीं होना चाहिए एवं देशों को 'विशेष ब्लॉक्स' नही बनाना चाहिए।
   2. 'राष्ट्रों के बीच आदान–प्रदान एवं सहयोग राष्ट्रों के बीच आपसी समझ एवं विश्वास में योगदान करना चाहिए'।

d. QUAD का विवरण –
1. QUAD सुरक्षा संवाद में जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
2. सभी चार राष्ट्रों में लोकतांत्रिक राष्ट्रों के एक सामान्य आधार एवं बिना रुके समुद्री व्यापार एवं सुरक्षा के साझा हित पाए जाते हैं।
3. इस विचार को पहली बार 2007 में जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे द्वारा दिया गया था। हालांकि, बाद में इस विचार पर ऑस्ट्रेलिया ने कार्य किया।
4. 2007 – ग्रुपिंग का गठन 2004 के भारत महासागर सुनामी के बाद किया गया, यह विचार आपदा स्थितियों के लिए समुद्री क्षमताओं का बेहतर समन्वय करने के लिए था।
5. भारत का कोण – भारत ने हमेशा एक शानदार प्रतिक्रिया दिखाई है। मोदी ने शांगरी ला संवाद में कहा था कि भारत इंडो–पैसिफिक को 'भौगोलिक अवधारणा' के रूप में देखता है, न कि 'रणनीति या सीमित सदस्यों का क्लब'।
   1) इसके अलावा, भारत क्वाड में एकमात्र देश है जो चीन के साथ भूमि सीमा साझा करता है। समुद्री सीमा पर हमारी मित्रता, भूमि सीमा मुद्दे को हल नहीं करती है।
   2) भारत एससीओ, ब्रिक्स एवं आरआईसी आदि में भी चीन का भागीदार है।
   3) भारत ने अतीत में एक गुटनिरपेक्ष रास्ता अपनाया है एवं आज रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ एवं जर्मनी जैसे भागीदारों के साथ एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण है।
   4) हालांकि, दुनिया तेजी से एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रही है, एवं सोच के पुराने बक्से बिखरने के लिए बाध्य हैं।
6. 2017 – क्वाड 2.0 – पुरानी संरचना को पुनर्जीवित किया, जिसे अब क्वाड 2.0 के रूप में करार दिया गया है, जिसका उपयोग अब इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते अतिक्रमण का मुकाबला करने के लिए किया जाता है।

सिविल सेवा में लेटरल एंट्री (पार्श्व प्रवेश)

संदर्भ –
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें केंद्र सरकार के विभागों के संयुक्त सचिव एवं निदेशक के 27 पदों के लिए "प्रतिभाशाली एवं प्रेरित भारतीय नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए इच्छुक" आवेदन मांगे गए।

पृष्ठभूमि –
1. इससे पहले, सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संयुक्त सचिव के 10 पदों एवं उप सचिव/निदेशक के स्तर पर 40 पदों के लिए सरकार के बाहर के विशेषज्ञों को नियुक्त करने का निर्णय लिया था।
2. संयुक्त सचिव, सचिव एवं अपर सचिव के बाद सेवाओं में तीसरा सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी होता है।

सरकार की योजना –
- नीति आयोग, ने अपने तीन–वर्षीय एक्शन एजेंडा, एवं सेक्टरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी (SGoS) ने फरवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट में गवर्नेंस पर, केंद्र सरकार में मध्यम एवं वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर कर्मियों को शामिल करने की सिफारिश की।
- पार्श्व प्रवेशक 'केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा होंगे जहाँ सामान्य पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय सेवाओं/केंद्रीय सिविल सेवाओं से आए कैरियर नौकरशाह होते हैं।

पार्श्व प्रवेश के लिए सरकारी कारण –
- 4 जुलाई, 2019 को, DoPT के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को बताया कि 'सरकार ने समय–समय पर, डोमेन क्षेत्र में उनके विशेष ज्ञान एवं विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, सरकार में विशिष्ट कार्य के लिए कुछ प्रमुख व्यक्तियों को नियुक्त किया है'।

पार्श्व प्रवेश की समस्याएं –
a. IAS अधिकारी 17 साल की सेवा के बाद संयुक्त सचिव स्तर पर पदोन्नत होते हैं एवं दस साल तक उस स्तर पर बने रहते हैं। IAS एवं स्थायी प्रणाली सख्ती से वरिष्ठताबद्ध हैं – किसी को समय से पहले पदोन्नत नहीं किया जाता है। कोई व्यक्ति संयुक्त सचिव 45 वर्ष की औसत आयु के आसपास बनता है। अब, पार्श्व प्रवेश के लिए इसी तरह के अनुभव की आवश्यकता होती है, तो यह संभावना नहीं है कि सबसे अच्छा व्यक्ति शामिल हो जाएगा क्योंकि निजी क्षेत्र में वे अपने पेशे के शीर्ष पर पहुंचते हैं, सीईओ या सीएक्सओ पदों पर, या उस उम्र में कार्यकाल के प्रोफेसरों तक।
b. प्रवेश आवश्यकताओं को शिथिल करने की आवश्यकता है ताकि 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति पात्र हों। तर्क अन्य रैंकों तक फैला हुआ है। IAS अधिकारी 30 से 33 साल की सेवा के बाद सरकार के सचिव बन जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 55 या उससे ऊपर हैं। बाहर से सबसे अच्छी प्रतिभा केवल 50 या उससे कम में शामिल होगी।
c. दूसरी चुनौती यह है कि क्या सिस्टम उत्तराधिकारी के लिए पार्श्व प्रवेशकों की सुविधा प्रदान कर रहा है एवं विफलता के मामले में उदासीन है। इसके कई आयाम हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मंत्रालय में कई संयुक्त सचिव हैं जो विभिन्न विभागों को संभालते हैं। यदि एक महत्वहीन पोर्टफोलियो सौंपा जाता है, तो एक निशान नहीं बनाने की संभावना अधिक है। एक सरसरी निगाह से देखने पर ही आठ–विभागों जिनके लिए संयुक्त सचिवों की नियुक्त पार्श्व प्रवेश द्वारा की गई है के के महत्वपूर्ण पोर्टफोलियों नही होने का सुझाव देती है। एक प्रवेशी पहले ही छोड़ चुका है।

आगे की राह –
- पार्श्व प्रवेश के लिए जनादेश क्या है, इसमें स्पष्टता भी होनी चाहिए।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

सामान्य अध्ययन – III

सीमा पार से बिजली नीति –

संदर्भ –
भारत ने अपनी सीमाओं के पार बिजली के व्यापार को नियंत्रित करने वाले नए नियम जारी किए हैं। वे दक्षिण एशियाई बिजली बाजार की रूपरेखा को परिभाषित करते हैं, जो भारत में बिजली खरीद एवं बेच सकते हैं।

प्रभाव –
1. पड़ोसियों पर प्रभाव – इससे बांग्लादेश, भूटान एवं नेपाल के बिजली बाजारों के प्रभावित होने की संभावना है, जिन्होंने अलग–अलग डिग्री पर, भारतीय बाजार के साथ अपनी भविष्य की ऊर्जा के लिए गठबंधन किया है। नए नियम बताते हैं कि भारत का दृष्टिकोण राजनीतिक है। यह विकासात्मक उद्देश्यों के साथ इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास करता है।
2. थर्ड पार्टी ट्रेड – नियम 'तीसरे देश, जिसके साथ भारत एक भूमि सीमा साझा करता है', 'एवं भारत के साथ बिजली क्षेत्र के सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता नहीं करता है' में स्थित कंपनी के स्वामित्व वाले संयंत्रों की भागीदारी को दृढ़ता से हतोत्साहित करता है।
3. त्रिपक्षीय व्यापार – भूटान से बांग्लादेश तक भारतीय क्षेत्र तक, नियम त्रिपक्षीय व्यापार पर समान सुरक्षा प्रतिबंध लगाते हैं।
4. निगरानी तंत्र – वस्तुओं को और भी अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, नियम भारत के साथ व्यापार करने वाली संस्थाओं के स्वामित्व पैटर्न में बदलाव का पता लगाने के लिए विस्तृत निगरानी प्रक्रियाएं स्थापित करते हैं।

एक प्रतिगामी चाल –
1. 2014 में, भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के ढांचे का इस्तेमाल बिजली के व्यापार को उदार बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए किया।
2. चीन ने जल्द ही इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर दिया, एवं भारत ने अपने मुक्त–बाजार के आवेगों को वापस करके जवाब दिया। 2018 में नए दिशानिर्देश जो एक मध्यम जमीन खोजने की कोशिश करते हैं एवं संतुलन बनाने की कोशीश करते हैं। वे निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देते हैं लेकिन चीनी निवेश को बाहर रखते हैं।
3. भारत सरकार, मंत्रालयों, नियामकों, योजना निकायों एवं उपयोगिताओं के माध्यम से नियमों को निर्धारित करती है। भारत की भौगोलिक केंद्रीयता बाजार के आकार को निर्धारित करने में इसे प्राकृतिक लाभ देने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति के साथ जोड़ती है, सभी इलेक्ट्रॉनों को इससे गुजरना होगा एवं अधिकांश इलेक्ट्रॉनों द्वारा इसे खरीदा जाएगा।

आगे की राह –
1. भारत के, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड या OSOWOG नामक वैश्विक सुपर–ग्रिड को एंकर करने की महत्वाकांक्षा को एक संस्थागत दृष्टि की आवश्यकता है।
2. इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के कनेक्शनों से शुरू करना है एवं फिर अफ्रीका एवं उससे आगे तक फैलाना है। इन नवीनतम नियमों में निहित दक्षिण एशियाई सबक यह है कि राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ लगातार टकराव होगा, एवं क्षति, सीमाहीन व्यापार के विस्तार के दर्शन होंगे। योजना, निवेश एवं संघर्ष समाधान के लिए समान संस्थान बहु–देश बिजली पूल के लिए महत्वपूर्ण हैं।

स्वैच्छिक वाहन–बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (VVMP) या 'वाहन स्क्रैपिंग नीति'

संदर्भ –
a. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की
b. लक्ष्य – अनफिट एवं प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए एक इको–सिस्टम बनाना।
c. उद्देश्य –
   1. पुराने एवं दोषपूर्ण वाहनों की आबादी को कम करना
   2. भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वाहनों के वायु प्रदूषकों में कमी को प्राप्त करना
   3. सड़क एवं वाहनों की सुरक्षा में सुधार, बेहतर ईंधन दक्षता हासिल करना
   4. वर्तमान में अनौपचारिक वाहन स्क्रैपिंग उद्योग को औपचारिक रूप देना एवं ऑटोमोटिव, स्टील एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कम लागत वाले कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ावा देना
d. पुराने वाहन – वे पर्यावरण को फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषित करते हैं एवं सड़क सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण एवं सवार तथा पैदल यात्री सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

नीति निम्नलिखित का प्रस्ताव करती है–
1. यह प्रस्तावित करती है कि फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफलता के मामले में वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल बाद गैर–पंजीकृत किया जाना चाहिए।
2. यह प्रस्तावित करती है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने में विफलता के मामले में निजी वाहन 20 साल बाद गैर–पंजीकृत किए जाने चाहिए।
3. यह प्रस्तावित करती है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायत, राज्य परिवहन उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एवं स्वशासी निकायों (केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ कार्यरत) के सभी वाहनों को पंजीकरण की तारीख से 15 साल बाद गैरपंजीकृत या स्क्रैप किया जाना चाहिए।
4. योजना पुराने वाहनों के मालिकों को पुराने एवं अनफिट वाहनों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों (जो मालिकों को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे) पर अपने वाहनों को स्क्रैप करने पर मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

परिमार्जन नीति में अंतदृष्टि –

कट–ऑफ दिनाँक –

1. सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े वाहनों को निकालने के लिए 1 अप्रैल, 2022 तक का समय लगेगा।
2. 1 अप्रैल, 2023 को अनिवार्य फिटनेस जाँचों के माध्यम से जंक भारी वाणिज्यिक वाहनों की पहचान करना, एवं
3. अंत में 1 अप्रैल 2024 तक अन्य वाहन।

फिटनेस आधारित मानदंड –

1. निजी वाहनों के मामले में वाणिज्यिक वाहनों एवं पंजीकरण के गैर–नवीकरण के मामले में स्वचालित स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
2. फिटनेस परीक्षण में विफल रहने वाले या अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहने वाले वाहन को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल घोषित किया जा सकता है।
3. फिटनेस निर्धारित करने के लिए मानदंड – कई अन्य परीक्षणों के बीच उत्सर्जन परीक्षण, ब्रेक लगाना, सुरक्षा उपकरण, जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार हैं।
4. जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका एवं जापान जैसे विभिन्न देशों के मानकों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद मानदंड को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से अनुकूलित किया गया है।

फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफलता पर –

1. फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफलता के मामले में 15 साल बाद वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण किया जाना चाहिए।
2. यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र को नवीनीकृत करने में विफलता के मामले में या अनफिट पाया जाता है, तो निजी वाहनों को 20 साल बाद गैरपंजीकृत किया जाएगा।
3. सभी सरकारी एवं पीएसयू वाहनों को पंजीकरण की तारीख से 15 साल बाद गैरपंजीकृत एवं स्क्रैप किया जा सकता है।

प्रोत्साहन –

1. योजना पुराने वाहनों के मालिकों को पुराने एवं अनफिट वाहनों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों (जो मालिकों को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे) पर अपने वाहनों को स्क्रैप करने पर मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

चुनौतियां –

1. जैसा कि नीति में परिकल्पना की गई है, 15 एवं 20 वर्षों के बाद वाणिज्यिक एवं निजी वाहन सड़क पर चलने योग्य हैं या नही यह आकलन करने के लिए, राज्यों की मदद से स्वचालित फिटनेस जाँच केंद्रों की एक विश्वसनीय प्रणाली लगाने के लिए, आसान काम नहीं होगा।
2. उपयोग के लिए अनफिट पाए जाने एवं उन्हें छोटे शहरों में जाने से रोकना एवं स्क्रैप करना महत्वपूर्ण हो जाएगा।
3. राज्यों को भी रोड टैक्स एवं पंजीकरण रियायतें प्रदान चाहिए, जबकि ऑटोमोबाइल उद्योग से नए वाहनों पर छूट दिए जाने की उम्मीद है।
4. संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 का प्रवर्तन पहले से ही चुनौतीपूर्ण साबित हुआ हैं।
5. भारी वाणिज्यिक वाहन, जो प्रदूषण में असमान रूप से योगदान करते हैं – 1.7 मिलियन में फिटनेस प्रमाणपत्र की कमी – सबसे बड़ी चुनौती है।

इनमें से कई को छोटे ऑपरेटरों के लिए वित्तीय व्यवस्था के अभाव में जल्दी से नहीं बदला जा सकता है, जिन्होंने नए उपायों का विरोध किया है।

लाभ –

1. मांग में तेजी के कारण निर्माता लाभान्वित होते हैं।
2. वाहन परिमार्जन एवं प्रतिस्थापन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, हरित प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) को विशेषाधिकार देकर कोविड–19 से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को फिर से जीवंत करने के मार्ग के रूप में देखा जाता है।
3. यह पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं के तहत मध्य शताब्दी तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की पहल का भाग भी है।
4. ऑटोमोबाइल उद्योग की पूर्व–कोविड–19 हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7.5% है। केंद्र को एक संतुलन पर पहुंचना पड़ता है एवं ऐसे प्रोत्साहन मिलते हैं जो वाहनों के निर्माताओं को पुरस्कृत करते हैं जो सबसे अधिक ईंधन–कुशल हैं।
5. पारिस्थितिक स्क्रैपिंग, एक अवधारणा के रूप में, मटेरियल की रिकवरी की उच्च दर पर होना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण, खनन एवं पर्यावरण पर दबाव कम हो सके।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 60 बिलियन डॉलर से ऊपर

संदर्भ –

1. विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत के प्रति आशावादी हैं। गुगल, फेसबुक, वॉलमार्ट, सैमसंग, फॉक्सकॉन एवं सिल्वर लेक केवल कुछ नाम भर फर्में हैं जिन्होंने 2020 में भारत पर बड़े टिकट के दांव लगाए हैं।
2. परिणामस्व – यहां तक कि भारत ने दुनिया के सबसे तेज आर्थिक संकुचन में से एक का अनुभव किया, इसने पिछले साल सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सबसे तेज वृद्धि देखी।
3. नए वार्षिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह के लिए भारत का $ 60 बिलियन–प्लस टैली अपने सबसे बड़े पैमाने पर एवं अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के एजेंडे में एक मील का पत्थर है। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा केवल रिलायंस जियो में लगाया गया।

सीमा – इस बीच, भारत के नवीनतम एफडीआई योग अभी भी चीन एवं ब्राजील जैसे अन्य बाजारों में सबसे अधिक ऊंचाई से पीछे हैं।

एफडीआई आमद में वृद्धि होने के 4 प्रमुख कारण –

1. **जनसांख्यिको** – जो भारत अपने लगभग 1.4 बिलियन लोगों के माध्यम से प्रदान करता है एवं वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उनकी बढ़ती क्रय शक्ति विशिष्ट रूप से मूल्यवान है। चीन के बाहर किसी भी अन्य देश में ऐसा बाजार नहीं है जो ग्रह पर छह लोगों में लगभग एक के बराबर है एवं 600 मिलियन की बढ़ती मध्यम वर्ग है। भारतीयों के पर्स के एक हिस्से के लिए प्रतिस्पर्धा करने में विफलता सिर्फ एक रणनीतिक चूक नहीं है, बोर्डरूम स्तर पर यह लगभग कदाचार है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

2. **बदलती जियोपॉलिटिक्स** – अमेरिका–चीन के बीच बढ़ती प्रतियोगिता, निवेश एवं विनिर्माण के वैश्विक परिदृश्य को पुनर्परिभाषित कर रही है, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने पदचिह्नों एवं उत्पादन केंद्रों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वियतनाम जैसे देशों ने इस अवसर को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है, लेकिन भारत आखिरकार बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं निर्यात को आकर्षित करने के लिए गंभीर हो रहा है। सैमसंग जैसी प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय बाजार में अरबों का निवेश किया है, एवं सिस्को, नोकिया, एरिक्सन एवं फ्लेक्स जैसे निर्माता नए निवेश कर रहे हैं।
3. **डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ रही है** – सस्ते मोबाइल डेटा ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दी है एवं लगभग 700 मिलियन भारतीय इंटरनेट से जुड़े हैं। जैसा कि श्री मोदी ने कहा है, 500 मिलियन से अधिक भारतीय अभी भी ऑफलाइन हैं, एवं इन अगले इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का उदय एक प्रमुख कारण है कि प्रमुख वैश्विक टेक कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। घरेलू भारतीय कंपनियों ने भी बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं को नया करने एवं वितरित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं भारतीय टेक फर्मों को जोड़ने वाली साझेदारी एवं एफडीआई प्रवाह आने वाले वर्षों के लिए साझा बाजार के अवसरों को अनलॉक करना जारी रखेगा।
4. **राष्ट्रीय लचीलापन** – भारत ने अपने कई पश्चिमी साथियों की तुलना में कोविड–19 महामारी को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया है एवं सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने से पहले ही आर्थिक गतिविधि को बहाल कर दिया। ये उल्लेखनीय घटनाक्रम हैं एवं वे ऐतिहासिक चुनौतियों के सामने भी भारत की अंतर्निहित लचीलेपन को बताते हैं। यह लोकाचार भारत के लिए लाभप्रद होगा क्योंकि यह 21 वीं सदी की जटिल चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखता है एवं वैश्विक निवेशक स्पष्ट रूप से ध्यान दे रहे हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ एवं हानियाँ

संदर्भ –

1. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** – कंप्यूटर सिस्टम जो मानव को कार्यों की तरह प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे, भाषण, अनुवाद, दृश्यिक पहचान एवं यहां तक कि निर्णय लेना।
   a. बुद्धिमत्ता – यह हमारी इंद्रियों से आँकड़ों को लेकर उन्हें संसाधित करने की क्षमता है। ऐसी प्रणाली में एक रिसेप्टर, सेंसर, एक मेमोरी (डेटा को स्टोर करने के लिए) एवं एक प्रोसेसिंग यूनिट (मस्तिष्क) होती है।
   b. वे दो प्रकार के हो सकते हैं – कृत्रिम बुद्धिमत्ता (मशीन एआई) एवं प्राकृतिक बुद्धिमत्ता।
   c. एआई के उदाहरण – रोबोटिक्स, स्वायत्त वाहन, खोज इंजन।

2. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ** –
   a. जीवन जीने में आसानी – यह हमारे पसंदीदा स्ट्रीमिंग या शॉपिंग साइट पर मिलने वाली सिफारिशों, जीपीएस मैपिंग तकनीक, जब हम एक ईमेल भेजने या एक वेब खोज करते समय थोड़ा सा वाक्य लिखने पर संपूर्ण वाक्य के आ जाने के रूप में देखा जा सकता है।
   b. तेज विकास – एआई भूख, गरीबी एवं बीमारी के उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन को रोकने, शिक्षा एवं वैज्ञानिक खोज के लिए नए रास्ते खोल सकती है।
   c. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) पर एआई के प्रभाव की समीक्षा करते हुए नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि एआई 134 एसडीजी लक्ष्यों – या 79% पर एक एनबलर के रूप में कार्य कर सकता है।
   c. उत्पादकता बढ़ाता है – पहले से ही, एआई ने फसल की पैदावार बढ़ाने, व्यापार उत्पादकता बढ़ाने, ऋण में सुधार एवं कैंसर का पता लगाने में तेजी से और अधिक सटीक मदद की है।
   d. विकास लाता है – यह 2030 तक विश्व अर्थव्यवस्था में 15 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का योगदान दे सकता है, वैश्विक जीडीपी में 14% जोड़ सकता है।
   e. गुगल ने दुनिया भर में 'AI फॉर गुड' के 2,600 से अधिक उपयोग मामलों की पहचान की है। हम अभूतपूर्व तकनीकी सफलताओं के शिखर पर हैं जो हमारी दुनिया को पहले से कहीं अधिक गहराई से सकारात्मक रूप से बदलने का वादा करते हैं।

3. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नुकसान** –
   a. विघटनकारी – नेचर पत्रिका में अध्ययन से यह भी पता चलता है कि AI सक्रिय रूप से 59 – या 35% – एसडीजी लक्ष्यों में बाधा डाल सकता है।
   b. असमान पहुंच – एआई के लिए बड़े पैमाने पर कम्प्यूटेशनल क्षमता की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है अधिक बिजली की आवश्यकता वाले डेटा केंद्र – एवं बड़ा कार्बन पदचिह्न। तब, AI डिजिटल बहिष्करण को बढ़ा सकता है।
   c. पारंपरिक नौकरियों की समाप्ति – आज रोबोटिक्स एवं एआई आमतौर पर कम आय वाले श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कर रही हैं, जैसे स्वयं सेवा कियोस्क, फल उठाने वाले रोबोट आदि, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब एआई द्वारा कई डेस्क जॉब्स को भी समाप्त कर दिया जाएगा, जैसे एकाउंटेंट, वित्तीय व्यापारी एवं मध्य प्रबंधक। श्रमिकों को बचाने के लिए स्पष्ट नीतियों के बिना, नए अवसरों का वादा वास्तव में गंभीर नई असमानताएं पैदा करेगा।
   d. अमीरों के पक्ष में – निवेश उन देशों में स्थानांतरित होने की संभावना है जहां एआई–संबंधित कार्य पहले से ही स्थापित है, जो अमीर एवं गरीब देशों के बीच अंतराल को चौड़ा करेगा। साथ में, चार बड़ी तकनीकी कंपनियाँ – अल्फाबेट/गुगल, अमेज़ॅन, ऐप्पल एवं फेसबुक – $5 ट्रिलियन मूल्य के बराबर हैं, जो पृथ्वी के कई देशों के जीडीपी से अधिक हैं। 2020 में, जब दुनिया कोविड–19 महामारी के प्रभाव से उबर रही थी, उन्होंने अपने मूल्य में $2 ट्रिलियन से अधिक जोड़ा।
   e. गोपनीयता चिंताएं – डेटा के लिए एल्गोरिथ्म की कभी न खत्म होने वाली खोज के कारण हमारे डिजिटल फुटप्रिंट को हमारे ज्ञान या सूचित सहमति के बिना बेचा गया। एल्गोरिदम आज हमें, खुद हमसे बेहतर जानते हैं।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

f. सोशल इंजीनियरिंग – वे हमारे जाने बिना हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे उपकरणों की लत का हमारा स्तर, हमारे फोन को देखने का विरोध करने में असमर्थता, एवं कैम्ब्रिज एनालिटिका के कंपा देने वाले मामले – जिसमें ऐसे एल्गोरिदम एवं बड़े डेटा का उपयोग वोटिंग निर्णयों को बदलने के लिए किया गया था।

4. **समस्या का विश्लेषण करना** – एआई तकनीक कंपनियों से इन सभी चुनौतियों को आत्म–नियमन के माध्यम से हल करने की अपेक्षा करना न तो पर्याप्त है एवं न ही उचित है।
   a. वे एआई को विकसित करने एवं तैनात करने में अकेले नहीं हैं, सरकारें भी ऐसा करती हैं।
   b. केवल AI प्रशासन के लिए 'पूरे समाज' का दृष्टिकोण हमें डिजाइन, विकास एवं तैनाती चरणों के दौरान आवश्यक हानि–शमन उपायों, समीक्षाओं एवं लेखापरीक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक–आधारित नैतिक सिद्धांतों, संस्कृतियों एवं आचार संहिता को विकसित करने में सक्षम करेगा।

5. **समाधान एवं रणनीतियां** – डिजिटल सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव का रोडमैप एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है –
   a. यह वैश्विक सहयोग पर बहु–हितधारक प्रयासों की आवश्यकता को पूरा करता है इसलिए एआई का उपयोग 'भरोसेमंद, मानवाधिकार–आधारित, सुरक्षित एवं टिकाऊ, एवं शांति को बढ़ावा देने' के लिए किया जाता है।
   b. यूनेस्को ने विचार–विमर्श एवं अपनाने के लिए सदस्य राज्यों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता पर एक वैश्विक, व्यापक मानक–सेटिंग मसौदा सिफारिश विकसित की है।
   c. भारत सहित कई देश अवसरों एवं जोखिमों के प्रति संज्ञान में हैं, एवं एआई प्रमोशन एवं एआई गवर्नेंस के बीच सही संतुलन बनाने के लिए प्रयासरत हैं।
   d. नीति आयोग की सभी कार्यों के लिए रिस्पॉसिबल AI नीति, जो एक साल की सलाहकार प्रक्रिया की परिणति है, एक अच्छा शुरूआती बिंदु है। यह नीति मानती है कि हमारे डिजिटल भविष्य को बहु–हितधारक शासन संरचनाओं के बिना अच्छे कार्यों के लिए अनुकूलित नहीं किया जा सकता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभांश उचित, समावेशी एवं न्यायपूर्ण हों।

बीमा क्षेत्र में विनिवेश

संदर्भ –

a. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद के चालू बजट सत्र में पेश किया जाएगा।

b. इस क्षेत्र की मुख्य चुनौती –
   1. भारत में बीमा की पैठ अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से बहुत पीछे है, बड़ी संख्या में बीमा कंपनियों की मौजूदगी के बावजूद देश में 24 जीवन बीमा कंपनियां एवं 34 गैर–जीवन बीमा कंपनियां हैं।
   2. आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 के अनुसार,
      1. भारत में बीमा पैठ (जीडीपी के लिए बीमा प्रीमियम का के रूप में अनुमानित) 2001 में 2.71% से बढ़कर 2019 में 3.76% हो गया है, यह मलेशिया (4.72), थाईलैंड (4.99) एवं चीन (4.3) जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है।
      2. 2019 में इस 3.76%, में से 0.94% गैर–जीवन बीमा था।
      3. तुलनात्मक रूप सें, वैश्विक बीमा पैठ जीवन खंड में 3.35% एवं गैर–जीवन खंड में 3% है।
   3. भारत में बीमा घनत्व (जनसंख्या का प्रीमियम का अनुपात) 2001 में $11.5 से बढ़कर 2019 में $78 हो गया, यह अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है – यह मलेशिया में $536, थाईलैंड में $389 एवं चीन में $430 है।

c. कम पैठ के कारण –
   1. बढ़ती कवरेज अनुपात (प्रीमियम भुगतान के लिए बीमा कवर का अनुपात) बीमा कंपनियों पर लगाए गए पूंजी आवश्यकताओं को देखते हुए महंगा प्रस्ताव है।
   2. भारतीय बीमा फर्मों का छोटा पूँजी आकार।
   3. इस कदम से उन छोटे खिलाड़ियों को भी लाभ होने की संभावना है, जिनके पास वर्तमान में वित्त के दीर्घकालिक–प्रतिबद्ध स्रोतों तक सीमित पहुंच है।
   4. यह अधिक तकनीकी ज्ञान, नए उत्पादों को बनाने में वैश्विक विशेषज्ञता एवं बेहतर हामीदारी कौशल के रूप में अतिरिक्त लाभ भी लाएगा
   5. यह सब उपभोक्ता के लाभ एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए है।

d. एक समाधान के रूप में निजीकरण – एफडीआई की सीमा बढ़ाने से बीमा कंपनियों में पूंजी का प्रवाह हो सकता है, जिससे उन्हें अपने कवरेज का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

e. चुनौतियाँ –
   1. यहां तक कि मौजूदा सीमा का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है।
   2. जीवन एवं गैर–जीवन दोनों में औसत विदेशी निवेश मौजूदा सीमा से काफी नीचे रहता है।

सोशल मीडिया के लिए नई दिशानिर्देश – सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021

a. ओटीटी प्रदाताओं पर प्रभाव– ओटीटी सेवा प्रदाताओं जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स आदि के लिए, सरकार ने आयु उपयुक्तता के आधार पर सामग्री को पांच श्रेणियों में स्व–वर्गीकरण निर्धारित किया है।

1. यू – बच्चों के लिए एवं सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री को 'यू' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा
2. U / A 7+ - वह सामग्री जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, एवं जिसे माता–पिता के मार्गदर्शन के साथ 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

3. U / A 13 + – वह सामग्री जो 13 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, एवं माता–पिता के मार्गदर्शन से 13 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा देखी जा सकती है।
4. U / A 16 + – वह सामग्री जो 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, एवं माता–पिता के मार्गदर्शन के साथ 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा देखी जा सकती है।
5. A – ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री जो वयस्कों के लिए प्रतिबंधित है, को 'ए' रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
6. यू/ए 13 + या उच्चतर, एवं सामग्री के लिए विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र एवं वर्गीकृत सामग्री के लिए पैरेंटल लॉक की आवश्यकता होगी।

b. लाभ –
1. स्तरीय खेल मैदान – डिजिटल मीडिया पर समाचार के प्रकाशकों को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्म्स कंडक्ट एवं केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन के तहत कार्यक्रम कोड का निरीक्षण करने की आवश्यकता होगी, जिससे ऑफलाइन, टेलीविजन एवं डिजिटल मीडिया के बीच एक स्तर का खेल मैदान प्रदान किया जा सके।
2. स्व–नियमन – मीडिया ऊपर बताई गई ऐसी श्रेणियों में स्व–प्रमाणित करेगा।
3. अंतर्राष्ट्रीय समकक्ष –
   1. ऑस्ट्रेलिया – ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज एक्ट, 1992 में सामग्री के वर्गीकरण के लिए प्रावधान हैं, कुछ प्रकार की सामग्री तक सीमित पहुंच, उद्योग कोड एवं उद्योग मानक, शिकायत तंत्र, आदि। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में, वर्गीकरण सलाहकार श्रेणी हैं।
   2. यूके – यूनाइटेड किंगडम में, संचार कार्यालय (कॉमकॉम) एवं संचार अधिनियम, 2003 संचार परिदृश्य को नियंत्रित करता है।

ऑपरेशन ग्रीन्स का विस्तार –

संदर्भ –
- वित्त बजट 2021–22 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि ऑपरेशन ग्रीन (ओजी) को टमाटर, प्याज एवं आलू (टीओपी) से परे 22 खराब होने वाली वस्तुओं तक विस्तारित किया जाएगा। यद्यपि हम अभी तक यह नहीं जानते हैं कि किन अन्य वस्तुओं को ओजी में शामिल किया गया है।

ऑपरेशन ग्रीन्स (OG) के तीन मूल उद्देश्य –
- यह ऑपरेशन फ्लड (दूध) के पैटर्न पर काम करेगा।
- उत्पादन एवं खपत केंद्रों को ठीक से जोड़ा जाएगा एवं एनएएफईडी के साथ इन उत्पादों की आवाजाही के लिए आवश्यक नोडल एजेंसी के रूप में आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता बनाई जाएगी।
- टॉप (टमाटर, प्याज एवं आलू) की तीन प्रमुख सब्जी फसलों की कीमतों में असमानता का ख्याल रखना।
- किसानों को उपभोक्ताओं के रुपये का एक बड़ा हिस्सा देने के उद्देश्य से नए से मूल्य–वर्धित उत्पादों के लिए कुशल वैल्यु चेनों का निर्माण करना।
- जहाँ भी जरूरत हो आधुनिक गोदामों एवं कोल्ड स्टोरेजों का निर्माण करके फसल के नुकसान को कम करना।

संकट –
1. प्रारंभ में केवल 500 करोड़ रूपये इपके लिए अलग किए गए हैं। 500 करोड़ रुपये में से, केवल 50 करोड़ रुपये मूल्य स्थिरीकरण उद्देश्य के लिए आरक्षित हैं, जिसमें NAFED को कम कीमतों वाले (अधिक उत्पादन हो जाने के कारण) बाजारों में हस्तक्षेप करना था एवं अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों से कुछ माल को खरीद कर भविष्य के लिए स्टोर करना था।
2. 2019 प्याज प्रकरण – 55,000 रूपये प्रति टन से खरीदा गया प्याज की कीमत को स्थिर करने में विफल रहा, जो विभिन्न शहरों में 150 रूपये प्रति किग्रा को पार कर गई।
3. अर्थात अस्थिरता अभी भी उच्च बनी हुई है एवं अब भी किसान को फसल के वास्तविक विक्रय मूल्य से लाभ का बहुत कम हिस्सा मिलता है। दुग्ध, बागवानी क्षेत्र में इसके विपरीत अमूल जैसी सहकारी समितियों में, किसानों को उपभोक्ताओं के भुगतान का लगभग 75–80% मिलता है।
4. एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकसित करने की परियोजनाओं के लिए अन्य 450 करोड़ रुपये (कुल 500 करोड़ में से) आरक्षित किए गए हैं। ऐसी परियोजनाओं को 50% अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना है।
   1. यदि परियोजना किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) की है तो यह सब्सिडी 70% तक बढ़ जाती है।
   2. समस्या – 23 फरवरी तक, 363.3 करोड़ रुपये की छह परियोजनाओं को इस योजना के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें मात्र 8.45 करोड़ रुपये वास्तव में जारी किये गये है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यह योजना प्रतिपूर्ति के आधार पर सब्सिडी के भुगतान की परिकल्पना करती है।

ऑपरेशन ग्रीन में ऑपरेशन फ्लड की सफलताओं को कैसे दोहराया जाए –
1. आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास – ऐसी कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने में ऑपरेशन फ्लड (दूध) को 20 साल लग गए
2. नेताओं को प्रेरित करें – हमें ऐसी सफलताओं को दोहराने के लिए प्रेरित नेताओं एवं विशेषज्ञों जैसे वर्गीज कुरियन की आवश्यकता है।
3. पारदर्शिता – ओजी के तहत TOP फसलों के लिए क्लस्टर चुनने का मापदंड बहुत पारदर्शी एवं स्पष्ट नहीं है। कारण यह है कि कुछ महत्वपूर्ण जिलों को समूहों की सूची से छोड़ दिया गया है, कम महत्वपूर्ण लोगों को शामिल किया गया है।
4. इनोवेशन को बढ़ावा – नई पीढ़ी के उद्यमियों, स्टार्टअप एवं एफपीओ के साथ योजना को नवीन बनाना होगा।

आगे की राह – कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड एवं नए फार्म कानूनों के साथ अतिरिक्त 10,000 एफपीओ बनाने की बजट घोषणा आशाजनक है लेकिन इसे तेजी से लागू करने की आवश्यकता है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

चीन की साइबर आई एवं भारत –

संदर्भ –

- राज्य समर्थित चीनी फर्मों द्वारा भारतीय वैक्सीन निर्माताओं को लक्षित करने की सूचना मिली है।
- भारत इस क्षेत्र में रक्षाहीन एवं/या पर्याप्त क्षमता के बिना नहीं रह सकता। समय के साथ MSEB सर्वरों में मैलवेयर का पता लगाने में महाराष्ट्र राज्य सरकार की असमर्थता में विशेषज्ञता की कमी ने देश की भेद्यता को उजागर किया है।
- साइबर युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जा सकता है, एक देश की चुनावी राजनीति से लेकर उसके बैंकों एवं सड़क यातायात प्रणालियों से लेकर उसके प्रकाशन गृहों एवं सैन्य अभियानों तक।

नेशनल साइबर पावर इंडेक्स –

- पिछले वर्ष हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बेलफर सेंटर द्वारा तैयार किया गया एक राष्ट्रीय साइबर पावर इंडेक्स साइबरस्पेस क्षमताओं के 30 देशों की सूची में भारत को में से 21 वाँ स्थान दिया गया था।
  1. समग्र रैंकिंग सात मापदंडों पर विशेषज्ञता से प्राप्त हुई थी, जो मोटे तौर पर अभिप्राय एवं क्षमता का संकेत देती थी – रक्षा, अपराध, निगरानी, नियंत्रण, खुफिया, वाणिज्यिक एवं मानदंड।
  2. चीन नंबर 1 पर था, उसके बाद नीदरलैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा का स्थान था।
- **समस्या** – रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि भारत उन 13 देशों में शामिल था, जो नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के इरादे या साइबरस्पेस का उपयोग करने की क्षमता का प्रदर्शन नहीं करते थे।

ऐसे प्रयासों के उदाहरण –

1. नवंबर में, सरकार को अपने बिजली के बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में मैलवेयर के खतरे से अवगत कराया गया था – मैलवेयर जो पिछले महीने एक चीनी राज्य समर्थित फर्म से जुड़ा था।
2. अब, 1 मार्च को, गोल्डमैन सैक्स–समर्थित साइबर खुफिया फर्म साईफर्मा ने कहा कि स्टोन पांडा के रूप में जाना जाने वाला एक चीनी हैकर समूह 'भारत बायोटेक एवं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं आपूर्ति श्रृंखला सॉफ्टवेयर में गैप्स एवं वल्नरेबिलीटीज़ की पहचान' करता पाया गया है – रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार। इन कंपनियों ने कोवाक्सिन एवं कोविशिल्ड टीकों को विकसित किया है।

काम करने का ढंग –

1. ट्रैकिंग डिजिटल फुटप्रिंट – वे वेब एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से संबंधित लोगों की जानकारी एकत्र करते हैं, एवं शोध पत्र, लेख, पेटेंट एवं भर्ती पदों को ट्रैक करते हैं।
2. महत्व के लोग – वे न केवल प्रभावशाली राजनीतिक एवं औद्योगिक व्यक्तियों को ट्रैक करते हैं, बल्कि प्रमुख पदों, न्यायाधीशों, वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों, पत्रकारों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों, धार्मिक हस्तियों, कार्यकर्ताओं एवं यहां तक कि वित्तीय अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद एवं तस्करी के सैकड़ों आरोपों में नौकरशाहों को भी ट्रैक करते हैं।

ऐसे हमलों के कारण –

1. सीमा झगड़े
2. चीनी भू–राजनीतिक हितों से जुड़ी बातें
3. ये भविष्य के कार्यों के लिए दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं।
4. बौद्धिक गुणों को लक्षित करना एवं निकालना, एवं भारतीय कंपनियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करना।

भारत में कानून –

- झेनुआ द्वारा इस तरह के डेटा का संग्रह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता हैं क्योंकि यह लगभग सारा डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

समाधान –

1. प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान प्रणालियों में निवेश करें जो इससे निपट सकते हैं।
2. सरकार ने 2019 में एक त्रि–सेवा रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है।
3. राष्ट्रीय सुरक्षा का एक प्रभावी विभाग तभी काम कर सकता है जब इसकी जगह एक संहिताबद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत में समझी जाए, जो भारत के पास आश्चर्यजनक रूप से नहीं है।
4. क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए 3,660 करोड़ रुपये के बजट के साथ नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर– फिजिकल सिस्टम्स (NM-ICPS) लाया जाएगा।
5. औद्योगिक साइबर सुरक्षा मानक (IEC62443) का उद्देश्य भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा शुरू किए गए औद्योगिक स्वचालन एवं नियंत्रण प्रणालियों में वर्तमान एवं भविष्य की सुरक्षा को संबोधित एवं कम करने के लिए एक लचीली रूपरेखा प्रदान करना है, इसे जल्द ही अपनाया जाना है।

भेद्यता – साइबर हमलों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा तेजी से भेद्य होता गया है।

1. इन महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं में से कई को कभी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया था एवं हमेशा उत्पादकता एवं विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित किया गया था, आज उनकी भेद्यता अधिक स्पष्ट है।
2. उपकरणों के परस्पर जुड़ जाने एवं एक महामारी के दौरान सुदूर पहुंच को सुगम बनाने वाले इंटरनेट पर निर्भर होने के कारण, साइबर–भौतिक प्रणालियों की सुरक्षा, वास्तव में, उपयोगिता कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

CHAHAL ACADEMY

Chahal Academy has pan India presence

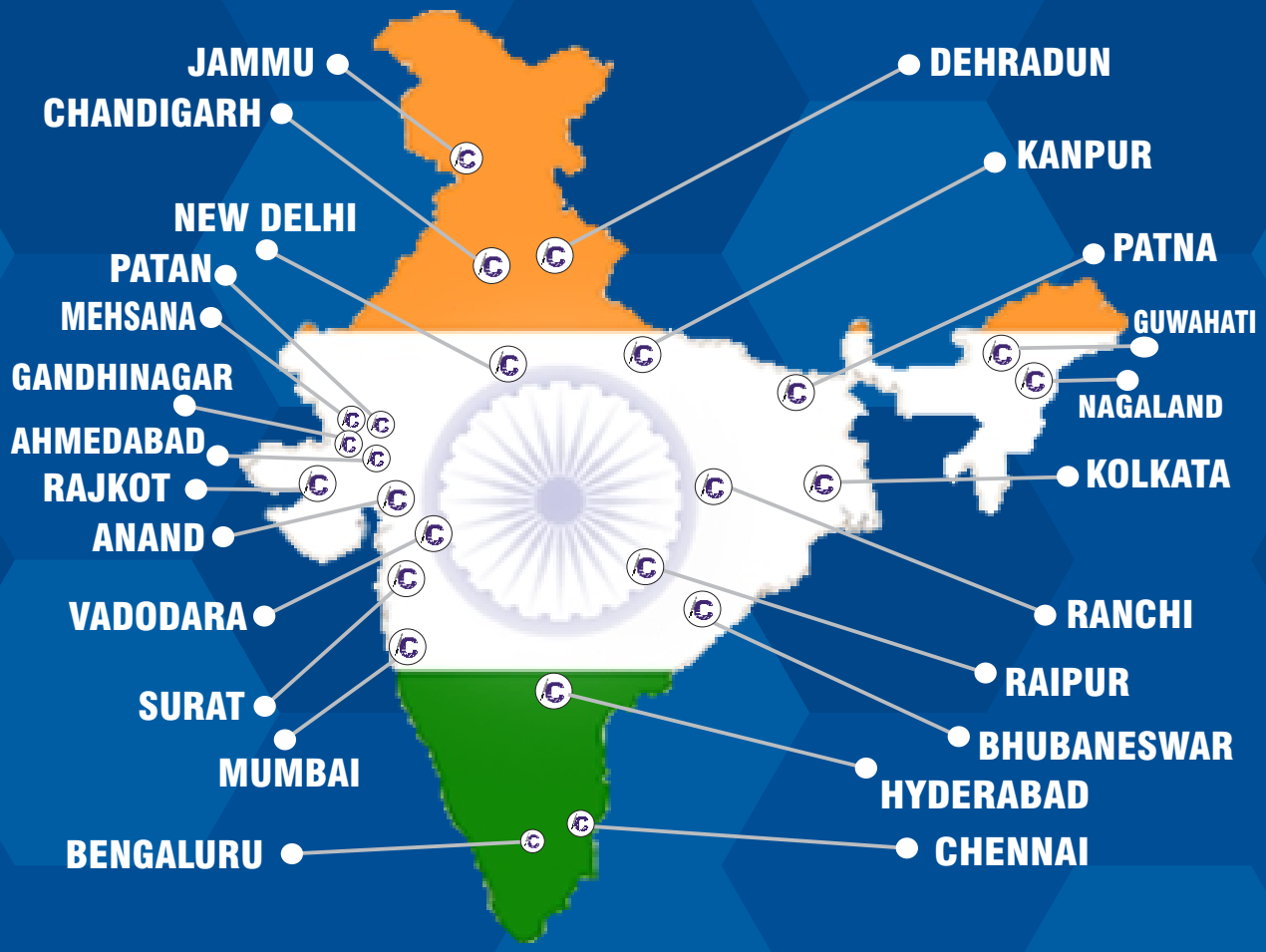

VISIT US AT

N Corporate Office
New Delhi: 982-155-3677
Metro Pillar 112, Office No. 22-B,Ground Floor, Near, Pusa Rd, Old Rajinder Nagar, Karol Bagh, New Delhi, Delhi 110060

M Mumbai: 990-911-1227
415, Pearl Plaza Building, 4th Floor, Exactly opp Station Next to Mc Donalds. Andheri West, Andheri West, Mumbai, Maharasthra 400058

K Kolkata: 728-501-1227
Office No.23, Second Floor, Siddharth City Center 122, Lebutala, Bowbazar, Kolkata, West Bengal 700013

A Ahmedabad:726-599-1227
Office No.104, First Floor Ratna Business Square, Opp. H.K.College, Ashram Road, Ahmedabad - 380009

A Anand: 720-382-1227
T-9 3rd Floor Diwaliba Chambers, Vallabh Vidyanagar, Near ICICI Bank, BhaiKaka Statue, Anand - 388120

B Bhubaneswar: 720-191-1227
B-43, First Floor, Opposite Rama Devi University Vani Vihar, Saheed Nagar, Bhubaneswar, Odisha 751007

B Bhilai: 720-381-1227
Shop No.30/A/1/B, 1st floor Commercial Complex, Nehru Nagar East, Bhilai, Chhattisgarh 490020

G Gandhinagar: 6356061801
A-508, 5th Floor, Vrundavan Trade Centre (VTC), Nr. Reliance Chokdi, Urjanagar 1, Kudasan, Gandhinagar - 382421

K Kanpur: 720-841-1227
2nd Floor, Clyde House, Opposite Heer Palace Cinema, The Mall Road, Kanpur Cantonment, Kanpur - 208004, Uttar Pradesh.

D Dehradun: 762-281-1227
Ojaswi Complex, 2nd Floor, Ballupur Chowk, Dehradun, Uttarakhand 248001

P Patna: 762-101-1227
3rd Floor, Pramila mansion Opposite Chandan Hero Showroom, Kankarbagh Patna - 800020, Bihar

V Vadodara: 720-390-1227
102-Aman Square, Beside Chamunda Restaurant, Behind Fatehgunj Petrol Pump, Vadodara, Gujarat-390002

R Raipur: 931-321-8538
D-117, First Floor, Near Shri Hanuman Mandir, Sector-1, Devendra Nagar, Raipur, Chattisgarh- 492009

H Hyderabad: 931-321-8048
Office No.418/A, Downtown mall, beside Lotus Hospitals For Women & Children, Lakdikapul, Hyderabad, Telangana 500004

S Surat: 720-391-1227
Office NO. 601, 6th Floor, 21st Century Business Centre, Beside World Trade Centre, Near Udhna Darwaja, Ring Road Surat - 395002

N Ranchi: 931-321-8471
Building, 3rd floor SMU, Purulia Rd, above Indian Overseas Bank, Ranchi, Jharkhand 834001

Write us at: chahalacademy@gmail.com | www.chahalacademy.com

Follow us at: YouTube Linked in